खण्ड-231, अंक-8
शुक्रवार, 11 ज्येष्ठ, शक संवत् 1884
(1 जून, 1962 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 231 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	७०५–७०६
प्रश्नोत्तर	७०६–७३८
माध्यमिक शिक्षकों के लिये महंगाई भत्ते में वृद्धि की प्रार्थना ..	७३८
प्रश्नों के संबंध में जानकारी	७३९
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (अनुज्ञा नहीं दी गई) ..	७३९
प्रदेश में बढ़ाये जाने वाले करों के संबंध में नियम ५०, ५२ तथा ५३ के अन्तर्गत सूचनायें	७३९–७४२
नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनायें	७४२–७४३
उत्तर प्रदेश राज्य स्वास्थ्य परिषद् की परामर्शदात्री समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा	७४३
महिला संस्था तथा बाल संस्था प्रशासकीय बोर्ड की परामर्शदात्री समिति के निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा	७४३
यू० पी० नर्सेज और मिडवाइव्ज कौंसिल के निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा	७
कतिपय समितियों में एक मत से निर्वाचन तथा अन्य का निर्वाचन कार्य-क्रम	७
नियम ५२ के अन्तर्गत होने वाले वक्तव्य के संबंध में जानकारी	७
१९६२–६३ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान––अनुदान संख्या १६––खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन और अनुदान संख्या ५५––राज्य व्यापार की योजनायें (स्वीकृत)	७४४–७९१
नत्थियां	७९२–७९९

———

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, १ जून, १९६२

विधान सभा की बैठक, सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदन मोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य--३६२

अखंडप्रतापसिंह, श्री
अच्छैबरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, श्री
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अष्टभुजा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासन, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उमाशंकर, श्री (वाराणसी)
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ, श्री
काशीनाथबहादुर, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
किसुना, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशभान, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
केसरीप्रसाद, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगासिंह, श्री
गणेशचन्द, श्री
गणेश प्रसाद, श्री
गनेशीलाल, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती

गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद, श्री
जगन्नाथ, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्री काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिट झिल्लू, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वर प्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दीनदयाल, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराज, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंह नारायण, श्री
नरेन्द्रबहादुरसिंह, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतउल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
पंचम, श्री
परमाई, श्री
पशुपतिनाथसरन सिंह, श्री
पातीराम, श्री
पितई, श्री
पीतमसिंह, श्री
पुरुषोत्तमलाल बघवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री

बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलबीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बाबूलाल, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री (देवरिया)
मंगल, श्री (बहराइच)
मंगलदेव, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारी लाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनसिंह, श्री
यशपाल, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सहाय, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रफी खां, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथ, श्री
राजनारायण, श्री (मिर्जापुर)

राजनारायण, श्री (वाराणसी)
राजनारायण मिश्र, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर, श्री (फतेहपुर)
रामकिशोर, श्री (बाराबंकी)
रामकुमार, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर रविदासी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामायण, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर कुवर, श्री
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती, श्रीमती
विनयलक्ष्मीसुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव, श्री
विश्वनाथ प्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
बैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शांतिचन्द, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपाल, कुंवर
श्रीराम तिवारी, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री

सर्न्तासिह, यूसुफ, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियाराम, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेव प्रसाद, श्री
सुखराम दास, श्री
सुखलाल श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुगनचन्द शर्मा, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजन, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सूरजलाल, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सेवाराम, श्री
सोहनलाल घुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरीदत्त, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हेतराम, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—वन मंत्री, श्री अलगू राय शास्त्री, भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, १ जून, १९६२

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

लखनऊ में गोमती नदी पर बनने वाले लोहे के पुल का एक कुंआ का धंस जाना

** १—श्री नरसिंह नारायण (जिला गोरखपुर)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोमती नदी पर बन रहे लोहे के पुल का एक कुंआ २० मई, १९६२ ई० को सांयकाल एकाएक २४ फुट जमीन में धंस गया ? यदि हां, तो उसके धंसने का क्या कारण है ?

परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री गनेशीलाल)—जी हां । एक कुंआ लगभग २० फुट जमीन में धंस गया । यह कुंआ १८ फुट मोटी कंकड़ व कड़ी मिट्टी की तह के ऊपर टिका हुआ था । इस मिट्टी और कंकड़ की तह को धीरे धीरे काटा जा रहा था । इस कड़ी मिट्टी की तह के नीचे रेत आ गई थी । ऐसा प्रतीत होता है कि कटाई और कड़ी मिट्टी की निकासी के कारण कड़ी मिट्टी की तह एकाएक टूट गई और कुंआ २० फुट एक साथ धंस गया । ऐसी घटनायें कुओं के गलाने के कार्य में बहुधा हो जाया करती हैं ।

**२—श्री नरसिंह नारायण—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रकार के कुंये के धंसने से बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यवाही, जो गोमती नदी के बाढ़ से शहर को बचाने हेतु बनाई गई, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

श्री गनेशीलाल—कोई नहीं । बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यवाही अपनी निर्धारित प्रगति पर जारी है ।

श्री नरसिंहनारायण—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोटी कंकड़ और कड़ी मिट्टी का पता लग गया था और जब कड़ी मिट्टी की तह के नीचे रेता आ गया तो उपर्युक्त स्थान पर कुंआ बनाने का हुक्म क्यों दिया गया ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—मैं इस प्रश्न को पूरे तौर से समझ नहीं पाया लेकिन मैं समझता हूं कि आपका मतलब शायद यह है कि उस स्थान पर कुंआ क्यों गलाया गया ? तो यह तो दरअसल पहले से तय हो जाता है और वहां का स्ट्रेटा वगैरह देखकर के, उसके स्पैन वगैरह के हिसाब से उसको तय करते हैं और जैसी भी जमीन होती है उसी हिसाब से कुंये को गला दिया जाता है ।

श्री नरसिंह नारायण—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस समय स्ट्रेटा देख लिया गया था और यह देखा गया कि इतने फुट जमीन के अन्दर तक तो कुंआ धंसाया जा सकता है और १९ वें फुट में रेत आ गई तो ऐसा स्ट्रेटा क्यों चुना गया कि जहां पर बालूआ जाय ?

श्री गिरधारीलाल—यह तो दरअसल जितने भी कुंये बनाये जाते हैं उनमें सबमें एक किस्म का स्ट्रेटा नहीं होता है । कहीं-कहीं कंकड़ आ जाता है, कहीं रेत आ जाती है, कहीं मिट्टी आती है, कहीं राक्स भी आ जाती हैं और उसके बाद फिर रेत आती है, लेकिन कुंआ अगर वहां गलाना होता है तो वहीं गलाया जाता है । तो इसमें उसकी वजह से उस कुंये को वहां से हटाकर दूसरी जगह रखने की कोई जरुरत नहीं थी ।

कुंवर श्रीपाल (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस कुंये के धंस जाने की वजह से एस्टीमेटेड वैल्यू, जो पुल की थी, उसमें कुछ बढ़ोत्तरी हो जायगी या नहीं ?

श्री गिरधारीलाल—वह तो जिस तरीके से उसके रेट के ऊपर कांट्रैक्ट दिया गया है उसी के ऊपर रहेगा वह ।

श्री रामसुन्दर (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस कुंये के धंसने के कारण कुल कितने रुपये का नुकसान हुआ है ?

श्री गिरधारीलाल—कोई नुकसान नहीं हुआ है ।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ की सुरक्षा की, जो यह योजना चल रही है जिसमें यह कुंआ धंसा है, वह योजना क्या इस बरसात से पहले पूरी हो जायगी ?

श्री गिरधारीलाल—हां, उम्मीद यह है कि बरसात क पहले पूरी हो जायगी । इससे समय के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा ।

श्री नरसिंहनारायण—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रकार से कुंये के धंसने के बाद कितना खर्चा कुल सरकार का उस कुंये की मरम्मत कराने म लगेगा ?

श्री गिरधारीलाल—इसमें मरम्मत कराने का कोई सवाल नहीं है । वास्तव में इस कुंये को ६० फुट नीचे ले जाना था और थोड़ा सा जिस वक्त वह नीचे गया उसके बाद आटोमेटिकली वह इतने फुट नीचे और चला गया । तो कोई खास नुकसान गवर्नमेंट को उसमें नहीं होता, भले ही ठेकेदार को थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाय लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं हुई जिसमें कि सरकार को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान हो ।

तारांकित प्रश्न

[दिनांक २४-५-६२ के नियम ३०(४) के अन्तर्गत निर्धारित प्रश्न संख्या ८-१० जो माननीय उप-मंत्री गृह की प्रार्थना पर १-६-६२ के लिये निर्धारित किये गये ।]

पुखरायां व पामा स्टेशनों के पास ट्रेनों में लूट-मार की घटनायें

*८--श्री कृष्णचन्द (जिला झांसी) (अनुपस्थित)--क्या सरकार को ज्ञात है कि गत ५ मई, १९६२ को झांसी से कानपुर आने वाली पैसिंजर गाड़ी पुखरायां और पामा स्टेशनों के बीच रोक ली गई और दोनों स्टेशनों के बीच स्थित किसी गांव के निवासियों ने ट्रेन में सफर करने वाली बारात पर सशस्त्र आक्रमण किया ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--५ मई को तो नहीं किन्तु ४ मई, १९६२ को रेलवे स्टेशन लालपुर में गाड़ी १० मिनट तक रोक ली गई, क्योंकि कुछ बदमाशों ने बारातियों के लिये रिजर्व एक कम्पार्टमेंट में घुसने का असफल प्रयास किया । गाड़ी के रवाना होने पर कुछ दूरी पर जंजीर खींच ली गई और बदमाशों ने बारातियों की बोगी पर छोटे पत्थर फेंके । कोई सशस्त्र आक्रमण नहीं हुआ । गार्ड के घटनास्थल पर पहुंचते ही बदमाश भाग गये ।

*९--श्री कृष्णचन्द्र (अनुपस्थित)--क्या यह सही है कि इस आक्रमण के फलस्वरूप कई यात्रियों को संगीन चोटें आईं और आक्रमणकारी धन और जेवरात आदि लूट कर ले गये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी नहीं ।

*१०--श्री कृष्णचन्द (अनुपस्थित)--क्या यह सही है कि इस घटना के पूर्व भी इसी स्थल पर अथवा इसके आस-पास गाड़ियों पर इसी प्रकार की वारदातें हुई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार बतलायेगी कि इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिये वह क्या प्रबन्ध कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जनवरी, १९६२ से अब तक पुखरायां व पामा स्टशनों के आस-पास गाड़ियों में लूट मार आदि की ७ घटनाओं की रिपोर्ट हुई है । इस प्रकार की दुर्घटनाओं की रोक थाम के लिये उक्त मार्ग पर चलने वाली ट्रेनों में ट्रेन गार्डस् कांस्टेबिलों की ड्यूटी लगाई जाती है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न]

तिलपुरा हल्के के लेखपाल के विरुद्ध शिकायतों की जांच

*१--श्री बैजू राम (जिला सीतापुर)--क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हल्का लेखपाल तिलपुरा, तहसील सिधौली (सीतापुर) के विरुद्ध जनवरी, सन् १९६१ से फरवरी, सन् १९६२ तक खेतों के गलत इन्दराजात, की रिश्वत और क्षेत्रीय ग्राम समाज के किसी बिके हुये बाग की रसीद कम रुपयों की दिये जाने की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्राप्त शिकायतों में से कितनी की जांच की गई तथा जांच के परिणाम-स्वरूप उक्त लेखपाल के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ?

माल मंत्री के सभासचिव (श्री बृजबिहारी)--दिनांक ४-१-६१ को श्री ताराचन्द माहेश्वरी, भूतपूर्व विधायक, ने संबंधित लेखपाल तथा तीन अन्य लेखपालों के मामले की जांच के लिये जिलाधीश को लिखा था । उत्तर में उन्हें परगनाधीश द्वारा दिनांक २४-१-६१ को सूचित किया गया कि उक्त लेखपाल के विरुद्ध कोई कागजात नहीं पाये जाते, अतः यदि कोई

शिकायत हो तो, उसे भेजने का कष्ट किया जाये । इसके पश्चात श्री मल्लू द्वारा उक्त लेखपाल के विरुद्ध एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें नकल न देने और भ्रष्टाचार के आरोप थे। इस शिकायत की तहसीलदार ने जांच की और वह निराधार पायी गयी ।

जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में लिपिकों की नियुक्ति

*२—श्री रामसुन्दर—क्या शिक्षा मंत्री गत द्वितीय सत्र के ४थे शुक्रवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या ५ के उत्तर के क्रम के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जिला विद्यालय निरीक्षकों के कार्यालयों में नियुक्त होने वाले लिपिकों की नियुक्ति का आधार क्या है ?

शिक्षा उप-मंत्री (श्री केशभान)—शासन के नियुक्ति विभाग की दिनांक ३० अगस्त, १९५० को राजाज्ञा में दिये गये नियमों के आधार पर रूटीन एवं कैम्प लिपिकों की नियुक्ति की जाती है । इनसे ऊपर वर्ग के लिपिक पदों पर नियुक्ति पदोन्नति द्वारा की जाती है ।

श्री रामसुन्दर—क्या शिक्षा मंत्री जी उस राजाज्ञा को सदन में पढ़ने की कृपा करेंगे ?

श्री केशभान—यह राजाज्ञा लम्बी है उसको पूरा नहीं पढ़ा जा सकता ।

श्री रामसुन्दर—यह राजाज्ञा बड़ी हो सकती है लेकिन संक्षेप में मुख्य-मुख्य उसकी बातें क्या हैं माननीय मंत्री जी उसे बताने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—मुख्य बातों में आप कौन-सी बात जानना चाहते हैं ?

श्री रामसुन्दर—नियुक्ति के संबंध में ।

श्री केशभान—अध्यक्ष महोदय, जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में ४ प्रकार के लिपिक होते हैं । रूटिन लिपिक, कैम्प लिपिक, टीका लिपिक और प्रधान लिपिक । इनमें से दो के टेस्ट होते हैं । जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में जितनी रिक्तियां होती हैं उसका ४ गुना नम्बर इम्पलायमेंट एक्सचेंज को भेज दिया जाता है और इम्तहान के आधार पर जो लोग पास हो जाते हैं उनकी लिस्ट बनाकर रिक्तियों पर क्रमशः नियुक्त किये जाते हैं ।

श्री रामसुन्दर—क्या मंत्री जी यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में लिपिकों की संख्या उस जिले के हायर सेकेन्डरी स्कूलों की तादाद पर बढ़ाई-घटाई जाती है या समान भाव से सारे प्रदेश के जिलों में हैं ?

श्री केशभान—यह सब जगह समान भाव से नहीं रहती । कमोबेश होती रहती है ।

श्री रामसुन्दर—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कितने हायर सेकेन्ड्री स्कूलों के ऊपर लिपिकों की नियुक्त होती है और किस तादाद में होती है ?

श्री केशभान—इसका पूरा नियम तो हमारे पास नहीं है लेकिन चाहे छोटे हों या बड़े हों जो कार्य वहां पर होता है विद्यालयों की संख्या के आधार पर उसको बढ़ाया जा सकता है ।

श्री चन्द्रजीत (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्रीजी बतलाने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जातियों के लिये, जो १८ प्रतिशत स्थान सुरक्षित है, वह जो राजाज्ञा निकली है जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय के संबंध में, उसमें इस बात का स्पष्ट आदेश है कि उसकी पूर्ति की जाय ?

श्री केशभान—राजाज्ञा में इसकी कोई चर्चा नहीं है ।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि अनुसूचित जाति और पिछड़ी जातियों के लिये जिला विद्यालय निरीक्षक के दफ्तर में उनकी संख्या निर्धारित न करने का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष—यह तो एक साधारण नियम सभी विभागों पर लागू है कि १८ प्रतिशत अनुसूचित जाति और पिछड़ी जातियों में से हों। इस राजाज्ञा में अगर उसका विशेष उल्लेख नहीं है तो कोई प्रश्न इसमें पैदा नहीं होता।

श्री रामसुन्दर—क्या शिक्षा मंत्री जी बतलायेंगे कि क्या सरकार के पास कोई ऐसी योजना है कि जिले में हायर सेकेन्डरी स्कूलों की संख्या के मुताबिक ही जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में लिपिकों की नियुक्ति की जाय ?

श्री केशभान—इन बहुत से विषयों पर विचार करने के लिये एक कमेटी कार्य कर रही है और उसमें एक यह भी विषय हो सकता है कि जिसके संबंध में वह कमेटी और सरकार विचार करेगी।

राजस्व विभाग के स्थायी कर्मचारी तथा कचेहरियों में लिपिकों की भर्ती के समय उम्र

*३—**श्री बेदराम** (जिला एटा), **श्री हरीशकुमार गंगवार** (जिला बरेली) तथा **श्री बसन्तसिंह** (जिला बिजनौर)—क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में राजस्व विभाग में कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो १० साल से अधिक समय से नौकरी कर रहे हैं तथा उन्हें अभी स्थायी नहीं किया गया ? उन्हें कब तक स्थायी कर दिया जायेगा ?

श्री बृजबिहारी—वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

*४—**श्री बेदराम, श्री हरीशकुमार गंगवार** तथा **श्री बसन्तसिंह**—क्या यह सही है कि जिला कलेक्टरों को कोई सरकारी आदेश है कि २१ वर्ष से अधिक उम्र के लिपिक जिला कचहरियों में भर्ती न किये जायें ?

श्री बृजबिहारी—वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री बृजबिहारी—(उत्तर पढ़ चुकने के उपरान्त) प्रश्न ४ के संबंध में निवेदन है कि यह एक खटकने की बात है कि इसका उत्तर 'अभी भी सूचना एकत्र की जा रही है' ही दिया जा रहा है। लेकिन मैं बतला दूं कि प्रश्न कर्ता महोदय ने पहले २६ वर्ष की आयु दी थी, फिर उसे १६ किया और अब २१ किया गया है। इस कारण इसमें विलम्ब हुआ है।

श्री अध्यक्ष—ठीक है, यह तो आगे आयेगा।

टमहा ग्राम में अग्निपीड़ित को सहायता मिलने में विलम्ब

*५—**श्री रामसुन्दर**—क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत ग्राम टमहा (दुवारी) में आग लग जाने के कारण आर्थिक सहायता हेतु जिलाधीश को ३१ मार्च, सन् १९६१ का भेजा हुआ आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक सहायता न देने का कारण क्या है ?

श्री बृजबिहारी—उक्त ग्राम से श्री अता पुत्र बन्धू का एक प्रार्थना-पत्र ३१ मार्च, १९६१ को प्राप्त हुआ था जिस पर आवश्यक जांच करने के बाद, श्री अता की पत्नी श्रीमती किसुनदेइया को १५ रु० अहेतुक सहायता के रूप में दिया जा चुका है।

श्री रामसुन्दर--क्या राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इसकी जांच किस तारीख को हुई और किस अफसर द्वारा करायी गई थी और अहेतुक सहायता कब दी गयी ?

श्री अध्यक्ष--आपका मतलब क्या है ?

श्री रामसुन्दर--श्रीमन्, जब उस व्यक्ति ने प्रार्थना-पत्र दिया है उसके करीब ६, ७ महीने बाद जांच हुई और जांच होने के बाद जब आपने सवाल स्वीकार किया है तब उसको सहायता दी गयी है साल भर बाद ।

श्री अध्यक्ष--तो आप सीधा सवाल पूछें कि इतना विलम्ब क्यों हुआ ?

श्री रामसुन्दर--वही पूछ रहा हूं ।

श्री बृजबिहारी--इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री रामसुन्दर--क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रकार की शिकायतों की जांच होने के कितने दिनों के बाद सहायता उस व्यक्ति को मिलनी चाहिये इसका नियमों में कोई प्राविजन है ?

श्री बृजबिहारी--शीघ्रातिशीघ्र सहायता मिलनी चाहिये, यह नियम है ।

श्री नरसिंहनारायण--क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति के घर में आग लगी है उसकी कितने की क्षति हुई है ?

श्री बृजबिहारी--यह तो नहीं मालूम लेकिन जैसा मैंने उत्तर दिया, यह मालूम होता है कि उसकी क्षति मामूली थी इसलिये उसको १५ रुपये की सहायता दी गयी ।

श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)--क्या सरकार उन अधिकारियों के विरुद्ध, जिन्होंने सहायता देने में इतना विलम्ब किया, कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

श्री अध्यक्ष--अभी तो यह जांच होगी कि किस की लापरवाही है ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--आग लगने वाले लोगों में बहुत बड़ी संख्या ऐसों की है कि जिनको इमदाद नहीं दी जाती और कुछ को जो दी जाती है वह विलम्ब से दी जाती है । तो इस बारे में इस वर्ष की कोई जानकारी क्या सरकार को है ?

श्री बृजबिहारी--श्रीमन्, जहां तक मेरी सूचना है सहायता तत्काल दी जाती है । किसी किसी केस में यह विलम्ब होता है और उस के लिये अगर सूचना होगी तो कार्यवाही की जायगी ।

कुआर ग्राम जूनियर हाई स्कूल खोलने का आश्वासन

*६--**श्री ऊदल** (जिला वाराणसी)--क्या सरकार गांव कुआर, परगना कोल असला में कोई जूनियर हाई स्कूल खोलने पर विचार करने जा रही है ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (श्री अजीज इमाम)--जी हां ।

श्री ऊदल--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह स्कूल सरकार की तरफ से खोला जा रहा है या अन्तरिम जिला परिषद् को अनुदान देकर उसके द्वारा वह खुलवाया जायेगा ?

श्री अजीज इमाम--इस साल कागज डाइरेक्टर के पास भेजे गये थे और उनकी रिपोर्ट का इन्तजार किया जा रहा है ।

श्री ऊदल--यह कब तक स्कूल का खुलना सम्भव हो सकेगा ?

श्री अजीज इमाम--जल्दी कोशिश की जायगी ।

पैना ग्राम के किसानों को कुयें व जमीन का मुआवजा न मिलना

*७--श्री गणेश चन्द (जिला मैनपुरी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि २३ अगस्त, १९६१ ई० के तारांकित प्रश्न संख्या ४९ के उत्तर में सरकार ने कहा था कि ग्राम व पोस्ट पैना, जिला देवरिया के काश्तकारों के पक्के कुयें और काश्त की जमीन के मुआवजे के कागजात तैयार हो चुके हैं और शीघ्र ही कुयें का व काश्त का मुआवजा दे दिया जायेगा परन्तु वह मुआवजा अब तक न दिये जाने के कौन-कौन से कारण हैं ?

श्री गनेशीलाल--सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किये गये कागजों का राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक था। प्रमाणित कागज अब जिलाधीश को भेज दिये गये हैं और वे मुआवजा देने के लिये आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री गणेश चन्द--क्या सरकार बतायेगी कि जब उसने २३ अगस्त, १९६१ को यह कहा था कि कागज तैयार हैं और शीघ्र ही मुआवजा मिल जायेगा तो क्या अब वह कोई उसके लिये निश्चित तारीख बतला सकेगी ?

श्री गनेशीलाल--निश्चित तारीख तो बतलाना कठिन है, लेकिन जितनी जल्दी हो सकेगी, उसको दिया जायेगा।

श्री गेंदासिंह--क्या इस बात को भी गारन्टी सरकार की तरफ से की जा सकेगी कि उन काश्तकारों के खिलाफ मालगुजारी वसूल करने में कोई कोअरसिव मेयेड सरकार अख्तियार नहीं करेगी जिनको कि मुआवजा अभी तक नहीं मिला है ?

श्री अध्यक्ष--इसका उत्तर अगर सार्वजनिक मंत्री जी देना चाहें, तो दे दें।

श्री गिरधारीलाल--अगर उस वक्त से मालगुजारी वसूल की गयी है जब से कि वह जमीन सरकार के कब्जे में आई है तो वह उनको वापस कर दी जायेगी।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत सड़क कर्मचारियों की सुविधाएं बढ़ाने की प्रार्थना

*८--श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारियों को, जो सरकारी गजटेड छुट्टियां दी जाती हैं, वह सड़क कर्मचारियों पर कब से लागू की जा रही हैं ?

श्री गनेशीलाल--ऐसा कोई प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं हैं। सड़क कर्मचारियों को वर्ष में १० दिन की छुट्टियां मुख्य त्योहारों पर दी जाती हैं।

*९--श्री रामसुन्दर शास्त्री--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में काम करने वाले और उसमें भी खासतौर से सड़कों पर काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन वृद्धि के लिये सरकार अविलम्ब कौन से कदम उठा रही है ?

श्री गनेशीलाल--ऐसा कोई प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*१०--श्री रामसुन्दर शास्त्री--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपया करेंगे कि सरकार द्वारा घोषित बढ़ाया हुआ महंगाई भत्ता विभाग के केवल ३ प्रतिशत वर्कवार्ज्ड कर्मचारियों जैसे रोलर, ड्राइवर, क्लीनर, फायरमैन इत्यादि को जो दिया जा रहा है वह वृद्धि सड़क पर काम करने वाले कर्मचारियों को क्यों नहीं दी जा रही है ?

श्री गनेशीलाल—बढ़ा महंगाई भत्ता केवल उन कर्मचारियों को दिया जाता है जो कि किसी स्वीकृत वेतन दर से वेतन पाते हैं। सड़क कर्मचारियों को मजदूरी निकट बाजार दर से दी जाती है, अतः महंगाई भत्ता अलग से देने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामसुन्दर शास्त्री—क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उन्होंने सन् १९४७ की यू० पी० पे कमेटी की रिपोर्ट के चेप्टर ९ के पैराग्राफ १२ को देखा है जिसमें यह लिखा है कि टेम्पोरेरी या परमानेन्ट, ऊंचे और निम्न किसी भी कर्मचारी के बीच छुट्टी आदि के बारे में कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा ? यदि हां, तो सरकार इन कर्मचारियों के साथ भेदभाव क्यों कर रही है ?

श्री गिरधारीलाल—वास्तव में यह जितने कर्मचारी हैं उनका खर्चा आदि तो वर्क चार्ज्ड से मीट किया जाता है। उसमें ऐसा है कि जितने भी निर्माण के काम होते हैं उसके लिये मजदूरी आदि वहीं से दी जाती है और जहां तक दूसरे गवर्नमेंट सबॅट्स का सवाल है उनका तो एक रेगुलर इस्टैब्लिशमेंट होता है अलग से और उनके कुछ अधिकार होते हैं अलग इनसे। वह कर्मचारी जो वर्कचार्ज्ड के अधीन काम करते हैं वे इससे कतई भिन्न होते हैं और उनके वेजेज इत्यादि भी मार्केट रेट के हिसाब से तय होते हैं तथा दिये जाते हैं।

श्री झारखंडे राय—क्या सरकार को इस बात की सूचना है कि सड़कों पर काम करने वाले कर्मचारी जो पूर्वी अंचल के हैं तथा जो पश्चिमी अंचल के हैं उन दोनों जगह के कर्मचारियों के वेजेज में भी भिन्नता रहती है ? यदि हां, तो उस विषमता को दूर करने के लिये क्या सरकार विचार करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—उनके वेजेज तो मार्केट रेट के हिसाब से तय होते हैं तथा दिये जाते हैं। एक जिले से दूसरे जिले में अगर लेबर सस्ता है तो वहां जरूर पैसा कम दिया जायेगा दूसरे जिले में अगर लेबर मंहगा है तो वहां ज्यादा पैसा देना होगा।

श्री गेंदासिंह—इन ८-१० वर्षों में महंगाई में काफी अन्तर पड़ गया है जबकि उन मजदूरों की मजदूरी में कोई अंतर नहीं हुआ है, तो क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उसका क्या कारण है ? क्या सरकार इस प्रश्न पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—वृद्धि तो कुछ भी नहीं हुई है इधर ५-६ वर्ष में। जहां तक प्रश्न का दूसरा भाग है वह मैं आगे चल कर बताऊंगा।

श्री गेंदासिंह—श्रीमन्, यह उत्तर समझ में नहीं आया, वृद्धि किसमें नहीं हुई है ?

श्री गिरधारीलाल— मेरा मतलब है कि इधर ५-६ वर्षों में मजदूरों की मजदूरी में वृद्धि की गयी है, ऐसा नहीं है कि उसमें वृद्धि नहीं हुई है।

श्री गेंदासिंह—क्या इस बात की जानकारी माननीय निर्माण मंत्री जी को है कि न्यूनतम वेतन समिति ने पिछले वर्ष एक सिफारिश की थी जिसमें उनके लिये निश्चित रूप से मजदूरी में वृद्धि करने की सिफारिश की थी, तो उसके अनुसार उनकी मजदूरी में वृद्धि हुई, अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—मेरे सामने किसी मिनिमम वेतन बोर्ड की सिफारिश का प्रश्न कभी आया नहीं, लेकिन रिआर्गेनाइजेशन कमेटी की सिफारिशों को मैंने देखा है और उसके मुताबिक सरकार ने फैसला भी किया है।

श्री चन्द्रजीत—क्या उन्हें इस बात का स्मरण है कि यू० पी०, पी० डब्लू० डी० संघ का कोई डेपुटेशन, जिसमें मैं भी था उनका वाइस प्रेसीडेंट की हैसियत से, सरकार से मिला था जिसमें यह कहा गया था कि सरकार सामन्तवादी और पूंजीवादी इस नीति को, कि जहां

सस्ते मजदूर मिलते हैं वहां कम मजदूरी देते हैं और जहां कम मजदूर मिलते हैं वहां ज्यादा देते हैं, छोड़ कर कोई ऐसी नीति अख्तियार करें जिससे कि सब जगह मजदूरी की एक दरें हों ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या निर्णय किया ?

श्री गिरधारीलाल--मुझे याद नहीं है कि कोई आश्वासन दिया गया था । उसमें तो हमदर्दी हम लोगों की भी है । वैसे तो आज की जिस प्रकार की सोसाइटी है उसी के अनुसार उसको तय करना पड़ता है और मार्केट रेट के हिसाब से ही मजदरी दी जाती है ।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)--क्या माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके पास सहारनपुर से सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारियों की कुछ शिकायतें आई हैं कि वहां पर रोड गैंग के कर्मचारियों को मजदूरी मार्केट रेट १ रुपया १२ आने के हिसाब से न देकर ४० पये माहवार दी जा रही है, यदि हां, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल--१ रुपया १२ आना दी जाय या ४० रुपये दी जाय वह औसत जाकर बराबर हो पड़ता है क्योंकि साल में १० दिन की उनको एक छुट्टियां मिलती हैं, महीने में भी ४ दिन की छुट्टी मिलती है, यह हिसाब लगा कर अगर देखा जाय तो वही हिसाब पड़ेगा ।

श्री रामसुन्दर--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सड़कों पर काम करने वाले कर्मचारियों को सब से कम मजदूरी क्या है और सबसे ज्यादा क्या है ?

श्री गिरधारीलाल--मैं समझता हूं कि इस वक्त सब से कम ३० रुपये है और ज्यादा से ज्यादा ४० रुपये है ।

श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)--जबकि पूंजीवाद का भी यह नियम है कि मजदूर को दोनों वक्त खाने को दे ताकि दूसरे दिन वह काम कर सके तो इस पूंजीवादी सिद्धान्त को सामने रखते हुए माननीय मंत्री जी कुछ मिनिमम लिविंग वेजेज फिक्स करने के बारे में वह विचार कर रहे हैं ?

श्री गिरधारीलाल--मिनिमम वेज हमारे यहां ३० रुपया है इस वक्त ।

वाराणसी जिले के हाई स्कूल व इन्टर कालेजों में कृषि शिक्षा हेतु उपलब्ध भूमि तथा विभिन्न अनुदान

*११--**श्री ऊदल**--क्या सरकार बतायेगी कि वाराणसी में कितने हाई स्कूल व इंटर कालेज हैं जहां कृषि की पढ़ाई होती है और उनके पास कितनी-कितनी जमीनें हैं ?

श्री केशभान--वाराणसी जिले में ऐसे विद्यालयों की संख्या, जिनमें हाई स्कूल या इन्टर कक्षा तक कृषि की पढ़ाई होती है, १० है । जमीन के संबंध में सूचना तालिका 'अ' में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७९२-७९३ पर)

*१२--**श्री ऊदल**--क्या सरकार बतायेगी कि वाराणसी के उन कालेजों को अब तक कितना-कितना रुपया कृषि के लिये तथा बैल के लिये और दूसरे कार्यों के लिये दिया गया है ?

श्री केशभान--पूछी गई सूचना तालिका 'ब' में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७९२-७९३ पर)

श्री ऊदल--क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कृषि शिक्षा की स्थापना के लिए सिर्फ बड़ा गांव और शहोद गांव दो ही स्कूलों को १०-१० हजार रुपये की सहायता दी गयी है तो बकिया को न देने का क्या कारण है ?

श्री केशभान---सभी स्कूलों को एक ही साथ धनराशि नहीं दी जा सकती है। बजट में जितनी धनराशि रहती है उसी के अनुसार विद्यालयों को विभिन्न बातों पर विचार करके पया दिया जाता है।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)---क्या सरकार के पास ऐसी शिकायतें आयी हैं कि कृषि सम्बन्धी पढ़ाई के लिए बैलों के लिए जो रुपया दिया जाता है उसका कई स्कूलों ने उपयोग नहीं किया है और निजी बैलों को दिखा देते हैं कि वह स्कूल के बैल हैं?

श्री केशभान---ऐसी शिकायत तो मेरे पास नहीं है। सूचना मिले तो जांचा जा सकता है।

श्री रामसुन्दर शास्त्री---क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कृषि विश्व-विद्यालय के इंटर कालेजों में किस हिसाब से उन्हें बैल खरीदने के लिए और कृषि कार्यों की उन्नति के लिए रुपया दिया जाता है?

श्री केशभान---बैलों के क्रय के लिये ५०० रुपया।

सगड़ी तहसील, जिला आजमगढ़ के बाढ़-पीड़ित ग्रामों की सहायता

*१३---**श्री चन्द्रजीत**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील में गत जुलाई से अक्तूबर तक कितने गांवों को बाढ़ से क्षति पहुंची है?

श्री बृजबिहारी---१५३ ग्रामों को क्षति पहुंची थी।

*१४---**श्री चन्द्रजीत**---क्या सरकार बाढ़ से प्रभावित इन ग्रामों की सूची, उनको हुई क्षति तथा पहुंचाई गई सहायता के विवरण सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री बृजबिहारी---उपर्युक्त १५३ ग्रामों की पूर्ण विवरण सहित सूची बहुत बड़ी है अतः कार्यालय में देखी जा सकती है। वैसे इन १५३ ग्रामों में से १५ ग्राम नदी के तट पर निचले भागों में बसे होने के कारण कृषि योग्य नहीं हैं और न उनमें कोई फसल ही पैदा की जाती है। शेष १३८ ग्रामों में कुल ३२,९५५ एकड़ क्षेत्रफल बाढ़ से प्रभावित हुआ और ४८,४६१ मनुष्य प्रभावित हुए। । ८४६ मकानों को पूर्ण रूप से या आंशिक क्षति पहुंची। फसल को लगभग ३० नये पैसे से १०० नये पैसे तक की क्षति पहुंची।

इन बाढ़-पीड़ित ग्रामों में अहेतुक सहायता के रूप में जो सामग्री व धन वितरित किया गया वह इस प्रकार है :-

१---चना	१,१७५	मन
२---चावल	१९४	,,
३---गेहूं	२२२	,,
४---नमक	१४३	,,
५---मिट्टी का तेल	८२	टोन
६---दियासलाई	२,९५२	पैकिट
७---दूध के पैकिट	३०	
८---कपड़े सिले हुए	९८०	पीसेज
९---बल्ली	३१२	
१०---भूसा	६०७	मन
११---नकद	१,०००	रु०
१२---तकावी	१,०९,८५५	,,

इसके अतिरिक्त मालगुजारी में ६१,५१५.४१ रु० की छूट देने का प्रस्ताव है। विद्यार्थियों की ५ महीने की फीस के बराबर छात्रवृत्ति के लिये ३,४६० रु० शिक्षा संस्थाओं को दिया गया

रोजगार देने के लिये टेस्ट वर्क्स चालू किये गये जिन पर ५०,००० रु० व्यय किया गया।

*१५--श्री चन्द्रजीत---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन ग्रामों में तहसीलदार सगड़ी द्वारा कम्बल भी बांटे गये हैं? यदि हां, तो किन-किन गांवों में कितने कितने तथा किन तिथियों में?

श्री बृजबिहारी---अपेक्षित सूचना संलग्न सूची में दिखा दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७६४-७६५ पर)

श्री चन्द्रजीत---क्या माननीय राजस्व मंत्री जी बतायेंगे कि जो ४० हजार से ज्यादा व्यक्ति प्रभावित हुए, साढ़े आठ हजार मकान पूर्ण रूप से क्षति ग्रस्त हुए और ३२ हजार एकड़ से ज्यादा जमीन का नुकसान हुआ जिस पर कि फसल थी, उसके लिये सरकार ने जो सहायता दी है वह बहुत कम है? और उस इलाके से सरकार के पास यह मांग आई है कि इस क्षति को देखते हुए सहायता बढ़ायी जाय तो उस पर सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है?

श्री बृजबिहारी---सहायता जो दी जाती है वह आंशिक रूप से दी जाती है, जिसमें तत्काल कुछ फायदा पहुंच सके, क्षति पूर्ति के लिये सहायता नहीं दी जाती। जो सहायता दी गई है वह पर्याप्त है। यदि इस प्रकार का कोई आवेदन-पत्र दिया जायगा तो सरकार उस पर विचार करेगी।

श्री चन्द्रजीत---क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यह जो गांव प्रभावित हुए हैं वह घाघरा नदी के किनारे हैं और आमतौर से हर साल इन गांवों को बड़े पैमाने पर बाढ़ से क्षति होती है, और सरकार की सहायता बहुत कम होती है, इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार कोई ऐसी योजना बना रही है जिससे उन बांधों की बाढ़ से रक्षा हो सके?

श्री बृजबिहारी---बाढ़ से रक्षा के लिये एक वृहद् योजना कार्यान्वित होने जा रही है उसमें इस पर भी विचार किया जायगा।

श्री झारखंडे राय---जिन गांबों की चर्चा सवाल-जबाव में है वह गांव ऊंचे नहीं किये गये ह, तो क्या सरकार कृपा कर के इन गांवों को ऊंचा करने की योजना पर विचार करेगी?

श्री बृजबिहारी---इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी। अगर ऊंचे नहीं किये गये हैं और प्रार्थना-पत्र आयेगा तो ऊंचा करने के लिये धनराशि दी जायगी।

श्री झारखंडे राय---बाढ़ नियंत्रण योजना में तो सरकार की यह नीति है ही कि गांवों को ऊंचा किया जाय।

श्री अध्यक्ष---उनका उत्तर यह है कि अगर ऊंचे नहीं किये गये हैं तो सूचना आने पर, वह कार्यवाही करेंगे।

श्री झारखंडे राय---उन्होंने कहा कि प्रार्थना-पत्र आने पर कार्यवाही करेंगे, इसी पर मुझे आब्जेक्शन है?

श्री अध्यक्ष---वह कहते हैं कि शायद कुछ गांव ऊंचे हो चुके हैं, अगर नहीं हुए होंगे तो इत्तला आने पर सहायता करेंगे, यही उनका मतलब है।

श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)---किसानों की जो ३२ हजार एकड़ जमीन क्षतिग्रस्त हुई है उस पर क्या लगान सरकार ने माफ कर दिया है, यदि नहीं तो क्यों?

श्री बृजबिहारी---सूचना की आवश्यकता है।

श्री रामसुन्दर—इस क्षेत्र के जो गांव कटाव से पीड़ित हैं उनमें इस समय भी तकावी और लगान की वसूली हो रही है ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने कहा कि अभी इन्क्वायरी हो रही है ।

श्री चन्द्रजीत—क्या सरकार के पास इस प्रकार की दरख्वास्तें आयी हैं उस इलाके से कि जो सहायता, कंबल, कपड़ा और दूसरे रूप से दी गई वह उचित समय पर न देकर चुनाव के थोड़ा पहले विशेष स्थानों पर वहां के तहसीलदारों द्वारा दी गई, यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री बृजबिहारी—इस प्रकार की कोई सूचना सरकार के पास नहीं आई है । अगर कोई सूचना माननीय सदस्य देंगे तो उस पर विचार किया जायगा ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत शिक्षा की निर्धारित धनराशि में कटौती

*१६—**श्री गयाप्रसाद** (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिये, जो धन निर्धारित था, वह सब शिक्षा पर नहीं व्यय किया गया ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

शिक्षा मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)—जी हां । शिक्षा के लिए प्रारम्भ में २,१८४.८९ लाख रुपया की धनराशि निर्धारित थी जो बाद में कटौती के कारण घट कर १५६० लाख रुपये कर दी गयी । इस धनराशि में से १४१८.९६ लाख रुपये (लगभग ९१ प्रतिशत) व्यय हुए । यह धनराशि व्यय न होने के कारण यह हैं कि कुछ योजनायें निर्धारित समय के थोड़े समय बाद चालू की जा सकीं । कुछ अभ्यर्थी जिनको नियुक्त किया गया था उन्होंने देर से कार्यभार ग्रहण किया और कुछ के स्थान पर फिर से दूसरों को नियुक्त करना पड़ा । इसके अतिरिक्त नये स्कूलों के लिए स्थान के चुनाव, उनके प्राप्त करने की कार्यवाही, भवनों के नक्शे एवं तखमीने आदि के बनाने में समय लगा और भवन निर्माण कार्य धीरे हुआ और निर्धारित धन-राशि में बचत हो गयी ।

गवर्नमेंट माडल स्कूलों में ग्रीष्मावकाश में असमानता

*१७—**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)—क्या शिक्षा मंत्री कृपा कर के यह बतायेंगे कि गवर्नमेंट माडल स्कूल, जो विभिन्न ट्रेनिंग संस्थाओं से संलग्न है, उनमें ग्रीष्मावकाश में समानता क्यों नहीं है ?

श्री केशभान—सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*१८—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—क्या सरकार को पता है कि इलाहाबाद गवर्नमेंट डिमांस्ट्रेशन स्कूल सी० पी० आई० में २ माह का अवकाश होता है जबकि गवर्नमेंट माडल स्कूल, जूनियर बेसिक ट्रेनिंग कालेज, इलाहाबाद में एक माह का ? ऐसा अन्तर क्यों है ?

श्री केशभान—सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*१९—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—क्या अवकाश में समानता लाने का प्रयास आगामी ग्रीष्मावकाश में किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशभान—सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—श्रीमन्, मेरा प्रश्न १-५-६२ को एक्वायर हुआ और १८-५-६२ को स्थगित हुआ, आप देख लीजिये कि मेरा प्रश्न बिलकुल सीधा सा है फिर भी सरकार की ओर से इस तरह का उत्तर दिया गया ।

श्री अध्यक्ष—माननीय शिक्षा मंत्री, आप बता सकेंगे कि बिलम्ब क्यों हुआ ?

श्री केशभान---बहुत से जिलों में छुट्टियों के बारे में भेद पाया जाता है। इसलिये सर्वत्र से अलग-अलग सूचना मंगाई जा रही है। इसके लिये रिमाइंडर भी भेजे गये हैं और प्रयास किया जा रहा है लेकिन अभी तक सारे उत्तर नहीं आ सके हैं।

श्री ऊदल---मान्यवर, प्रश्न संख्या १८ तो इलाहाबाद के केवल दो स्कूलों के सम्बन्ध में है।

श्री अध्यक्ष---अच्छा आप बैठिये, मैं स्वयं इसको देख लूंगा।

१९६२-६३ में शराब व भांग के नये ठेकों से आय में वृद्धि

*२०---श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९६२-६३ के वित्तीय वर्ष में शराब व भांग के नये ठेकों में कितनी आय बढ़ी ?

आबकारी राज्य मंत्री (डाक्टर सीताराम)---वित्तीय वर्ष १९६२-६३ के आबकारी नीलाम में शराब व भांग के नये ठेकों से क्रमशः ५८,६७,५५३ रु० व ३,८६,२३७ रु० की वृद्धि हुई।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी---क्या माननीय मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि वह कौन सा जिला है जिसमें शराब के इन ठेकों से सबसे अधिक आय हुई है ?

डाक्टर सीताराम---जिला बताने के लिये तो नोटिस की आवश्यकता है लेकिन जहां तक रीजन की बात है, मेरठ रीजन में सबसे ज्यादा आय हुई है।

श्री बिपिन बिहारी तिवारी---इस बात को देखते हुये कि जिस डिवीजन में या जिले में शराब से सबसे अधिक आय हुई है, यह कहा जा सकता है कि वहां पर पीने वालों की संख्या अधिक हो गई है तो क्या सरकार उस जिलों में या उस डिवीजन में शराबबन्दी कानून लागू करेगी ?

डाक्टर सीताराम---आमदनी बढ़ने के कई कारण होते हैं, एक तो ड्यूटी बढ़ी, दूसरी चीज यह है कि पापुलेशन १० साल में २२ फीसदी बढ़ रही है, अब सूबे की आबादी ७,३७ लाख हो गई है और तीसरी चीज यह कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेन्ट भी हुआ इसलिये ठेके में काफी वृद्धि हुई।

श्री यादवेन्द्रदत्त---मन्त्री जी ने कहा कि आबादी बढ़ गई इसलिये ठेके की भी आबादी बढ़ गई तो क्या केवल मेरठ में ही आबादी बढ़ी, दूसरी जगह नहीं बढ़ी, इसको माननीय मंत्री जी स्पष्ट करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---यह तो उन्होंने जनरल आन्सर दिया। यह प्रश्न कई बार आ चुका है इसलिये इसमें कोई विशेषता नहीं है।

*२१-२३---श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)---[स्थगित किये गये।]

खीरी जिले में सड़क तथा पुल निर्माण-योजना

*२४---श्री मन्नालाल (जिला खीरी)---क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला खीरी में तीसरी पंचवर्षीय योजना में कोई सड़क तथा पुल निर्माण कराने की योजना है ?

श्री गनेशी लाल---नई योजना के अन्तर्गत केवल पुल निर्माण का प्राविधान किया गया है। किन्तु चालू योजना के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण का भी प्राविधान है।

*२५--श्री मन्नालाल--यदि हां, तो कितने मील सड़क और पुलों की संख्या क्या है ?

श्री गनेशीलाल--चालू योजना के अन्तर्गत--७२ मील ५ फर्लांग पक्की सड़कें, ९ मील गन्ने की मीलों की सड़कें, ३१ मील सी०सी० ट्रैक्स । नई योजना के अन्तर्गत--तीन पुल ।

श्री मन्नालाल--ये पुल कौन-कौन से हैं ?

श्री गनेशीलाल--उल्ल नदी पर मैलानी से जो सड़क जाती है उसके ७ वें मील पर, और दूसरा व तीसरा है उल्ल व खडवा नदी पर मील २.५ पर लखीमपुर और निधासन रोड पर ।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)--तृतीय पंचवर्षीय योजना में सड़कें बनाने का आधार क्या है ?

श्री गिरधारीलाल--हर जिले में स्टार-ग्रिड फार्मूला के हिसाब से सड़कों का माइलेज पूरा करना है । बहुत से जिलों में इसके अनुसार एक्सीड कर गया है और बहुत में कम ह । जहां कम हैं, हम उन्हें पूरा करना चाहते हैं ।

स्थायी विभागों में ३ वर्ष से अधिक काम करने वाले कर्मचारियों को स्थायी करना

*२६--श्री मैनेजर (जिला बलिया) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की करेगी कि "डिसिप्लीनरी प्रोसीडिंग्स इन्क्वायरी कमेटी" की रिपोर्ट तथा "पी०डब्लू डी० रिआर्गेनाइजेशन कमेटी, १९५७" की यह सिफारिशें कि स्थायी विभागों के तीन वर्ष से अधिक काम करने वाले कर्मचारियों को स्थायी कर दिया जाये, को सार्वजनिक विभाग में पूरी तरह लागू किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री गिरधारीलाल--डिसिप्लीनरी प्रोसीडिंग्स इन्क्वायरी कमेटी की इस सिफारिश पर कि यदि कोई कारण ऐसा करने के विरुद्ध न हो तो स्थायी विभागों में ३ वर्ष से अधिक चले आ रहे अस्थायी पदों को स्थायी कर दिया जाये, सरकार द्वारा आदेश जारी किये गये थे कि इस पर अच्छी तरह विचार करके उचित आदेश यथाशीघ्र जारी किये जायें । रिआर्गेनाइजेशन कमेटी ने भी शीघ्र आदेश जारी करने की स्तुति की थी । विभाग में इन आदेशों का पालन किया जा रहा है ।

गोरखपुर जिले की देवी करकुलहा मेले में शराब बन्दी का आदेश

*२७--श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले के देवी तरकुलहा मेले में जो चैत्र रामनवमी के अवसर पर लगता है, शराबबन्दी कराने का कोई आदेश आवेदन-पत्र जिला अधिकारियों को मिला था ?

डाक्टर सीताराम--जी हां ।

*२८--श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह--यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई उसे बताने की कृपा की जायेगी ?

डाक्टर सीताराम--पुलिस की तैनाती मेला क्षेत्र में की गई थी और उनको यह आदेश दिया गया था कि वह इस बात का ध्यान रखे कि मेले में शराब न बेची जा सके ।

फर्रुखाबाद जिले में लेखपालों का बकाया वेतन

*२९—श्री होरीलाल यादव—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले में तहसीलवार कितने लेखपाल हैं जिनका बकाया वेतन (arrears) गत तीन वर्षों से बकाया पड़ा है ? यदि ऐसा है, तो उनके बकाया अदा करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री बृजबिहारी—तहसील फर्रुखाबाद में ५, कन्नौज में २ और छिबरामऊ में १, बकाया वेतन के बिल तयार कर के राजस्व परिषद् को भेजे जा रहे हैं।

श्री होरीलाल यादव—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन लेखपालों का वेतन इतने दिनों तक क्यों रोका गया ?

श्री बृजबिहारी—बिल बनाने वाले क्लर्क के पास काम अधिक था, इससे बिल बनाने में देर हुई। उसे एक तरह से दोषी मानकर भी उसका ट्रांसफर कर दिया गया और उससे बिल बनाने में मदद ली जा रही है।

श्री गेंदासिंह—क्या राजस्व मंत्री को पता है कि इन लेखपालों ने बहुत रुपया कर्जा लिया वेतन न मिलने से, और यदि हां, तो सरकार क्या कर रही है ?

श्री बृजबिहारी—इसकी सूचना सरकार को नहीं है।

श्री रामसुन्दर—जिलाधीश फर्रुखाबाद को यह कब मालूम हुआ कि लेखपालों के वेतन ३ साल से बाकी हैं ?

श्री बृजबिहारी—सूचना की आवश्यकता है।

श्री होरीलाल यादव—क्या सरकार को पता है कि ये बिल भेज दिये गये हैं और अगर भेजे जा रहे हैं तो कब तक पहुंच जावेंगे ?

श्री बृजबिहारी—बिल भेज दिये गये हैं। १०३ ऐसे बिल थे जिनमें ४९ भेजे जा चुके हैं और बाकी को भी भेजने का प्रयास हो रहा है।

फैजाबाद जिले के ग्रामों में अग्निकांड की घटनायें तथा सहायता

*३०—श्री धूमप्रसाद (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि फैजाबाद जिले में हाल में ग्रामों में आग लगने की घटनाओं से अनुमानतः कितनी हानि हुई है ? क्या सरकार क्षति पूर्ति के लिये कोई योजना बना रही है ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—इस जिले में अग्निकांड के फलस्वरूप अनुमानतः ७१,१०० रु० की सम्पत्ति नष्ट हुई।

सरकारी सहायता का उद्देश्य क्षतिपूर्ति नहीं है बल्कि वास्तविक साधनहीन व्यक्तियों को सहायता देने का है जिससे दैवी आपत्ति के तुरन्त बाद के कठिन समय में उनका निर्वाह हो सके अतः अहेतुक सहायता के रूप में ५९० रु० बांटे जा चुके हैं।

आजमगढ़ जिले की मुहम्मदाबाद और फूलपुर टाउन एरिया के बीच जाने वाली सड़क की मरम्मत की प्रार्थना

*३१—श्री दौलतलाल (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को पता है कि आजमगढ़ जिले के अन्तर्गत मुहम्मदाबाद और फूलपुर टाउन एरिया के बीच से हो कर जाने वाली सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क बहुत खराब है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसके मरम्मत की व्यवस्था करेगी ?

श्री गिरधारीलाल--जी नहीं। आवश्यकता के अनुसार इनकी मरम्मत समय-समय पर करायी जाती है।

*३२--श्री दौलतलाल (अनुपस्थित)--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टाउन एरिया के बीच से जाने वाली सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क प्रीच रोड बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह कब तक बन जावेगी ?

श्री गिरधारीलाल--जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

मुजफ्फरनगर जिले में पुख्ता सड़कें बनाने का आश्वासन

*३३--श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह तृतीय पंचवर्षीय योजना में जिला मुजफ्फरनगर में कितने मील सड़क पुख्ता (पक्की) बनाने का विचार रखती है ?

श्री गनेशीलाल--नई स्कीम के अन्तर्गत २० मील। चालू योजना के अन्तर्गत ४६ मील ५ फर्लांग सड़कें, ४९ मील सी०सी० ट्रैक्स तथा पेन्टेड सड़कें।

श्री अहमद बख्श--इन ४६ मील ५ फर्लांग इत्यादि सी०सी० ट्रैक से क्या मतलब है ?

श्री गनेशीलाल--थर्ड फाइवईयर प्लान में २० मील सड़क बनाने की योजना है।

श्री अहमद बख्श--क्या यह सही है कि सरकार ने सी० सी० ट्रैक बनाने की स्कीम को खत्म कर दिया है ?

श्री गिरधारीलाल--सी० सी० ट्रैक की सड़कों के बनाने का प्रोग्राम कहीं खत्म नहीं किया है। यह जरूर सोचा गया है कि इनकी जगह पेन्टेड रोड ज्यादा लाभदायक होंगी।

श्री अहमद बख्श--क्या यह सही है कि जिला मुजफ्फरनगर में जितने सी० सी० ट्रैक बने वे सब नाकामयाब साबित हुये और वहां यह स्कीम मुल्तवी कर दी गई है ?

श्री गिरधारी लाल--सी० सी० ट्रैक में २ पटरियां बनती हैं जिन पर बैलगाड़ियां और दूसरा वेहीकुलर ट्रैफिक चलता है। यह देखा गया है कि इनके इर्द-गिर्द बड़े-बड़े गड्ढे मिट्टी हट कर हो जाते हैं। अब हम इस नतीजे पर आ रहे हैं कि हम पेन्टेड रोड्स बना दें।

फर्रुखाबाद जिले में अस्थायी तथा स्थायी लेखपाल

*३४--श्री राजेन्द्रसिंह यादव (जिला फर्रुखाबाद)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले में तहसीलवार लेखपालों की संख्या क्या है ? इनमें कितने अस्थायी तथा कितने स्थायी हैं ?

श्री ब्रज बिहारी--

तहसील	संख्या	अस्थायी	स्थायी
फर्रुखाबाद ..	१०८	२७	८१
कायमगंज ..	७३	१८	५५
कन्नौज ..	७८	१९	५९
छिबरामऊ ..	८३	२२	६१

*३५--श्री राजेन्द्रसिंह यादव---क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि हाल में तहसीलवार कितने लेखपाल नौकरी से निकाले गये और इनके निकाले जाने का क्या आधार है ?

श्री बृजबिहारी---तहसील फर्रुखाबाद में ४ अस्थायी लेखपाल । इनकी आवश्यकता नहीं थी ।

*३६---श्री राजेन्द्रसिंह यादव---क्या सरकार इनकी ८ या १० वर्ष नौकरी तथा उम्र का ध्यान रखते हुये फिर नौकरी देने पर विचार करेगी ?

श्री बृजबिहारी---ऐसा विचार नहीं है ।

श्री राजेन्द्रसिंह यादव---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद तहसील के जो ४ अस्थायी लेखपाल निकाले गये वे इस विभाग में कितने दिन से कार्य कर रहे थे ?

श्री बृजबिहारी---सब की मुद्दत ८ वर्ष से कम थी ।

श्री राजेन्द्रसिंह यादव---इन लेखपालों को निकाले जाने का कारण क्या था ?

श्री बृजबिहारी---श्रीमन्, कारण तो उत्तर में बतला दिया कि उनकी आवश्यकता नहीं थी ।

श्री गेंदासिंह---क्या यह सही है कि इन लेखपालों में से कुछ को सरकार ने फ्रीडम आफ चराई का अधिकार दे रखा है क्योंकि उनको ३-३ साल की तनख्वाह नहीं मिली है ?

श्री बृजबिहारी---इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री दयाराम (जिला फर्रुखाबाद)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो लेखपाल अस्थायी हैं वे अधिकतर कितने समय से हैं ?

श्री बृजबिहारी---इसकी सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री कल्पनाथ सिंह---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो लेखपाल निकाले गये हैं उन लेखपालों के स्थान पर क्या दूसरे नये लेखपाल रखे गये और अगर रखे गये तो कब ?

श्री अध्यक्ष---उन्होंने यह जवाब दिया कि उनकी आवश्यकता नहीं थी ।

श्री बृजबिहारी---मैंने निवेदन किया कि इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी क्योंकि जब वे निकाले गये थे उस समय उनकी आवश्यकता नहीं थी लेकिन अब क्या परिस्थिति है, इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

गाजीपुर जिले में कच्ची सड़कें तथा पुलों की निर्माण-योजना

*३७---श्री झिलमिट झिल्लू (जिला गाजीपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर में तृतीय पंचवर्षीय योजना में किन-किन कच्ची सड़कों तथा पुलों के निर्माण के लिये योजना बनाई गई है ?

श्री गनेशीलाल---चालू योजना के अन्तर्गत कासिमाबाद-मऊ सड़क और नई योजना के अन्तर्गत रेवतीपुर धामड़ बारा सड़क । केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत गाजीपुर बहरियाबाद की ९ मील सड़क को भी स्वीकृत किया गया है । इस जिले में किसी नये पुल के निर्माण का प्राविधान तीसरी पंचवर्षीय योजना में नहीं है ।

*३८--श्री झिलमिट झिल्लू--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर के पश्चोत्तर क्षेत्र के जलालाबाद से मरदह, अविसहन, भड़सर, विरनों, शादियाबाद, बहरियाबाद को तथा गाजीपुर से बुजूरगा, छपरी, सलिड़ी होकर दुल्हपुर वाली कच्ची सड़कों को पक्की बनवाने के लिये योजना बनाई गई है ?

श्री गनेशीलाल--जी नहीं ।

श्री झिलमिट झिल्लू--क्या सरकार बतायगी कि सेंट्रल गवर्नमेन्ट के द्वारा जो गाजीपुर-बहरियाबाद सड़क को पक्की बनाये जाने की योजना है, उस पर कितना धन व्यय होने वाला है और उक्त सड़क कब तक बन जायगी ?

श्री गनेशीलाल--श्रीमन्, इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री रघुवीर--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में सड़कें और पुल गाजीपुर में न बनाने का कारण क्या है ?

श्री गनेशीलाल--धनाभाव के कारण नहीं बनेंगे ।

गोरखपुर जिले में सरहद की प्रमुख सड़कों पर कंकड़ पड़ने हेतु प्रार्थना

*३९--श्री नरसिंह नारायण--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला गोरखपुर में बृजमनगंज-आनन्दनगर, बृजमनगंज-कोल्हुई तथा आनन्द नगर-उस्का रोड पर यह देखते हुये कि सरहद की प्रमुख सड़कें हैं कब तक गिट्टियां पड़नी शुरू होंगी ?

श्री गनेशीलाल--ब्रजमनगंज-आनन्दनगर और बृजमनगंज-कोल्हुई सड़कें जिला परिषद् के प्रबंध में हैं । आनन्दनगर-उस्का रोड पर कंकड़ पड़ रहा है ।

श्री नरसिंह नारायण--क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि ये प्रमुख सड़कें हैं और इनको जिला परिषद् नहीं बना सकता इनको सार्वजनिक निर्माण विभाग में लेने की कृपा करेंगे ?

श्री गनेशीलाल--श्रीमन्, प्रमुख सड़कों की बात तो इसी से सिद्ध हो जाती है कि जिला परिषद् ने उनको प्रायोरिटी नहीं दी ।

(१ जून, १९२ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न)

*१--श्री रामसुन्दर--[७वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

वाराणसी अन्तरिम जिला परिषद् के बिला इमारतों के प्राइमरी स्कूलों की सूची

*२--श्री ऊदल--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी अंतरिम जिला परिषद् के उन प्राइमरी स्कूलों की लिस्ट, जिनके पास इमारतें नहीं हैं, डिप्टी इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स, वाराणसी ने सन् १९६१ में सरकार के पास भेजी है ? यदि हां, तो क्या उस लिस्ट की एक प्रति सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी और अब तक उसमें क्या कार्यवाही की गई ?

आचार्य जुगलकिशोर--जी नहीं ।
प्रश्न नहीं उठता ।

*३--श्री ऊदल--[७वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*४--श्री रामसुन्दर--[७वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

नोटः--तारांकित प्रश्न ३९ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

करमा महरूपुर ग्राम के किसानों द्वारा जिलाधीश, आजमगढ़ को लेखपाल के विरुद्ध गलत पड़ताल करने तथा घूस आदि लिए जाने की शिकायतें

*५--श्री रामसुन्दर--क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम फरमामहरूपुर, तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ के कुछ किसानों ने १२ मार्च, १९६२ को जिलाधीश, आजमगढ़ के पास संबंधित लेखपाल के विरुद्ध गलत पड़ताल करने, घूस दी जाने आदि तरह-तरह की लिखित शिकायतें की हैं ? यदि हां, तो उस पर कौन-सी कायवाही की गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी नहीं।

माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं को प्रारम्भिक अनुदान

*६--श्री मैनेजर--क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं को प्रारम्भिक अनुदान देने के क्या आधार हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर--शिक्षा संहिता (१९५८ संशोधित संस्करण) की धारा ३०७ व ३०८ के आधार पर बजट में स्वीकृत धनराशि के अन्दर प्रारम्भिक अनुदान दिया जाता है।

बलिया जिले में नार्मल स्कूल

*७--श्री मैनेजर--क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत एक नार्मल स्कूल बलिया जिले में खोलने की योजना थी ? यदि हां, तो उसे कार्यान्वित क्यों नहीं किया गया ?

आचार्य जुगलकिशोर--जी हां।

१९५९ में कार्यान्वित कर दिया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

*८--श्री मैनेजर--[७वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

*९--कुंवर सत्यवीर (जिला बिजनौर)--[हटा दिया गया।]

*१०--श्री जगरनाथ (जिला बलिया)--[७वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

*११-१३--श्री नरसिंह नारायण--[७वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

तृतीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत कुमायूं विश्वविद्यालय

*१४--श्री रामचन्द्र शाह (जिला लखीमपुर खीरी)--क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में वर्णित कुमाऊं विश्वविद्यालय कब तक तथा कहां खुलने जा रहा है ?

आचार्य जुगल किशोर--इस पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

मैनपुरी जिले में कोरी के नाले का पुल सड़क से पश्चिम की तरफ बनाने की मांग

*१५--श्री गणेश चन्द--क्या सरकार को पता है कि फर्रुखाबाद से इटावा जाने वाली पी० डब्लू० डी० की सड़क पर जिला मैनपुरी में किशनी और कुसमरा के बीच में कोरी-के-नाले का पुल बनाने के लिये सड़क से पूरब की तरफ के बागों के हरे दरख्त कटना शुरू हैं और जमीन भी काफी नीची है, इस कारण सरकार का काफी खर्चा पड़ रहा है ? ऐसी दशा में क्या सरकार विचार करने की कृपा करेगी कि कोरी-के-नाले का पुल सड़क से पच्छिम की तरफ बनाया जावे क्योंकि जमीन समतल है और बाग नहीं हैं ?

श्री गिरधारीलाल—प्रथम भाग—जी नहीं। इस पुल के बनाने के संबंध में सड़क के पूर्व की तरफ के बागों के हरे दरख्त नहीं काटे जा रहे हैं।

द्वितीय भाग—यह सम्भव नहीं है।

*१६-१७—श्री गयाप्रसाद—[७वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

*१८-२०—श्री गयाप्रसाद (जिला सीतापुर)—[७वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

*२१-२२—श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—[७ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

*२३—श्री काशीनाथ (जिला बलिया)—[७वें शुक्रवार के लिये स्थागित किया गया।]

*२४-२५—श्री जगरनाथ—[७वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

राजजवारी रेलवे पुल के पास गोमती नदी पर नया पुल बनना

*२६—श्री कमलासिंह यादव—क्या सरकार बनारस तथा गाजीपुर जिले में गोमती नदी पर राजवारी रेलवे पुल के पास कोई नया पुल बनाने जा रही है?

श्री गिरधारीलाल—जी हां।

*२७-२९—श्री मुकुटबिहारी लाल (जिला बाराबंकी)—[७वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

एजूकेशनल कोड की अंग्रेजी तथा हिन्दी की प्रतिलिपियां अधिक संख्या में छपवाने के आदेश

*३०—श्री डूंगरसिंह (जिला हमीरपुर)—क्या शिक्षा मंत्री को पता है कि Educational Code आजकल out of stock है जिसके कारण कुछ शिक्षा संस्थाओं और जनता को आजकल परीक्षाओं के समय विशेष असुविधा हो रही है और निकट भविष्य में दाखिलों के समय होगी? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी प्रतिलिपियां शीघ्र ही अधिक संख्या में छपवाने का प्रबन्ध कर रही है?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां। उसकी ८००० प्रतियां (अंग्रेजी) छपवाने के आदेश दे दिये गये हैं।

*३१—श्री डूंगरसिंह—क्या शिक्षा मंत्री को पता है कि Educational Code अभी तक केवल अंग्रेजी में छपा है, हिन्दी में नहीं छपा है, जिसके फलस्वरूप अंग्रेजी न जानने वाली जनता को अत्यन्त असुविधा होती है? यदि हां, तो क्या सरकार उसका हिन्दी अनुवाद शीघ्र ही छपवाने का प्रबन्ध कर रही है?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां। शिक्षा संहिता के हिन्दी अनुवाद की ५,००० प्रतियां छपवाने का प्रबन्ध कर दिया गया है।

*३२—श्री डूंगरसिंह—[हटा दिया गया।]

*३३—श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन—(जिला टेहरी गढ़वाल)—[७ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

*३४-३५—श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन—[७वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

बदायूं जिले में वबराला से गवां तक जाने वाली सड़कों को पक्का करने की आवश्यकता

*३६—श्री जुगलकिशोर (जिला बदायूं)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं, तहसील गुन्नोर में वबराला से गवां तक जाने वाली सड़क को पक्का कराने का विचार है, यदि हाँ, तो कब तक ?

श्री गिरधारीलाल—प्रथम भाग—जी नहीं ।

द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता ।

*३७-३९—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—[७वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*४०—श्री दौलतराम—[७वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*४१-४२—श्री विष्णुप्रतापसिंह (जिला गोंडा)—[७वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गय ।]

*४३—श्री रामकिशोर (जिला फतेहपुर)—[७वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

झांसी जिले में जे० टी० सी० या एच० टी० सी० ट्रेनिंग कालेज खोलने की आवश्यकता

*४४—श्रीमती बेनीबाई (जिला झांसी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले में लड़के व लड़कियों के लिये कोई जे० टी० सी० या एच० टी० सी० ट्रेनिंग कालेज खोला जा रहा है ? यदि हां, तो कब ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी नहीं ।

*४५—श्री रामसुन्दर—[७वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

अवर आधारिक विद्यालयों में अंग्रेजी की पढ़ाई वैकल्पिक रूप से आरम्भ करने का प्रस्ताव

*४६—श्री सहदेवसिंह (जिला इटावा)—क्या शिक्षा मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि सरकार जुलाई १९६२ से सभी आधारित पाठशालाओं में कक्षा ३ म अंग्रजी भाषा पढ़ाना प्रारम्भ कर रही है ? यदि हां, तो अंग्रेजी भाषा का विषय अनिवार्य होगा या वैकल्पिक ?

आचार्य जुगलकिशोर—जुलाई, १९६२ से कुछ चुने हुये अवर आधारिक विद्यालयों में अंग्रेजी की पढ़ाई वैकल्पिक रूप से आरम्भ करना प्रस्तावित है ।

*४७—श्री सहदेवसिंह—क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस संबंध में राज्य के बेसिक शिक्षा बोर्ड से सलाह ली गई है ? यदि हां, तो क्या बोर्ड ने इसकी सहमति प्रदान की है ?

आचार्य जुगलकिशोर—प्रश्नगत विषय बेसिक शिक्षा बोर्ड के विचारार्थ अभी प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

*४८—श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)—[७वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

बांदा जिले में नया नार्मल स्कूल खोलने की योजना

*४९—श्री बृजमोहनलाल गुप्त (जिला बांदा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांदा जिला में कोई नया नारमल स्कूल खोलने की योजना है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में, क्या प्रगति हुई है ?

आचार्य जुगलकिशोर---जी नहीं ।

*५०-५१---श्री बृजमोहनलाल गुप्त---[७वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*५२---श्री रामसुन्दर---[७वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

तहसील छाता, जिला मथुरा के ओलापीड़ित किसानों को सहायता की आवश्यकता

*५३---श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला मथुरा के तहसील छाता के अन्तर्गत दिनांक २७ अप्रैल, सन् १९६२ को कितने गांवों में उपल वृष्टि हुई और इस उपल वृष्टि से किसानों को कितना नुकसान हुआ ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---दिनांक २७ अप्रैल, १९६२ की उपल वृष्टि से तहसील छाता, जिला मथुरा के ५९ गांव प्रभावित हुए । इस उपल वृष्टि के फलस्वरूप फसलों को मामूली क्षति पहुंची और एक गांव में २ पशु मर गये ।

*५४---श्री लखीसिंह---क्या सरकार क्षतिग्रस्त किसानों को सहायता प्रदान करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---क्षति की मात्रा इतनी कम रही कि नियमानुसार मालगुजारी में छूट या अन्य प्रकार की सहायता देने का प्रश्न हो न उठा ।

*५५---श्री लखीसिंह---क्या यह सही है कि उक्त उपल वृष्टि के कारण खड़ी फसल कपास, ईख, तम्बाकू का नुकसान तो हुआ ही है साथ ही खलिहानों में रखा हुआ गल्ला भी सड़ गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---खलिहानों में पड़ी हुई फसल को भी केवल मामूली ही क्षति हुई ।

*५६-५७---श्री कमलासिंह यादव---[७वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

राप्ती नदी पर बनने वाले नये पुल के निर्माण कार्य में बाधा तथा स्पैन का टूटना

*५८---श्री द्वारकाप्रसाद पांडेय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर राप्ती नदी पर जो नया पुल बन रहा था उसके निर्माण-कार्य में अब कोई विशेष बाधा है ?

श्री गिरधारीलाल---जी हां । ठेकेदार ने शेष कार्य को करने से इन्कार कर दिया है । शेष कार्य को पूरा करने के लिये उचित कार्यवाही की जा रही है ।

*५९---श्री द्वारकाप्रसाद पांडेय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त नव-निर्मित बांध का जो भाग टूट गया है, उसके संबंध में अब क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री गिरधारीलाल---बांध का कोई भाग नहीं टूटा है । केवल एक स्पैन टूट गया है जिसके कारणों की जांच करने के लिये सरकार ने एक जांच समिति नियुक्त किया है जिसने अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत किया है ।

*६०-६१---श्री कल्याणचन्द मोहिले---[७वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*६२-६३---श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)---[७वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

गिरदावर कानूनगोओं की तहसीलदारों के पदों पर नियुक्तियां

*६४—**श्री राधेश्याम** (जिला मथुरा)—क्या माल मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में लोक सेवा आयोग द्वारा चुने गये एप्रूव्ड नायब तहसीलदारों के मुकाबले में गिरदावर कानूनगो जो अभी एप्रूव्ड नायब तहसीलदार नहीं हैं तहसीलदारों के पद पर सन् १९६१ में नियुक्त किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां । इसका कारण यह है कि ऐसे गिरदावर कानूनगोओं को नायब तहसीलदार के पद पर लगातार काम करने की अवधि एप्रूव्ड नायब तहसीलदारों के मुकाबले अधिक है । यह व्यवस्था असाधारण स्थिति (emergency) में की गयी थी । शासन भावी रिक्तियों (vacancies) के लिये समस्त प्रश्न पर पुनर्विचार कर रहा है ।

*६५—**श्री मुकुन्दीलाल बैरिस्टर** (जिला गढ़वाल)—[७वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*६६-६८—**श्री लखपतराम शर्मा** (जिला झांसी)—[७वें शुक्रवार के लिये स्थकित किये गये ।]

*६९—**श्री सुखदेव प्रसाद** (जिला गोंडा)—[७वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*७०-७२—**श्री मन्नालाल**—[७वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

फर्रुखाबाद जिले के राजकीय जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों के ग्रेड के सम्बन्ध में प्रान्तीय सरकार को भेजे गये पत्र तथा स्मृति-पत्र

७३—**श्री होरीलाल यादव**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले में अन्तरिम जिला परिषद् के शिक्षा विभाग द्वारा फर्रुखाबाद जिले में स्थापित राजकीय जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों के ग्रेड के संबंध में स्पष्टोकरण हेतु कितने पत्र तथा स्मृति-पत्र प्रान्तीय सरकार को १९६०-६१ तथा १९६१-६२ में भेजे ? उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

आचार्य जुगल किशोर—जिला परिषद् के पत्र या स्मृति-पत्र सरकार के सचिवालय में नहीं प्राप्त हुये । शिक्षा निदेशक को वे प्राप्त हुये या नहीं इसकी सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

राजकीय हायर सेकेंडरी स्कूल, फर्रुखाबाद से भेजे गये राजनैतिक पीड़ित छात्रवृत्ति के लिये प्रार्थना-पत्र

७४—**श्री होरीलाल यादव**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय हायर सेकेन्डरी स्कूल फर्रुखाबाद से इस वर्ष १९६१-६२ में किन-किन विद्यार्थियों ने राजनैतिक पीड़ित छात्रवृत्ति पाने हेतु प्रार्थना-पत्र भेजे ?

आचार्य जुगलकिशोर—नौ छात्रों ने आवेदन-पत्र प्रेषित किये थे, तालिका संलग्न है ।

(देखिये 'नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७९६ पर)

*७५-७७—**श्री गेंदासिंह**—[७वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*७८-७९—**श्री गुलाबसिंह** (जिला देहरादून)—[७वें शुक्रवार के लिये स्थगित किय गये ।]

संडीला–बांगरमऊ कच्ची सड़क को पक्की सड़क बनाने की प्रार्थना

*८०—**श्री पंचम** (जिला हरदोई)—क्या सरकार संडीला से उन्नाव जिला को मिलाने के लिये संडीला–बांगरमऊ जो लगभग १२ मील कच्ची है और बीच में एक थाना पुलिस कासिमपुर पड़ता है जहां से बारिश में बिलकुल रास्ता बन्द रहता है कब तक पक्की सड़क कंकर की बनाने का विचार कर रही है ?

श्री गिरधारीलाल—अभी इस सड़क के निर्माण की कोई योजना नहीं है ।

जालौन जिले के ओघा क्षेत्र में वर्षा पीड़ित किसानों को सरकारी सहायता

*८१—**श्री बसन्तलाल** (जिला जालौन)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिला जालौन की तहसील जालौन में लगातार पिछले दो वर्षों से अधिक वर्षा होने के कारण ओघा क्षेत्र में खरोफ व रबी की फसल नष्ट होने के कारण, काश्तकारों ने सरकारी सहायता प्राप्त करने के हेतु सरकार से मांग की है ? अगर हां, तो सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां ।

(१) ओघा क्षेत्र में खरोफ १३६८ फसली की २६,०७८ रु० की मालगुजारी मुल्तवी की गई । इसके अतिरिक्त निम्न प्रकार की अन्य सहायता भी दी गई :—

	रु०
(क) बीज तकावी	३७,४९०
(ख) डिस्ट्रेस तकावी	२,५७,४००
(ग) कर्जा वास्ते मरम्मत तथा निर्माण मकान ..	५३,८४०
(घ) खैराती इमदाद नकदी (in cash) ..	१७,५१५
वस्तुओं के रूप में (in kind)	२,३७५

ओघा क्षेत्र में १३६९ फसली खरोफ की २७,७२३ रु० की मालगुजारी मुल्तवी की गई और निम्न प्रकार की अन्य सहायता भी दी गई—

(क) बीज तकावी	५१,६२५
(ख) खैराती इमदाद नकदी में	६,८८५

८२—**श्री बसन्तलाल**—क्या सरकार ने किसी अधिकारी द्वारा उपर्युक्त ओघा क्षेत्र का सर्वे उस क्षेत्र में ओघा बनने व उसको हटाये जाने के कारणों की जानकारी करने के लिए करवाई है ? अगर हां, तो क्या सरकार उन कारणों की सूची जो अधिकारी द्वारा प्राप्त हुई है सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं । इसका संबंध केन्द्रीय सरकार से है जो इसमें उचित छानबीन कर रही है ।

नगर महापालकाओं तथा नगर पालिकाओं के अध्यापकों को वहां के चपरासियों से भी कम महंगाई भत्ता मिलना

*८३—**डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी** (जिला इलाहाबाद)—क्या शिक्षा मंत्री इस तथ्य से अवगत हैं कि नगर महापालिकाओं तथा नगरपालिकाओं के अध्यापकों को महापालिकाओं तथा नगरपालिकाओं में काम करने वाले चपरासियों से भी कम महंगाई भत्ता मिलता है ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां । अध्यापकों के महंगाई भत्ते की न्यूनतम निर्धारित दरें अन्य कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की दरों से कम है ।

*८४--डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी--क्या स्वायत्त शासन मंत्री इस दिशा में न्याय करने के लिये उचित व्यवस्था करेंगे ?

आचार्य जुगलकिशोर--प्रश्न नहीं उठता ।

नगरपालिकाओं के अधीन कन्या पाठशालायें स्थापित करने के सम्बन्ध में जी० ओ०

*८५--श्री रघुवीर सहाय (जिला फतेहपुर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत नगर पालिकाओं के अधीन भी कन्या पाठशालायें स्थापित करने का कोई जी० ओ० सन् १९६१-६२ के वित्तीय वर्ष में जारी किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसे सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

आचार्य जुगलकिशोर--जी हां । राजाज्ञा की †प्रति प्रस्तुत है ।

गाजीपुर जिले के जर्जर अवस्था युक्त एवं भवन रहित प्राइमरी तथा मिडिल स्कूल

*८६--श्री कमलासिंह यादव--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में कितने प्राइमरी तथा मिडिल स्कूल हैं जिनके पास कोई इमारत नहीं है या यदि है तो जर्जर अवस्था में है ?

आचार्य जुगलकिशोर--८६ प्राइमरी स्कूलों एवं २ मिडिल स्कूलों के भवन नहीं हैं । ९६ प्राइमरी स्कूलों एवं १५ मिडिल स्कूलों के भवन जर्जर अवस्था में हैं ।

*८७--श्री कमलासिंह यादव--क्या सरकार को मालूम है कि गाजीपुर जिले में प्राइमरी तथा मिडिल स्कूलों के छात्र तथा छात्राओं के बैठने का कोई साधन नहीं है ?

आचार्य जुगलकिशोर--जी नहीं ।

फतेहपुर जिले की विभिन्न सड़कों पर निर्माण कार्य

*८८--श्री रक्षपालसिंह (जिला इलाहाबाद) तथा श्री जगदीशप्रसाद--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत फतेहपुर जिला की (१) हुसेनगंज कड़ा (इलाहाबाद), (२) खागा-धाता, (३) बहुआ धाता, (४) फतेहपुर जौनिहां अमौली, (५) हथगाम-बिलन्दा तथा (६) थरियांव, हथगाम-पट्टी को मिलाने वाली सड़कों में से किन-किन सड़कों के निर्माण करने की योजना है तथा उनका निर्माण अलग-अलग कब से प्रारम्भ होने वाला है ?

श्री गिरधारीलाल--प्रश्नगत सड़कों में निम्नांकित सड़कों पर निर्माण कार्य हो रहा है ।

	मी०	फ०	
(१) हथगांव-बहेरा	४	४	०
(२) खागा-विजयपुर-किशनपुर	१०	५	०
(३) अमौली-चांदपुर-बरवा शहबाजपुर	१६	४	०

शेष सड़कों के निर्माण की कोई योजना इस समय नहीं है ।

---

†प्रति छापी नहीं गई ।

फर्रुखाबाद जिले से प्राप्त चकबन्दी भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्रार्थना-पत्रों पर अधिकारियों के विरुद्ध जांच तथा दण्ड

*८९—श्री सूबेदारसिंह (जिला मैनपुरी)—क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले में चकबन्दी भ्रष्टाचार संबंधी कितने आवेदन-पत्र सदर तहसील में चकबन्दी प्रारम्भ होने के पश्चात् उच्च अधिकारियों को प्राप्त हुये ? क्या सरकार ने इस प्रकार चल रहे भ्रष्टाचार की सही जांच करने एवं भ्रष्टाचारी अधिकारियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही करने के लिये कोई कदम उठाया ? यदि हां, तो क्या ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—फर्रुखाबाद जिले की सदर तहसील में चकबन्दी कार्य के प्रारम्भ होने से अब तक उच्च अधिकारियों को ११४ भ्रष्टाचारी संबंधी प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये हैं। ५४ प्रार्थना-पत्रों पर आवश्यक जांच हो चुकी है। बाकी ६० विचाराधीन हैं। जांच के फलस्वरूप दोषी पाये गये अधिकारियों को उचित दण्ड दिया गया है।

बलिया जिलान्तर्गत बांसडीह भया मनियर-सिकन्दरपुर सड़क को पक्का करन का कार्य

*९०—श्री जगरनाथ—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलिया जिला अन्तर्गत बांसडीह भया मनिया-सिकन्दरपुर सड़क को पक्का करने का कार्य कब शुरू हुआ ?

श्री गिरधारीलाल—इस मार्ग का बांसडीह दहताल भाग का निर्माण कार्य १९५६ में शुरू हुआ। दहताल सिकन्दरपुर भाग का संबंधी कार्य सन् १९५८ में प्रारम्भ हुआ और वास्तविक निर्माण कार्य सन् १९६० में चालू हुआ।

*९१—श्री जगरनाथ—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त सड़क में कितना मील काम हो चुका है तथा कितना मील अभी शेष रह गया है और यह सड़क कब तक तैयार हो जायगी ?

श्री गिरधारीलाल—बांसडीह दहताल भाग का निर्माण-कार्य पूरा हो चुका है। दहताल सिकन्दरपुर भाग का लगभग ५ मील का कार्य भी पूरा हो चुका है। शेष ९ मीलों पर मिट्टी और पुलियों का कार्य पूरा हो गया है और आशा की जाती है कि अक्तूबर, १९६४ तक पूरा हो जायगा। मील १९–२० का कार्य उच्च न्यायालय के आदेशानुसार स्थगित है।

सीतापुर-बड़ागांव कच्ची सड़क बनाने की प्रार्थना

*९२—श्री शारदानन्द (जिला सीतापुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सीतापुर बड़ागांव कच्ची सड़क तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बनेगी ?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं।

एक ही जिले में तीन वर्ष से अधिक कार्य करने वाले विद्यालय निरीक्षक

*९३—श्री होरीलाल यादव—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रान्त में कितने विद्यालय निरीक्षक (District Inspector of Schools) हैं जिनको काम करते हुये एक ही जिले में तीन वर्ष से अधिक हो गये हैं वे किन-किन जिलों में काम कर रहे हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—

(१) श्री सुखदेव पंत, जिला विद्यालय निरीक्षक, इन्चार्ज कुमायूं मण्डल, नैनीताल।

(२) श्री अब्दुल कयूम, जिला विद्यालय निरीक्षक, फर्रुखाबाद।

(३) श्री मोहम्मद जकी, जिला विद्यालय निरीक्षक, बस्ती।

फर्रुखाबाद जिले में जूनियर हाई स्कूलों को अस्थायी मान्यता

*९४—**श्री होरीलाल यादव**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले में कौन-कौन जूनियर हाई स्कूल हैं जिनकी गत तीन वर्षों से शिक्षा संहिता की धारा १५३-ए के अन्तर्गत मान्यता अस्थायी तौर पर मिलती रही और इस वर्ष वह अस्थायी मान्यता १५३-ए के मातहत नहीं दी गई ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी नहीं ।

ऐसा कोई स्कूल नहीं है ।

गाजीपुर बहरियाबाद सड़क का निर्माण-कार्य

*९५—**श्री राजनाथ** (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले की गाजीपुर बहरियाबाद सड़क के निर्माण के विषय में क्या हो रहा है ?

श्री गिरधारीलाल—इस सड़क के ९ मील का निर्माण केन्द्रीय सड़क निधि योजना में सम्मिलित कर लिया गया है । विधान मण्डल की स्वीकृति के पश्चात् निर्माण कार्य आरम्भ किया जायेगा ।

गाजीपुर जिले के मरदह कस्बे में सरकारी नार्मल स्कूल खोलने के प्रस्ताव का स्थगन

*९६—**श्री राजनाथ**—क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जिले में मरदह कस्बे में जो सरकारी नार्मल स्कूल खोलने का प्रस्ताव था वह स्थगित किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां ।

मरदह में अब तक विद्यालय भवन निर्माण हेतु उपयुक्त स्थान न प्राप्त होने के कारण सम्प्रति योजना स्थगित कर दी गई है ।

देवरिया जिले में तृतीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत बनने वाली सड़कें तथा पुल

*९७—**श्री कैलाश** (जिला देवरिया)—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि देवरिया जिले में तृतीय पंचवर्षीय योजना में कितनी सड़क किस प्रकार की बनाई जायेगी और पुलों की संख्या कितनी होगी ?

श्री गिरधारीलाल—चालू योजना के अन्तर्गत लगभग ५० मील सड़कों के पक्का करने का काम पूरा किया जावेगा ।

शक्कर मिलों के क्षेत्र की सड़कों के निर्माण योजना में लगभग ७० मील सी० सी० ट्रैक तथा १६ मील पेन्टेड रोड बनाने की योजना है ।

योजना में किसी नये पुल के निर्माण का प्राविधान नहीं है ।

अफजलगढ़ उपनिवेशन योजना के सम्बन्ध में छटनी किये हुये कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति के समय पुरानी सेवाओं को शामिल करने तथा पूर्व वेतन आदि की सुविधाएं न मिलना

*९८—**श्री हिम्मतसिंह** (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश की उपनिवेश योजना अफजलगढ़ में से छटनी किये हुये कर्मचारियों को पुनः सरकार में नौकरी मिलने पर उनकी पुरानी सेवाओं को भी शामिल किया जायगा और उन्हें वही वेतन मिलेगा जो छटनी के समय उन्हें मिलता था जिस प्रकार फूड सप्लाई विभाग के कर्मचारियों को पुनः नियुक्त किये जाने पर पुरानी सेवायें मानी गयीं ? यदि नहीं, तो उसके कारण बतायेंगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं। अफजलगढ़ उपनिवेश योजना के संबंध में ऐसे कोई आदेश शासन द्वारा जारी नहीं किये गये हैं। इसका कारण यह है कि अफजलगढ़ उपनिवेश योजना केवल एक ही जिले तक सीमित है जबकि फूड ऐण्ड सिविल सप्लाई विभाग सारे प्रदेश में फला हुआ संगठन था और जिसमें बड़ी भारी संख्या में छटनी हुई थी। अतएव इस उपनिवेश योजना की तुलना फूड ऐण्ड सिविल सप्लाई विभाग से नहीं की जा सकती।

बलिया जिलान्तर्गत मधुबनी, गंगापुर करमानपुर, श्रीकान्तपुर मौजों में सुरेमनपुर–दलछपरा हाल्ट रेलवे स्टेशनों के बीच की हस्तगत भूमि का किसानों को मुआविजा

*९९—श्री मैनेजर—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जिलान्तर्गत मधुबनी, गंगापुर, कलमानपुर, श्रीकान्तपुर, मौजों में सुरेमनपुर-दल छपरा हाल्ट रेलवे स्टेशनों के बीच रिटायर लाइन निर्माण हेतु भूमि किस अधिकारी द्वारा हस्तगत की गयी है और क्या हस्तगत भूमि का कोई हर्जाना किसानों को दिया गया है ?

श्री गिरधारीलाल—उक्त ग्रामों में कुछ भूमि उत्तर रेलवे अधिकारियों द्वारा निजी प्रयास से ले ली गई थी।

अब इस भूमि को रेलवे के लिये स्थायी रूप से लेने के लिये लैण्ड एक्वीजिशन ऐक्ट (Land Acquisition Act) के अन्तर्गत सरकार द्वारा विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। रेलवे द्वारा १ साल का मुआविजा दिया जा चुका है।

घुमरी से नगला ठेका तथा पटियारी होते हुये ग्राम नरदौली तक जाने वाली सड़क को पक्का करने की मांग

*१००—श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला एटा में घुमरी से जो सड़क नगला ठेका तक और नगला ठेका से नहर निरीक्षण भवन भूढ़ा और आगे पटियाली होते हुये ग्राम नरदौली तक जाती है उस पूरी सड़क को पक्की बनाने हेतु सरकार कोई कार्यवाही कर रही है ?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं।

नोटिफाइड एरिया, कांधला द्वारा अपने स्कूल के अध्यापकों को बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ता न देना

*१०१—श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर) तथा श्री ऊदल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिस आदेश से अप्रल, सन् १९६० में म्युनिसिपल बोर्ड, अन्तरिम जिला परिषद् तथा नगर महापालिकाओं के अध्यापकों के महंगाई भत्ता में जो वृद्धि की गई है उसे नोटीफाइड एरिया कांधला (मुजफ्फरनगर) अपने स्कूल के अध्यापकों को नहीं दे रही है ? यदि हां, तो सरकार क्या अध्यापकों के महंगाई भत्ते को अप्रैल, सन १९६० से दिलवाने की व्यवस्था करेगी ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां। मामला विचाराधीन है।

कन्साखेरा ग्राम में चकबन्दी योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक कार्यों के लिए सुरक्षित भूमि

*१०२—श्री रामकिशोर—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जिलान्तर्गत बिन्दकी तहसील के कन्साखेरा नामक गांव में जो चकबन्दी योजनान्तर्गत है सार्वजनिक कार्य के प्रयोग निमित्त चकबन्दी समिति ने कितनी भूमि सुरक्षित करने का प्रस्ताव किस निमित्त किया था, उनके नम्बर, रकबा तथा प्रयोजन का ध्येय क्या था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---ग्राम कन्साखेड़ा की चकबन्दी समिति ने सार्वजनिक कार्यों के निमित्त कुल ३४ बीघा ६ बिस्वा १० बिस्वान्सी भूमि सुरक्षित करने का प्रस्ताव किया था। प्रयोजनों तथा रकबे का ब्योरा सदन की मेज पर रख दिया गया है। नम्बरों की सूची मेरे कार्यालय में देखी जा सकती है।

(देखिये नत्थी "घ" आगे पृष्ठ ७६७ पर)

*१०३---**श्री रामकिशोर**---क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व सुरक्षित भूमि अब चकों में शामिल कर दी गई है, यदि हां, तो क्या चकबन्दी समिति ने इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव स्वीकार किया और किस तारीख को और मेम्बरों की उपस्थिति कितनी थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---सार्वजनिक कार्यों के निमित्त पूर्व सुरक्षित भूमि चकों में शामिल नहीं की गई। अतः चकबन्दी समिति के द्वारा इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव स्वीकार किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

*१०४---**श्री रामकिशोर**---क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अब सार्वजनिक प्रयोग के निमित्त कितनी भूमि किस प्रयोजन के लिये शेष है ? नम्बर व रकबा क्या है, तथा कन्सा खेरा के मजरा बाबूपुर के पास किस प्रयोजन के लिये कितनी भूमि सुरक्षित है, रकबा तथा नम्बर क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---ग्राम कन्साखेरा में सार्वजनिक कार्यों के लिये जो भूमि प्रश्न संख्या १०२ के उत्तर में उल्लिखित है वही अब भी सुरक्षित है। कन्साखेड़ा के मजरा बाबूपुर के पास सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये सुरक्षित भूमि का ब्योरा सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(देखिये नत्थी "ङ" आगे पृष्ठ ७६७ पर)

मेरठ जिले में पक्की सड़कें तथा नलकूप

*१०५---**श्री तेजसिंह** (जिला मेरठ)---क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में मेरठ जिले में कौन-कौन सी पक्की सड़कें बनेंगी और कहां-कहां नये नलकूप लगेंगे।

श्री गिरधारीलाल---आवश्यक सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रक्खी सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ७६८-७६६ पर)

भू-दान में प्राप्त जमीन भूमि का वितरण

*१०६---**श्री चैतन्य राज सिंह** (जिला अलीगढ़) तथा **श्री भानुप्रताप सिंह** (जिला बस्ती)---क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक कुल कितनी भूमि बिनोबा जी के भूदानान्दोलन में प्राप्त हुई और उसमें से कितनी भूमि का वितरण हो चुका है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---३०-६-६१ तक २,८७,२१८ एकड़ भूमि भूदान में प्राप्त हुई थी तथा उक्त तिथि तक १,२४,६६६ एकड़ भूमि वितरित की जा चुकी है।

*१०७---**श्री चैतन्यराज सिंह** तथा **श्री भानुप्रताप सिंह**---जो भूमि वितरित नहीं हुई उसके न वितरण होने का क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---कुछ भूमि वितरित न हो पाने का मुख्य कारण यह है कि उक्त भूमि अधिकतर बंजर, जंगल तथा ऊसर है। इस भूमि की अभी तक कई जिलों में हदबन्दी भी नहीं हुई है।

कूड़ा नदी के मुहाने घाट पर पुल निर्माण की योजना

*१०८—**श्री चन्द्रपाल** (जिला बस्ती)—क्या सरकार बतायेगी कि बस्ती जिले के निवासियों की कठिनाई का अनुभव करते हुए कूड़ा नदी पर मुहाने घाट पर किसी पुल के निर्माण की योजना बना रही है ? यदि हां, तो कब योजना चालू होगी ?

श्री गिरधारीलाल—प्रथम भाग : —जी नहीं ।

द्वितीय भाग : —प्रश्न नहीं उठता ।

बहगवां ग्राम के प्लाटों को मियाद के अन्दर बेदखल कराने तथा अधिक सालाना लगान पर उठाने के बारे में जिलाधीश को प्रार्थना-पत्र

*१०९—**श्री उल्फत सिंह** (जिला बदायूं)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं, तहसील सहसवान में ग्राम दहगवां में नम्बर २२९६–२२९८–२२९९–२३०० जो कि ग्राम सभा की सम्पत्ति है जो एक ही आदमी के पास है उन्हें मियाद के अन्दर ही प्रधान ने बेदखल करा लिया ? यदि हां, तो कब ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं । यह चारों प्लाट गांव समाज में निहित है और निहित होने के दिनांक से अब तक गांव समाज की ओर से सर्वश्री अशर्फी लाल, बांकेलाल व गनेशी लाल के कब्जे में ५० रुपये सालाना लगान पर है । जब तक लगान अदा किया जाता है इन व्यक्तियों की बेदखली का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

*११०—**श्री उल्फतसिंह**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त नं० को १०० रुपये सालाना पर उठाने के बारे में जिलाधीश महोदय के यहां ५–६ महीने पहले प्रार्थना-पत्र आये हैं ? यदि हां, तो उनके बारे में क्या कार्यवाही हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां । चूंकि उक्त भूमि का सही लगान ५० रु० सालाना है और १०० रुपये सालाना लगान पर उठाने के प्रार्थना-पत्र ग्रामवासियों की पार्टी बन्दी के कारण दिये गये थे इसलिये कलेक्टर को इस संबंध में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता उत्पन्न नहीं हुई ।

शिक्षा सर्वेक्षण के कार्य हेतु टी० ए० तथा डी० ए० के भुगतान

*१११—**श्री रामचरण शाह**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो शिक्षा विभाग की ओर से सन् १९५७–५८ में शिक्षा सर्वेक्षण का कार्य अध्यापकों के द्वारा करवाया गया था उसका भत्ता (T.A. and D.A.) अब तक दिया गया है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आचार्य जुगलकिशोर—कुछ अध्यापकों को भत्ते का भुगतान पिछले वर्षों में किया जा चुका है ? शेष भत्तों का भुगतान अभी तक नहीं हो सका है, क्योंकि इनके बिल प्रीआडिट के लिये हैं ।

अतारांकित प्रश्न

बावनी इलाके में आबी टैक्स वसूल करने के आंकड़े

*१—**श्री शिवसम्पत्ति शर्मा** (जिला जालौन)—कदौरा जिला जालौन के बावनी इलाके की जनता से जो आबी टैक्स वसूल किया जाता है उसकी सालाना वसूली क्या है पिछले तीन साल में सालाना अलग-अलग आंकड़े बताने की कृपा करें ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---कदौरा जिला जालौन के बावनी इलाके की पिछले तीन साल की आबो भूमिकर की सालाना वसूली के आंकड़े निम्नलिखित हैं :

	रु०	न० पै०
१३६६ फसली	१८,३४९	६१
१३६७ फसली	११,५१८	२४
१३६८ फसली	१६,९१३	२०

माध्यमिक शिक्षकों के लिये महंगाई भत्ते में वृद्धि की प्रार्थना

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)---अभी कुछ दिन पूर्व माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने यहां पर घोषणा की थी कि माध्यमिक शिक्षकों के लिये ज्यादा महंगाई भत्ते की घोषणा की जायगी लेकिन अभी तक वह हो नहीं पायी। अब सत्रावसान भी होने जा रहा है, इसलिये आपके माध्यम से मेरी प्रार्थना है कि उसकी घोषणा कर दी जाय।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री मुकुन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)---श्रीमन्, मैंने कुछ प्रश्न पूछे थे जिनका उत्तर ७ वें शुक्रवार को देने के लिये निर्धारित था और अब सत्रावसान हो रहा है, तो क्या फिर कोई अधिवेशन इसके लिये होगा जब कि सातवां शुक्रवार होगा ?

श्री अध्यक्ष---अब अगले अधिवेशन में पहले शुक्रवार को आ जायगा।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष---अब एक विशेषाधिकार की सूचना मेरे पास आयी है माननीय कृष्णानन्द राय जी की। माननीय उग्रसेन जी ने एक शब्द "ऐशो आराम" का इस्तेमाल किया था जिस पर उन्होंने आपत्ति की है। 'ऐशोआराम' से मतलब कम्फर्ट से है। वह शब्द ऐसा नहीं है जिसके लिये आपत्ति की जाय।

प्रदेश में बढ़ाये जाने वाले करों के सम्बन्ध में नियम ५०, ५२ तथा ५३ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष---अब वह विषय जिस पर कि हमारे पी० एस० पी० वाले सदस्यगण चले गये थे, उस संबंध में नियम ५०, ५२ और ५३ के अन्तर्गत प्रश्न आये हैं। इसमें कोई शंका नहीं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और डाक्टर जेड० ए० अहमद साहब ने जो सूचना दी है वह भी इस विषय पर बल दिया है। माननीय श्रीपाल सिंह व माननीय कल्पनाथ सिंह की भी सूचनाएं आयी हैं। एक बात मैं यहां निवेदन अवश्य कर दूं कि १२ अप्रैल, ६२ को माननीय वित्त मंत्री ने अपना बजट भाषण दिया था और माननीय जेड० ए० अहमद साहब ने अपने पत्र में पूरा उद्धरण उस बजट भाषण के उस भाग का दिया है जिसमें वित्त मंत्री जी ने संकेत किया था कि हम करों के द्वारा या और जो भी उपाय हो सकते हैं उनसे अपने १३ करोड़ ३५ लाख रुपये की कमी को पूरा करने का प्रयत्न करेंगे। उनके शब्द हैं---"फिर हमारे लिये सिवाय इसके दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं कि हम १३ करोड़ ३५ लाख रुपये के संशोधन अतिरिक्त कर लगा कर जुटावें। उनकी इस घोषणा के बाद बजट वाद-विवाद में भाग लेने वाले सभी मंत्रि परिषद् के सदस्यों ने कर लगाना अनिवार्य बताया। माननीय मुख्य मंत्री जी ने तो यहां तक कहा कि केन्द्रीय आयोजना बोर्ड ने यह सुझाव दिया है कि राज्य सरकारें किसानों के लगानों में ५० प्रतिशत वृद्धि कर सकती हैं।

[श्री अध्यक्ष---]

हमें स्मरण रखना चाहिये कि आज के भारत को कल आने वाली स्थिति का सामना करना होगा। जनता को धनराशि जुटाने के लिये यथा सम्भव प्रयत्न करना होगा और उसके लिये जो भी जरूरी उपाय किया जायगा उसे सदन के समक्ष रखा जायगा।

अब १२ अप्रैल के पश्चात् ५ दिन तक यहां सामान्य बहस होती रही, अनुदानों पर बहस होती रही है और इस बात का पहले पहले जिक्र इस सदन में ३० अप्रैल, १९६२ को हुआ। और माननीय श्रीपाल सिंह जी ने अल्पसूचित प्रश्न २६ मई, १९६२ को दिया था जिसका उत्तर ३० मई सन् १९६२ को आया। तो अविलम्बनीय मैं इसको मानता नहीं और न आदरणीय सदस्य ने ही उसे अविलम्बनीय माना है। मगर मैं समझता हूं कि यह एक लोक महत्व का प्रश्न अवश्य है। और इस दृष्टि से कि आदरणीय सदन के सदस्यगण कदाचित् कुछ ऐसे सुझाव और ऐसी बातें सदन के समक्ष रख सकें कि जिनको ध्यान में रख कर सरकार भी अपनी नीतियों का निर्धारण लोकमत के अनुसार कर सकें। इस दृष्टि से और इतना आग्रह सभी पार्टियों का देख कर मैंने यह निर्णय किया है कि इस प्रश्न को मैं माननीय श्री पाल द्वारा नियम ५० के अन्तर्गत जो सूचना दी गई है उसके अनुसार आधा घंटे का समय सोमवार को या किसी और दिन रख दूं। सोमवार को ऐप्रोपियेशन बिल भी है उस दिन भी समय निकाल कर विचार कर सकते है या शनिवार को कर सकते हैं। इसको मैं वित्त मंत्री जी के पास भेजे देता हूं। मुझे यह सूचना मिल रही है कि कल शाम को एक दूसरे विषय पर भी आधा घंटे का विवाद है, इसलिये अगर वह आज चाहेंगे तो आज वर्ना सोमवार को इस को ले लेंगे।

डाक्टर जेड० ए० अहमद (जिला आजमगढ़)---श्रीमन्, आप ने खुद इस बात को तसलीम किया है कि यह एक ऐसा विषय है कि जिस पर बातचीत होना चाहिये, बहस होना चाहिये, अगर यह विषय महत्वपूर्ण है तो इस के लिये आधा घंटे का समय बहुत कम है। आधे घंटे में कितने लोग बोल सकेंगे, किस तेजी से अपने विचार पेश कर सकेंगे यह मैं नहीं जानता, इसलिये विषय के महत्व को देखते हुये मेरी दरख्वास्त है कि कम से कम २ घंटे का समय इसके लिये रखा जाय।

श्री अध्यक्ष---हमारी दिक्कत यह है कि बजट सेशन में हम प्राथमिकता बजट को ही देते बजट से हम समय निकाल नहीं सकते लेकिन यह हो सकता है कि अनुदानों के समाप्त होने के बाद सोमवार को सदन एप्रोप्रियेशन बिल जल्द पास कर दे तो कुछ अधिक समय इसके लिये मिल जायगा।

डाक्टर जेड० ए० अहमद---हम तैयार हैं बजट की बहस के अलावा समय और निकाला जाय।

श्री अध्यक्ष---मैं यथाशक्ति कोशिश करूंगा कि अधिक से अधिक समय दूं।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---श्रीमन्, नियम ५० में तो व्यवस्था ही आधा घंटे की है और नियम ५० में यदि आप इस को लेंगे तो उस की कुछ लिमिटेशन है....

श्री अध्यक्ष---उसको मैं ठीक कर दूंगा, ५० या ५२, में जिस में भी आयेगा, ले लूंगा।

श्री गेंदासिंह---मैं जिद्द तो नहीं करता, आप इस को नियम ५३ में स्वीकार करें और उस के अनुसार ढाई घंटे का समय मिल जायगा और लोग अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे और सरकार और इस दल के लोगों के साथ भी न्याय हो सकेगा।

श्री अध्यक्ष---ढाई घंटा तो अधिक है लेकिन मैं समय निश्चित कर दूंगा।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)---श्रीमन्, जैसा कि माननीय जेड० ए० अहमद ने कहा यह विषय विशेष महत्व का है, मैं भी चाहता हूं कि इस के लिये कम से कम २ घंटे का समय रहे।

वह समय सदन के समय के बाद निकाला जाय या जैसा कि अपर हाउस में हो रहा है कुछ पहले से एक दिन सिटिंग सदन की कर लें। यह विषय गंभीर है और सर्वप्रभावी है इसलिये समय २ घंटे का आप निश्चित कर दें।

श्री अध्यक्ष—मैंने तो इस संबंध में अपनी बात रख दी है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मेरा पहला निवेदन तो यह है कि इसी संबंध में मैंने और श्री नरसिंह नारायण जी ने भी सूचना दी थी इसलिये आप उसके लिये २ घंटे के विवाद का मौका दें दूसरे आज प्रदेश के कोने-कोने से हजारों किसान आये हुये हैं अपनी मांगें ले कर कि अलाभकर खेतों की मालगुजारी माफ की जाय, गरीबों की हालत में सुधार किया जाय, इस लू में दूर-दूर से आये हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप सरकार से और मुख्य मंत्री जी से कहें कि अपने राजा, रानियों से जो चिथड़ों में आये हैं, मिल लें, उनकी बातें सुन लें, उनकी तकलीफों को सुनें और उन पर विचार करें। और मैं निवेदन करूंगा कि सभी माननीय सदस्य उनकी बातें सुन सकें। इसलिये आज आप सदन की कार्यवाही बन्द कर दें। इस पर आप व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष—जहां तक समय का प्रश्न है आप उसको मेरे ऊपर छोड़ दें। मैं स्वतः यह नहीं चाहता किसी तरह से हम आपको अपने विचार व्यक्त न करने दें। हम चाहते हैं यहां पर विचार अच्छी तरह से व्यक्त हों.....

श्री बलवान सिंह (जिला कानपुर)—श्रीमन्, नियम ५३ में यही सवाल कल आया था।

श्री अध्यक्ष—मेरी मुश्किल यह है कि आपको अपने ऊपर विश्वास है लेकिन दूसरे पर विश्वास नहीं है। एक बात मैं कह रहा हूं, अभी मैंने उस सम्बन्ध में कोई आदेश तो दिया नहीं है। मैं समय के लिये निश्चय कर रहा हूं। माननीय गेंदासिंह जी तथा जेड० ए० अहमद साहब ने एक बात कही, मैं इनकी बातों की कद्र करता हूं। माननीय नेता विरोधी दल ने भी एक बात कही है, तो क्या मैं इस पर विचार नहीं करूंगा? मैं अवश्य विचार करूंगा और विचार करके, समय निश्चित करके, देखकर कोई निश्चय कर दूंगा। और अगर नियम ५० में दिक्कत होगी तो कुछ और रास्ता सोच लेंगे।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—अध्यक्ष महोदय, एक बात कहना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष—आप कृपया अभी बैठें। माननीय उग्रसेन जी, जहां तक आपने प्रश्न किया मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं सदन को स्थगित करूं और अगर मेरा अधिकार होता तो कदाचित आपकी बात पर मैं विचार कर सकता। इसलिये मैं बिलकुल असमर्थ हूं आपकी दरख्वास्त को स्वीकार करने में।

श्री उग्रसेन—माननीय मुख्य मंत्री जी अपने राजा रानियों को जरा देख लें चल कर कि कैसे चिथड़ों में लिपटे हुये दूर-दूर से आये हैं। आप उनसे कह सकते हैं।

(कई लोगों के एक साथ खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य अगर खुद नियमों का पालन नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा?

श्री उग्रसेन—आप, मान्यवर, मुख्य मंत्री जी से तो कह दें, चाहे आपकी बात मानें या न मानें कम से कम उन गरीबों से मिल तो लें।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—मैं समझता हूं यह आपके लिये कतई उचित न होगा कि आप मुख्य मंत्री से कहें।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है। क्या माननीय सदस्य आपको सिखा सकते हैं?

श्री अध्यक्ष (माननीय दीपनारायण सिंह के खड़े होने पर)---आप कृपा करके बैठ जायं। जो मेरा काम है मैं उसे कर लेता हूं।

श्री दीपनारायण सिंह (जिला फतेहपुर)---श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न था। आपने यह कहा कि आप सर्व श्री गेंदासिंह, जेड० ए० अहमद की बात की कद्र करते हैं तो क्या अन्य माननीय सदस्यों की बातों की कद्र नहीं की जाती ?

श्री उग्रसेन---श्रीमन्, आपने अपनी असमर्थता प्रकट की है सदन बन्द करने में। अगर माननीय मुख्य मंत्री और सरकार प्रदेश के राजा रानियों की बात नहीं सुन सकते तो हमारे लिये और सोशलिस्ट पार्टी के लिये सदन में बैठना बहुत मुश्किल है। इसके विरोध में हम सदन का परित्याग करते हैं और अब भी आशा करते हैं कि गरीबों की जो मांगें हैं अलाभकर जोतों की मालगुजारी हटाने के लिये उसके सम्बन्ध में सरकार कोई आदेश करेगी। इन शब्दों के साथ सोशलिस्ट पार्टी सदन का परित्याग करती है।

(समाजवादी दल के समस्त सदस्यों ने सदन त्याग किया।)

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं

श्री अध्यक्ष---मेरे पास नियम ५२ की सूचनायें आयी हैं। उनमें से एक श्री रामकिशोर त्रिपाठी की है। टिड्डी दल का जो आक्रमण हुआ है उससे संबंधित है और एक व्यापक और महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको मैंने स्वीकार किया है। इसके साथ माननीय नरसिंहनारायण जी का भी इसी विषय पर है। उसको मैं पढ़े देता हूं कि---

"उत्तर प्रदेश में टिड्डी दल का बड़े पैमाने पर आक्रमण हो चुका है जिसका प्रकोप मथुरा, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर आदि जिलों में हुआ है और दिन पर दिन यह आगे बढ़ रहा है। ऐसी दशा मे इस लोक महत्व के प्रश्न द्वारा आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस टिड्डी दल को समाप्त कर काबू पाने हेतु तत्काल आवश्यक कदम उठाने चाहिये ताकि इस डिड्डी दल द्वारा होने वाली क्षति से बचाया जा सके। यदि समय रहते तत्काल कोई व्यवस्था न की गई तो प्रदेश को काफी क्षति उठानी पड़ेगी और इस टिड्डी दल पर काबू पा सकना मुश्किल हो जायगा।

माननीय राजस्व मंत्री जी इस सम्बन्ध में आप बयान दे सकेंगे ?

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री बृजबिहारी)---श्रीमन्, सरकार अपने कर्त्तव्य के प्रति जागरूक है और इस सम्बन्ध में जिलाधीशों से पूछतांछ की जा रही है और विस्तृत सूचना आने पर मैं निवेदन कर सकूंगा और सोमवार को वक्तव्य हो सकता है।

श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)---श्रीमन्, मैंने भी एक प्रस्ताव इसी सिलसिले में दिया कि कानपुर की बस्ती में हैजा फैल रहा है लेकिन आपने स्वीकार नहीं किया।

श्री अध्यक्ष---बड़ा कंफ्यूजन है। मैंने निवेदन कर दिया है कि एक दिन में मुझे एक ही सूचना स्वीकार करने का अधिकार है। जब यह सूचना ले ली तो इसका यह मतलब नहीं है कि आपकी सूचना नगण्य समझता हूं, उसका आदर करता हूं। लेकिन मैंने जिसे अधिक महत्व का समझा, इसलिये ले लिया। अपनी-अपनी सूचनायें तो सभी महत्वपूर्ण समझते हैं। एक को मैंने ले लिया तो दूसरे नहीं ले सकता हूं। (माननीय सदस्य के खड़े होने पर) इस समय आप क्यों खड़े होते हैं, आप आ जाइये और यदि आप चाहें तो अपनी सूचना मंत्री जी को भेज दीजिये।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)---श्रीमन्, मैंने जो पहले माध्यमिक शिक्षक संघ के बारे में कहा था उस सम्बन्ध में आप मंत्री जी से वक्तव्य दिला देते तो अच्छा होता।

श्री अध्यक्ष—माननीय नेता विरोधी दल बैठे हैं और यह आश्वासन समिति के सभापति रहे हैं, जिस चीज का आश्वासन हो गया है वह समिति में चला गया है। इसलिये आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वह कर लेंगे।

उत्तर प्रदेश राज्य स्वास्थ्य परिषद् की परामर्शदात्री समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष—कुछ सूचनायें मैं आदरणीय सदन के समक्ष रखता हूं।

राज्य स्वास्थ्य परिषद् की परामर्शदात्री समिति में कार्य करने के लिये निम्नलिखित ५ सदस्य उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा निर्वाचित हुये हैं।

(१) श्री राजनारायण, सदस्य विधान सभा, ग्राम केलावर, डाकखाना बसुआ, जिला वाराणसी।

(२) श्री हरी सिंह, सदस्य, विधान सभा, ६६६/२, सोतीगंज, मेरठ सिटी।

(३) श्री बैजनाथ सिंह वैद्य, सदस्य, विधान सभा, ग्राम व डा० अमेठी, जिला सुल्तानपुर।

(४) श्री प्यारे लाल, सदस्य, विधान सभा, शाहाबाद, जिला हरदोई।

(५) श्री मंगलदेव, सदस्य, विधान सभा, मो० आराजी बागात, जिला आजमगढ़।

महिला संस्था तथा बाल संस्था प्रशासकीय बोर्ड की परामर्शदात्री समिति के निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष—महिला संस्था तथा बाल संस्था प्रशासकीय बोर्ड की परामर्शदात्री समिति में कार्य करने के लिये निम्नलिखित तीन सदस्य उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा निर्वाचित हुये हैं :—

(१) श्रीमती किश्वर आरा बेगम, सदस्या, विधान सभा, घेर सैफुद्दीन खां, रामपुर।

(२) श्रीमती बेनीबाई, सदस्या, विधान सभा, चीक डमेला, मौरानीपुर, मऊ, जिला झांसी।

(३) श्रीमती शकुन्तला नायर, सदस्या, विधान सभा, लोरपुर हाउस, फैजाबाद।

यू० पी० नर्सेज और मिडवाइव्ज कौंसिल के निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष—यू० पी० नर्सेज मिडवाइव्ज, असिस्टेंट मिडवाइव्स, आगजिलियरी नर्स, मिडवाइव्स ऐंड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १९३४ की धारा ४ की उपधारा (१) के खंड (बी) के उपखंड (२) के अन्तर्गत "यू० पी० नर्सेज और मिडवाइव्ज कौंसिल" के लिये निम्नलिखित दो सदस्य उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा विधिवत निर्वाचित हुये हैं।

१—श्री ए० सी० ग्राइस, सदस्य, विधान सभा शुगर वर्क्स, बँगलो, कानपुर।

२—श्रीमती शकुन्तला नायर, सदस्या, विधान सभा, लोरपुर हाउस, फैजाबाद।

कतिपय समितियों में एकमत से निर्वाचन तथा अन्य का निर्वाचन कार्यक्रम

श्री अध्यक्ष—अब मुझे सूचना दी गयी है कि कुछ समितियां ऐसी हैं जिनमें नाम वापस ले लिये गये हैं। समिति में जितनी संख्या होनी चाहिये उतने के ही नाम निर्देशन रह गये हैं उन समितियों का निर्वाचन नहीं होगा। वह समितियां हैं—

शरणार्थी स्थायी समिति—१६ सदस्य, सामान्य प्रशासन स्थायी समिति—१६ सदस्य, सार्वजनिक निर्माण स्थायी समिति—१६ सदस्य, विद्युत स्थायी समिति—१६ सदस्य, श्रम स्थायी समिति—१६ सदस्य, वन स्थायी समिति—१६ सदस्य, न्याय तथा विधान सम्बन्धी स्थायी समिति—१६ सदस्य, कृषि तथा पशु-पालन स्थायी समिति—१६ सदस्य, आबकारी स्थायी समिति—१६ सदस्य, जेल स्थायी समिति—१६ सदस्य, चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य स्थायी समिति—१६ सदस्य, स्थानीय स्वशासन सम्बन्धी स्थायी समिति—१६ सदस्य, रसद स्थायी समिति—१६ सदस्य, सहकारी स्थायी समिति—१६ सदस्य, समाज कल्याण स्थायी समिति—१६ सदस्य, राष्ट्रीय एम्प्लायमेंट स्थायी समिति—१६ सदस्य।

अब जिन समितियों में एलेक्शन होगा, ४ जून, १९६२ को, उन समितियों में जो मेम्बर्स का मैक्सिमम नम्बर होना चाहिये उससे अधिक है, इस कारण से उनमें ४ जून, १९६२ को १२ बजे से ५ बजे तक विधान वाचनालय में चुनाव होगा। वे समितियां हैं—लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, हरिजन सम्बन्धी स्थायी समिति, सिंचाई स्थायी समिति, शिक्षा स्थायी समिति, माल स्थायी समिति, सूचना स्थायी समिति, पुलिस स्थायी समिति, यातायात स्थायी समिति, उद्योग स्थायी समिति, विकास तथा नियोजक स्थायी समिति, रुड़की यूनिवर्सिटी सिनेट। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इनका निर्वाचन ४ जून, १९६२ को १२ बजे से ५ बजे तक विधान वाचनालय में होगा।

नियम ५२ के अन्तर्गत होने वाले वक्तव्य के सम्बन्ध में जानकारी

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मैं एक-आध मिनट आप से निवेदन करना चाहता हूं कि बलिया अदालत में से मुलजिम गिरफ्तार करने पर नियम ५२ के अन्तर्गत एक प्रश्न एक रोज पेश हुआ था। आपने उस सूचना को जो आयी थी अपर्याप्त समझ कर फिर माननीय मंत्री जी को कहा था कि सदन के सामने पूरी सूचना दे दें। अब ४ तारीख को यह सदन स्थगित होने जा रहा है। इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि वह बड़ी आवश्यक चीज है उस पर फिर माननीय मंत्री जी को याद दिला दें और कहें कि वह सूचना इसके ऊपर दे दें कृपा करके।

श्री अध्यक्ष—अच्छा मुझे आप लिखकर दे दीजियेगा तो मैं कह दूंगा।

१९६२-६३ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १६—खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन और अनुदान संख्या ५५—राज्य व्यापार की योजनाएं

रसद मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, सन् १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १६—खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, ४८,२८,५०० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अध्यक्ष महोदय, दोनों ग्रान्ट में मूव कर दूं?

श्री अध्यक्ष--जी हां ।

श्री जगमोहन सिंह नेगी--मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५५--राज्य व्यापार की योजनायें, के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ८,९०,५३,१०० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व इसके कि मैं यह बताऊं कि हमारे प्रदेश की खाद्य स्थिति बड़ी सन्तोषजनक है। मैं माननीय सदस्यों को यह सूचित कर देना आवश्यक समझता है कि खाद्य के विषय में पूर्ण अधिकार केन्द्र को है और राज्यों के हाथ में केवल वितरण का ही अधिकार है। जब कोई कार्य हमें करना पड़ता है तो केन्द्र से उनको पावर्स डेलीगेट करने के लिये आग्रह करना पड़ता है। इससे माननीय सदस्य निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हमारे सम्मुख आवश्यकीय कार्यों में कितनी कठिनाइयां उपस्थित होती होंगी। खैर, इन कठिनाइयों के होते हुये, इस पृष्ठभूमि में भी साल दो साल पहले हमारे प्रदेश की खाद्य स्थिति कितनी भयंकर थी यह बात माननीय सदस्यों से छिपी हुई नहीं है और आज हमें इस बात की प्रसन्नता है कि लगभग साल डेढ़ साल से हमें किसी के भूख से मरने की कोई सूचना नहीं मिली और गेंदा सिंह जी के साथ-साथ हमें भी प्रसन्नता है कि वह अप्रिय बात सुनने को हम लोगों को नहीं मिल रही है और आज हमारे प्रदेश में अन्न का भंडार काफी है। तो हमें इस विषय पर सदैव सतर्कता बरतने की परमावश्यकता है। मैं इस बात को बताता हूं। हमारे प्रदेश में गेहूं और चावल ये खास अन्न हैं जिनका प्रयोग जनता करती है। वैसे मोटा अनाज भी है और मोटे अनाज पर अभी तक कभी नियंत्रण नहीं रहा। यही कारण था कि इन अनाजों का भाव बराबर बढ़ता चला गया। खैर, किसी न किसी प्रकार से उस पर हमने नियंत्रण किया। अब आने वाले महीन म और बरसात में कैसी परिस्थिति होगी, उसके बारे में अभी तक उपज का जो एस्टीमेट लगाया है उसका ठीक-ठीक अनुमान तो अभी नहीं आया लेकिन उससे मालूम होता है कि १९६०-६१ में गेहूं ९७ लाख ३३ हजार एकड़ में था और १९६१-६२ में वह १ करोड़ १ लाख २६ हजार एकड़ में था। इसका मतलब यह है कि ३९३ हजार एकड़ में ज्यादा गेहूं बोया गया और उसी तरह से प्रोडक्शन भी ज्यादा हुआ। १९६०-६१ में प्रोडक्शन ३,८८२ हजार टन था और सन् १९६१-६२ में वह ३,९३४ हजार टन हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें ५२ हजार टन की बढ़ोत्तरी रही। यह रबी की फसल का हाल मैंने बताया ।

चने और जौ की पैदावार में कुछ कमी मालूम होती है। आजकल हम उसका अनुमान इससे लगाते हैं कि मंडियों में अनाज किस प्रकार से आ रहा है। गत वर्ष इसी महीने की १६ तारीख को गेहूं करीब ७,३११ क्विन्टल बाजार में आया था। इस वक्त ७९२९ क्विन्टल सन् १९६२ में आया है। किन्तु चने और जौ में कुछ कमी है और वह गत वर्ष के अनुपात से कुछ कम बाजार में आ रहा है। मगर लोग कितना ले रहे हैं वह इससे पता चलता है जैसे गोरखपुर रीजन में सरकारी दुकानों से पिछले साल सन् १९६१ में गेहूं की साप्ताहिक बिक्री २३८ टन थी और इस साल वह ३८१ टन साप्ताहिक है। चौथे महीने की १४ तारीख को ३७० टन इस साल था और २९४ पिछले साल था और अब हाल ही में सन् १९६२ में १२-५-६२ को १६९ टन था, वह पिछले साल १४२ टन था। इसके माने यह हैं कि अब की गोरखपुर रीजन में मांग ज्यादा है। इससे अनुमान लगाते हैं कि सम्भवतः वहां बरसात के दिनों में हमें इस दिशा में बड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। हमारे पास जो इस वक्त स्टाक है उससे सम्भवतः कोई असर इस बात से न पड़े ।

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

फेयर प्राइस शाप्स हमारी जितनी चल रही थीं वह हमने बन्द नहीं की। कहीं स्वतः लोगों ने, जहां पर मांग कम है, अपने आप बन्द कर दी हैं। चावल और गेहूं की खरीदारी के विषय में गतवर्ष हमने इसी भवन में बरसात के महीने में जिस वक्त घोषणा की थी उसके बाद से गेहूं की वसूलयाबी नहीं होती है। चावल अलबत्ता हम खरीद रहे हैं और वह १ लाख टन चावल हमको खरीदना था। उसकी बड़ी अच्छी प्रगति इस वक्त है। हमारे पास स्टाक काफी है। इसके अतिरिक्त पिछले साल कई राज्यों को हमने अन्न दिया था। अब के साल केवल दो ही राज्यों को दिया है। हमारे स्टाक की पोजीशन बहुत सुदृढ़ है और कोई किसी प्रकार के भय की आशंका नहीं है। तो जहां तक खाद्यान्न का सम्बन्ध है कोई दिक्कत नहीं है।

चीनी का जहां तक प्रश्न है गतवर्ष बरसात के दिनों में उसका डिकंट्रोल हो गया था जबकि बाजार भाव और कंट्रोल भाव में कोई अन्तर नहीं रह गया था। चीनी के भाव के विषय में हमने जानबूझकर केन्द्रीय सरकार से डिकंट्रोल की सिफारिश नहीं की थी। उन्होंने स्वतः ऐसा किया क्योंकि अगर हम इस बात के लिये कहते और चीनी के भाव के लिये उनसे कहते तो उसका असर हमारे ऊपर भी आता मगर हमने इस बात को नहीं किया। उन्होंने स्वतः ही किया। यह उनकी जिम्मेदारी है और जैसी सदस्यों को आशंका थी कि चीनी का भाव बढ़ रहा है, मेरे ख्याल से वह एक आध पैसे के अन्तर से आज भी चल रहा है। उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। इसलिये यह नतीजा निकालना कि चीनी का भाव बढ़ेगा, मेरे खयाल से कोई सही बात नहीं है। चीनी का उत्पादन भी बढ़ जाने वाला है और उसकी खपत होना एक बड़ा प्रश्न है इसलिये आज चीनी का कोई सवाल नहीं रह गया है।

जहां तक सीमेंट का सवाल है, यह जरूर है कि पिछले साल उसमें कुछ गलत वितरण होने की वजह से कई जिलों में वितरण पर कंट्रोल करना पड़ा। कई जिलों में ज्यादा पहुंच गयी थी और कई जिलों में बहुत कम पहुंची थी इस वजह से लोगों को बड़ी शिकायत हुई और जहां डिकंट्रोल था वहां कुछ थोड़ा कंट्रोल लगाना पड़ा। लकिन जहां के माननीय सदस्यों या डी० एम० ने लिखा कि पोजीशन संतोषजनक है वहां से कंट्रोल हटा लिया गया। इस तरह से सीमेंट पर कोई कंट्रोल नहीं है, केवल उसके वितरण पर कंट्रोल है कुछ काल के लिये जबकि यह संभावना रहती है कि कहीं एक ही आदमी सारा सीमेंट न ले जाय और बाकी उसकी वजह से महरूम रह जायं। यह ठीक है कि सीमेंट के कोटे में कमी है लेकिन वह भी उत्पादन बढ़ने से बढ़ेगा। उसमें वैगन्स का कोई सवाल नहीं है। हम रोड ट्रान्सपोर्ट से भी मंगा लेते हैं। १९६१ के सेकेन्ड क्वार्टर में १,४७,३०० टन कोटा था जिसमें से १ लाख ४६ हजार ५८३ टन पहुंचा। उसके बाद के क्वार्टर में १ लाख ४७ हजार ३०० के कोटे में १ लाख ३५ हजार ६८३ टन पहुंचा। बाकी नहीं पहुंच पाया। १९६२ के पहले क्वार्टर में १ लाख ४७ हजार ३०० टन का कोटा था और ४००० टन का कोटा पश्चिमी जिलों के लिये अलग से था और कुल १ लाख ५३ हजार ९९२ टन पहुंचा। तो इसके माने यह हैं कि पूरा कोटा पहुंच गया। कमी तो उत्पादन बढ़ने से दूर होगी और वह लोगों को आसानी से उपलब्ध हो सकेगी।

अब सब से मुख्य प्रश्न आजकल कोयले का है। इसके अतिरिक्त जैसे लोहा है, उसमें सरिया की पोजीशन बड़ी ईजी हो गयी है। बाज बाज जगहों पर लोहे की छड़ें कंट्रोल भाव के निकट दामों पर ही ओपेन मार्केट में बिक रही हैं। शीट्स के उत्पादन में कमी है और मैं आशा करता हूं कि साल, ६ महीने के अन्दर ही इस कमी की पूर्ति हो जायगी। जो केन्द्रीय सरकार की फैक्टरीज हैं उनका उत्पादन बढ़ने से यह कमी पूरी हो सकेगी। चीनी का सवाल इस तरह से हल हो गया, लोहे का सवाल हल हो गया, सीमेंट का प्रश्न लगभग हल होने की हालत में है। यों तो मैं आपसे अर्ज कर दूं कि कपड़े का मसला तो हल हो ही चुका है, उसका एक्सपोर्ट भी होता है। जहां तक मैं यह कहता हूं रिलेटिव तरीके से कि हल हो गया वह दूसरी चीज है, हां, अगर यह कहूं कि पूर्णतया हल हो गया तब तो जरा हंसने की बात है। इसीलिये मैंने सारी

पृष्ठभूमि बतलाई । आप तो विवेकशील सदस्य हैं और अगर हम हर चीज को नुक्ताचीनी की दृष्टि से देखें तो काम करने वाले की भी हिम्मत हार जाती है और अगर रचनात्मक समालोचना हो तो कोई भी गवर्नमेन्ट का सदस्य नहीं हो सकता जो आपके सुन्दर सुझावों को न माने ।

तो पहले हमारे यहां किरोसिन आयल, तेल, कपड़ा, सीमेंट, लोहा इन चीजों की दिक्कत थी । गेहूं २ साल पहले २८-२९ रुपया मन बिकता था । तो चाहे हम पूर्ण सफल न हुये हों और मैं मानता हूं कि केवल किसानों के उत्पादन की चीज पर अगर कंट्रोल करते हैं और अन्य चीजों पर जिनपर किसान मुनहसिर करता है उनके प्राइस लेविल को कंट्रोल नहीं कर पाते तो यह कृषक के साथ में अन्याय है । तो व्यावहारिक रूप से देखा गया कि प्राइस लेविल किस तरह से बनाया जाय । अगर प्राइस लेविल फ्लक्चुएट करते रहते हैं असाधारण तौर पर तो कोई भी प्लान, चाहे इरिगेशन का हो या ऐग्रिकल्चर का या टेक्सटाइल का, कभी ठीक चल नहीं सकता । मगर अभी तक कोई तरीका प्लानिंग कमीशन या नैशनल डेवलपमेंट कौंसिल नहीं ढूंढ़ पायी है । इसमें कई सेमिनार भी हुये, हमारे यहां भी पारसाल हुआ और उसकी रिपोर्ट गवर्नमेन्ट आफ इंडिया को भेजी गयी । फूडग्रेन आवश्यक चीज हैं और अन्य वस्तुओं की प्राइस को कंट्रोल करने के लिये इसकी प्राइस लेबिल को ठीक करना परमावश्यक है, इसलिये इस पर पहले जोर दिया जाता है । जैसा कि आप लोग कहते हैं, फूडग्रेन्स ऐसी चीज हैं जिसपर सारी इकोनामी आधारित है । इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के पहले खाद्यान्नों में सेल्फ सफिशियेंसी होना आवश्यक है, क्योंकि वही फाउन्डेशन है और अगर खाद्यान्नों में प्राइस लेविलिंग हो गया तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में उसे करने में सरलता रहेगी । पर यह हमारा विषय नहीं है, केन्द्र का विषय है । साल्ट की कमी अब नहीं है । यों कमी तो सब चीज की है, आत्म-निर्भर होने में काफी विलम्ब है, लेकिन जहां तक संतोषजनक स्थिति का प्रश्न है, मैं समझता हूं, हमने इस पर काफी काबू पा लिया है ।

अब सवाल कोयले का है, क्योंकि इससे सम्बन्धित समस्यायें विकट थीं । मैं आपको बताऊं कि अन्न का जितना जटिल प्रश्न था और इस सदन में और दूसरे सदन का कोई भी माननीय सदस्य इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं था कि हम किसी हालत में जो बयान दे रहे हैं वह सच हो सकता है । बाज बाज माननीय सदस्यों ने कहा कि यह विशफुल थिंकिंग है । आप गेहूं के भाव को किस तरह से रेड्यूस कर सकते हैं । मैंने कहा कि आप देखेंगे कि कुछ साल के अन्दर उस लेविल पर ले आयेंगे जोकि किसानों के लिये हार्ड नहीं होगा । आज भी हम एग्रीकल्चरल प्राडक्ट्स को एक सीमा के आगे नहीं बढ़ने देते हैं और यह भी सीमा निर्धारित कर दी गई है जब हम प्राइस सपोर्ट देंगे ।

तो जहां तक कोयले की बात है, फूडग्रेन्स पर ज्यादा तवज्जह देने के कारण हम उस पर ज्यादा तवज्जह पहले नहीं दे पाये । अब एकमात्र चीज जो परेशान कर रही है वह है कोयला । आपको मालूम होगा कि कोयले के सम्बन्ध में हम और उच्चस्तर पर हमारे मुख्य मंत्री तक बराबर केन्द्रीय सरकार से लिखा-पढ़ी कर रहे हैं । गतवर्ष भी जब यहां पर केन्द्रीय सरकार के मिनिस्टर आये थे तो हमारी तरफ से कोई कोर-कसर नहीं रखी गई थी, हम बराबर जोर देते रहे हैं । जब केन्द्रीय सरकार वैगन्स बढ़ाने में असमर्थ रही तो उन्होंने सुझाव दिया कि कोल डम्प्स बनाओ चुनांचे हमने मेरठ, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ, फैजाबाद, प्रतापगढ़, इटावा, आगरा और अलीगढ़ में डम्प्स बनाये और अभी ९ डम्प्स और बनाने की योजना है । हमने उनके इस सुझाव को माना । फिर उन्होंने जो एलाटमेंट किया वह मैं बता रहा हूं । स्लैक कोल के १९५९ में ५०,४०० वैगन्स का एलाटमेंट था और १४,९७२ बाट का कोटा था जिसमें करीब ५० हजार ७१८ वैगन्स आ गये । इसके बाद सन् १९६० में ५० हजार और बारह हजार वैगन्स का कोटा था तो कुल ६२ हजार वैगन्स में १७ हजार आये । इसी साल सोफ्टकोक व हार्ड कोक १६ हजार में से ७,७०० वैगन्स आये । ६१ में स्लैक कोक ५० हजार में से २३,८७८ वैगन्स दिये । इसके बाद निरन्तर डम्प बनाने की बात की । जब हमने बहुत

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

प्रेशर डाला तो एक दूसरी योजना बना रहे हैं कि इलाहाबाद तक गंगा और दूसरी तरफ घाघरा से २०-२२ टन की छोटी किश्तियां रिक्वीजीशन की जायं और उनसे कोयला लाया जाय बंगाल बिहार की कोलरीज से। गवर्मनेन्ट आफ इंडिया के सम्बन्धित विभाग ने डेफेन्स डिपार्टमेंट को बड़ी-बड़ी बारजेज, ढाई-तीन सौ टन की बनाने के लिये लिखा है और कहा है कि जुलाई तक दे दें। २०-२५ टन वाली तो ४ फुट पानी में भी गेट कर सकती हैं। बड़ी बड़ी बारजेज तो अभी चल नहीं सकतीं क्योंकि पानी ४ फुट ही है। जहां तक बरसात की बात है, जब कि बाढ़ वगैरह रहती है उस समय के लिये भी मैं पूरी तरह से नहीं कह सकता कि बड़ी बारजेज चल सकेंगी या नहीं, बहरहाल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से जांच-पड़ताल करवाई जा रही है कि नदी से कितना कोल लाया जा सकता है, इसका एक्सपेरीमेंट हो रहा है। हमने यह भी देखा कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ने यह कहा कि हम प्लान के मुताबिक वैगन देंगे। उसमें शार्टफाल हुआ। एक बात यह है कि अब कोयले की रेक्स आती हैं, पहले छुट्पुट २-४ वैगन्स हर गाड़ी के साथ आ जाया करते थे उनसे कुछ काम चल जाता था लेकिन अब रेक की रेक बंद हो जाती हैं। तो यह तरीका भी एडवानटेजियस नहीं साबित हुआ।

यह कहा जाता है कि कोयले को फ्री कर दिया जाय। यह तो आजकल फ्री ही है। माननीय सदस्य कहते हैं कि ब्लैक में भी कोयला बहुत चलता है। हो सकता है हमारी विभागीय गलतियों से ऐसा हो रहा हो। फ्री कर रखा है इसलिये कि किसी तरह से काम चले। कोलरीज में यह आर्डर है कि जो भी कोयला ट्रक पर लेने आये उसके लिये परमिट की जरूरत नहीं है। लेकिन इससे भी नुकसान हो रहा है। इसलिये मैं समझता हूं कि गवर्नमेन्ट आफ इंडिया को लिखें कि जो चाहे कोयला ले जाये लेकिन परमिट से ले। इससे फिर ब्लैक में जाने का मौका नहीं रहेगा। मीटर गेज पर कोयला लाने में कोई झगड़ा नहीं है लेकिन मुगलसराय पर ब्राड गेज में कठिनाई होती है। वहां से ३ स्टेट्स, यू०पी०, पंजाब और दिल्ली को माल जाता है। दिल्ली की पापुलेशन ००.२६ करोड़ है, उसका थर्ड प्लान का आउटले ८१ करोड़ रु० है और वैगन के डिसपैचेज सन् ६० में ३,१२९ थे, ६१ में ४,४४६ थे। पंजाब में १.९८ करोड़ पापुलेशन है, थर्ड प्लान का आउट ले २३१ करोड़ है और वैगन डिस्पैचेज १२,८०६ सन् ६० में और ६१ में १७००१। हमारे यू०पी० की पापुलेशन ७.३८ करोड़ है, हमारा प्लान आउट ले ४९७ करोड़ है और हमें ६० में १७,०६३ वैगन्स दिये तथा ६१ में २३,९७८ वैगन्स। आप अब स्वयं ही देखें की आबादी के अनुसार जो रेशियो इसका है उसमें कितना फर्क है। हमें कितना कम दिया गया है।

एक मजे की बात और सुनिये। अपने आप और भी बहुत से फैसले वे करते रहते हैं सेंट्रल गवर्नमेन्ट ने न केवल हमारे कोटे को ही काट दिया परन्तु यह भी कह दिया कि हैवी इंडस्ट्रीज, एजूकेशनल इंस्टीट्यूशंस, आयल मिल्स और हैवी केमीकल्स, जिनको अब तक सेंटर से कोटा मिलता था, उनका भी कोयला देने की रेस्पान्सीबिलिटी स्टेट की ही कर दी है और बढ़ाया कोटा रत्तीभर भी नहीं है। मिर्जापुर की जो एल्यूमुनियम फैक्टरी है, सिंथेटिक केमीकल फैक्टरी, बरेली की है, उनको भी हमारे जिम्मे कर दिया। अब सिर्फ सिन्थेटिक फैक्टरी को ही १२ हजार टन कोयले की आवश्यकता होती है। जब कि हमारा कोटा ५० हजार का है और हमको मिलता है २३ हजार टन। अब उसमें से १२ हजार अगर उनको दे दिया जाय तो पब्लिक क्या करेगी?

अब हमने एक तरकीब की है। जब हमने देखा कि कभी सेंट्रल गवर्नमेन्ट हमें पानी पर बैठा रही है तो कभी कहीं, तो हमने यह तरकीब की कि प्राविन्शियल कोआपरेटिव फेडरेशन को यह ठेका दिया कि वह ट्रक्स में बरौनी तक कोयला लाये और चूंकि मीटर गाज में वैगन्स की कमी नहीं है इसलिये वहां से मीटर गाज में कोयला लाया जाय। अप्रैल के महीने तक करीब ७५० वैगन कोयला हम ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के लिये लाये बदायूं तक हमने उसको भेजा है। (एक सदस्य-लेकिन वह पड़ भी तो ७५ रुपया टन रहा है)। किसी ने ईंट बना रखी है, अगर कोयला न आया और पानी पड़ गया तो उसकी तो सारी ईंटें ही समाप्त हो जायेंगी। इसलिए जब सारा जाते देखिये

तो आधा लीज बांट। अकलमंदी तो इसी में है। लेकिन अब कोआपरेटिव फेडरेशन उसको बंगाल और बिहार की कोलरीज से ठीक प्रकार से ले आयेगी इसमें कुछ कठिनाई सी मालूम होती है लेकिन हम यह करने जा रहे हैं।

इसके अलावा पहले जो वैगन्स होती थीं वे २२-२३ टन की होती थीं लेकिन अब उनके बदले में गवर्नमेंट आफ इंडिया ने बाक्स टाइप वैगन्स देने का हमें वायदा किया है, जिनमें ५०-५५ टन कोयला आयेगा। मगर उसके लिये उन्होंने कहा कि हमारे पास साइडिंग नहीं है। इसलिये उनके कहने के अनुसार हम अपने खर्च से साइडिंग बनायेंगे और एक लाख रुपया खर्च करके हम लखनऊ व वाराणसी में नई साइडिंग बना रहे हैं जिससे नये बड़े बाक्स डिब्बे वहां आकर उतर सकें। कानपुर में भी बाद में अगर जरूरत होगी तो देखा जायगा, वहां भी करेंगे इस तरह से हम अपने निजी तरीके से, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के सहारे में रहकर या उनके वैगन्स के सहारे में रहकर ही काम नहीं करते। बाकी यह मानी हुई बात है कि हमारे करने पर खर्च ज्यादा होगा क्योंकि हमारे पास केन्द्र के से साधन नहीं हैं। अब हमारी यू० पी० की कोलरी खुदने वाली है वह चालू हो जायगी तो और सहूलियत हो जायगी लेकिन यह बात जरूर है कि अभी भी कोयले की इतनी कमी नहीं है जितनी कि बताई जाती है उस का सबूत यह है कि अभी भी कोयला बाजार में मिल जाता है चाहे वह अवैधानिक तरीके से ही मिलता है, ऐसा लोग कहते हैं लेकिन हमने इसलिये एक तरकीब सोची है, हम प्लानिंग को प्रायरिटी देते हैं तो चाहे इरिगेशन विभाग हो या और कोई विभाग हो, अभी तक यह होता था कि इन विभागों को कोयला मेटीरियल रिसोर्सेज कमेटी के द्वारा मिलता था और हमारे द्वारा केवल लोकल बाडीज और पब्लिक की जरूरत का कोयला बटता था, बाकी हम उन विभागों को दे देते थे। आमतौर पर यह विभाग कानट्रेक्टर्स से ईंटें बनवाते थे, बाद में हमें पता लगा कि यह विभाग पब्लिक कोटा में से कोयला प्रायरिटी से ले लेते थे और यह ठेकेदार इस तरह से इन विभागों की ईंट बनाते थे और जो अपना उन का कोटा था उस को भी अपने लिये रखते थे। उसका कोई अकाउंटिंग नहीं हुआ कि वह कहां गया, बाद में इस विषय पर कुछ चर्चायें चलीं तो अब यह हो गया है कि जो विभागों के अपने भट्टे वाले हैं वह तो करेंगे ही लेकिन जिनके पास भट्टे नहीं हैं और जो अस्थायी रूप से करते थे उनको ईंटें मिलने में तो प्रायरिटी होगी हमारे भट्टों से लेकिन उनको एक लाख ईंट पर एक वैगन कोयला देना पड़ेगा जनरल पब्लिक के हक में। इस सम्बन्ध में पी०डब्लू० डी० वगैरह ने हमें सहयोग दिया और जिलाधीशों को आर्डर गये हैं। तो इस तरह की कोई गलत चीजें न हों इसलिये हम काफी रोकथाम कर रहे हैं। इसके बाद भी अगर हम और लोगों को भी इजाजत दे दें कि जाओ चाहे जहां से ले लाओ तो कैसे पता चलेगा कि कहां से आया है। इस तरह से हम ईमानदारी के साथ और पूरे तौर पर अपने केस को केन्द्र के सामने रख रहे हैं और इस के साथ ही जो अन्य तरीके उपलब्धि के हो सकते हैं वह भी इस्तेमाल करते हैं। यह हम समझते हैं कि आखिर आम जनता के सदस्य किससे कहें, वे तो हम से ही कहेंगे लेकिन यह तो वही दशा है कि बालक अपने माता-पिता के सामने ही पुकार करता है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये, किस माता पिता का दिल ऐसा है जो उनके दुख दर्द को नहीं समझता? उनका भी दिल करता है कि हम अपने बच्चों की इच्छाओं की पूर्ति करें और उन्हें किसी प्रकार का कष्ट न होने दें लेकिन साधनविहीन होने के कारण कभी कभी उनके सामने लाचारी होती है और वह खून के आंसू पी कर रह जाते हैं। मैं समझता हूं कि हमारी कठिनाइयों को आप समझें और वास्तविक स्थिति को समझते हुये हमको न कोसें बजाय इसके कि आप केन्द्रीय सरकार को इसके लिये कुछ कहें। हमने तो वास्तविक स्थिति स्पष्ट कर दी कि हमारी तरफ से इसमें किसी तरह की कोई कोर-कसर नहीं है। अपनी बुद्धि, शक्ति व योग्यता के अनुसार इन सब चीजों के हल करने में हम निरन्तर जुटे हुये हैं। मुझे तो विश्वास है कि जिस प्रकार हमने और जितनी कमोडिटीज हैं उनके बारे में यद्यपि संतोषजनक स्थिति में पहुंच गये हैं उसी प्रकार से हम आशा करते हैं कि साल-छः महीने में कोयले के बारे में भी हम उसी स्थिति में पहुंच जायेंगे जो आज लोहे की है। यदि आपका

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

सहयोग प्राप्त होगा तो हमें इस स्थिति को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। मेरी प्रार्थना है कि आप इस पर उदारता पूर्वक भाषण करें, बजाय मुझे कोसने के सेंट्रल गवर्नमेंट पर जोर दें कि वह कोयले की कमी को पूरा कर दे। शेष आपकी बातों को सुनने के बाद और मैं कुछ कहूंगा।

श्री चन्द्रजीत (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अनुदान संख्या १६—खाद्य और रसद तथा अन्न संगठन में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

इसी प्रकार मैं अनुदान संख्या ५५—राज्य व्यापार की योजनायें में भी यह कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्रीमन्, मैंने खाद्य मंत्री जी का भाषण बड़े गौर से सुना और इसलिये कि हमारा राज्य जो प्रमुख रूप से एक कृषि प्रधान राज्य है, उसकी खाद्य स्थिति क्या है और क्या हमने अपनी इस खाद्य स्थिति की समस्या का सामाधान कर लिया है? मैं समझता हूं कि अभी हमारे राज्य की अगर उन्नति होनी है तो निश्चित रूप से वह इस प्रदेश की कृषि से ही होगी और इस प्रदेश में कृषि का वही स्थान होना चाहिये जो उद्योग का है। उन्होंने इस बात को संभवतः ध्यान में रखा होगा। कहा जाता है कि हमारा राज्य एक कृषि प्रधान राज्य है। हमारी राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत कृषि ही है। जब तक ऐसे राज्य में कृषि की सर्वतोमुखी उन्नति नहीं होती तब तक हमारे राज्य की आर्थिक स्थिति सुचारुरूप से नहीं सुधर सकती। यह बात सही है कि निश्चित रूप से हमारे राज्य की आर्थिक व्यवस्था कृषि पर निर्भर है लेकिन खाद्य मंत्री जी के भाषण को सुनने के बाद मुझे बहुत मायूसी हुई और इसलिये मायूसी हुई कि जो हमारे राज्य की आर्थिक स्थिति का वास्तविक चित्र है उसको सदन के सामने नहीं रखा। उन्हें इस बात को बतलाना चाहिये था कि हमारे राज्य की आवश्यकता कितनी है और उस आवश्यकता की पूर्ति के लिये हम अपने प्रदेश में कितना अन्न उत्पादन करते हैं और आज की स्थिति में बाहर से कितने अनाज का आयात करते हैं। इन सब बातों का साफ चित्र हमारे सामने आना चाहिये। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने संतोष व्यक्त किया कि खाद्य स्थिति सुधरी है, चीनी की स्थिति अच्छी है कोयले की थोड़ी-सी कठिनाई है और उसका दोष राज्य सरकार पर नहीं है बल्कि केन्द्रीय सरकार पर है, इससे जनता में एक कम्प्लीसेंसी का भाव पैदा होगा। यदि प्रदेश में ऐसी कोई स्थिति हो जिससे जनता का मनोबल ऊंचा होता हो और ऐसी बात कही जाय जिससे जनता में निराशा न पैदा हो तब तो वह बात समझ में आती है। लेकिन जिस वक्त सामान्य स्थिति हो उस वक्त सही तस्वीर पेश न की जाय और उल्टा जनता को समझाया जाय कि खाद्य स्थिति अच्छी है तो उसका नतीजा यह होगा कि जनता की तरफ से कोई प्रयास उसको ठीक करने का न किया जायगा और जो सरकार के अन्य विभागों को प्रयास करना चाहिये उसमें भी ढिलाई होगी। नतीजा यह होगा हमारी प्रगति धीमी होगी। मैं चाहता हूं कि इस गम्भीर समस्या पर विचार करने के पहले राज्य की वास्तविक स्थिति क्या है वह बता दूं और उसको ध्यान में रखते हुए हमें इन बातों पर विचार करना चाहिये। एक ऐसा प्रदेश जिसकी मुख्य रूप से आधारशिला कृषि हो वह प्रदेश आज भी सेल्फ सफिशियंट न हो सका हो खाद्य के मामले में, गल्ला बाहर से मंगा कर दिया जाता हो, यह सबसे बड़े दुर्भाग्य की स्थिति है। पिछले ५ सालों के अन्दर १४,०१,२११ मेट्रिक टन गल्ला बाहर से मंगाया गया है। इस वर्ष जनवरी से १९६१ से मार्च १९६२ तक ४ करोड़ ६५ लाख २९ हजार ८१२ रुपये का गेहूं बाहर से मंगाया गया है। आप ध्यान दें कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। पिछले ५ वर्षों में इस राज्य के अन्दर केवल गेहूं लगभग १३ लाख मेट्रिक टन मंगाया गया और सवा लाख मेट्रिक टन की कीमत ४ करोड़ ६५ लाख २९ हजार ८१२ रु० के करीब होती है। इस तरह अगर आप देखें तो ६० करोड़ रु० से अधिक का गेहूं पिछले पांच सालों में यहां मंगाया गया। यह है सूबे की सही तस्वीर। मैं जानना चाहता हूं जो प्रदेश कृषि प्रधान हो अगर उसमें

आजादी के १५ साल बाद करोड़ों रुपयों का अनाज बाहर से मंगाया जायगा तो उसकी आर्थिक स्थिति तथा व्यवस्था का श्रोत कहां से आयेगा, कैसे उसकी उन्नति होगी, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा और कितनी दयनीय स्थिति है हमारे प्रदेश की गल्ले और खाद्य की, इस सम्बन्ध में कुछ आवश्यक आंकड़े पेश करना चाहता हूं। केवल इस बात से सब्र नहीं किया जा सकता जो माननीय खाद्य मंत्री ने कहा कि पिछले १ साल में किसी के भूख से मरने की खबर नहीं मिली है। लेकिन क्या यह असलियत नहीं है कि इस प्रदेश की ५० फीसदी जनता हाफ स्टारवेशन की हालत में रह रही है? उसको मोलेसेज पीकर रहना पड़ता है, क्या यह तथ्य नहीं है असलियत नहीं है। अगर हम पूरे संसार के पैमाने पर देखें जिसमें फी व्यक्ति ३१०० और ३५०० कैलोरीज प्रतिदिन खाने को मिलता है तो हमारे देश में केवल १८०० कैलोरीज ही मिलता है। हमारे प्रदेश के अन्दर तो निश्चित रूप से कम है। क्या यह संतोष का विषय है? कृषि प्रधान देश में १५ साल की आजादी के बाद जो दुनिया में खाने का स्तर हो उसका ४० फीसदी ही हम खाना दे पाते हों, यह हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती है। मैं चाहता हूं इसी सम्बन्ध में आप और बातों का भी निरीक्षण करें।

आज हमारे प्रदेश की स्थिति जो है गल्ले की पैदावार की उसकी रफ्तार इतनी धीमी है कि अगर इस शब्द का इस्तेमाल करूं कि फूड प्रोडक्शन एक स्टेगनेंट कंडीशन में पहुंच गया है तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। जो आंकड़े हैं मंत्री जी उनको ध्यान में रखते हुए बतायेंगे। हमारे प्रदेश में, श्रीमन्, १९५०-५१ में जब योजना का प्रारम्भ हुआ था उस समय ४०१.०८ लाख एकड़ जमीन पर खेती होती थी। १९५५-५६ में वह बढ़ कर ४१६.७० लाख एकड़ हो गई और १९६०-६१ में जो आखिरी आंकड़े हैं ४२४.७२ लाख एकड़ जमीन पर खेती हो रही है। खेती का रकबा बढ़ा है। लेकिन अगर खाद्य के आंकड़े को देखें, उन्हीं सालों के तथा अनाज की पैदावार को देखें तो पायेंगे कि १९५०-५१ में ११५.८९ लाख टन अनाज पैदा होता था १९५५-५६ में ११८.६७ लाख टन हो गया और १९६०-६१ में १४२.५७ लाख टन है।

जिस रफ्तार से खेती का रकबा बढ़ा है। करीब-करीब कम बेश उसी रफ्तार से हमारी अनाज की पैदावार भी बढ़ी है। स्पष्ट है कि अनाज की पैदावार की जो बढ़ोत्तरी होनी चाहिये थी वह हमारे सूबे के अन्दर नहीं हुई। इससे स्पष्ट है कि पर-एकड़ जो ईल्ड है उस पर अधिक ध्यान दिया जाय।

पिछले १० वर्षों में जब कि अखिल भारतीय स्केल पर खेती की पैदावार में ४० परसेंट की बढ़ोत्तरी हुई है, हमारे प्रदेश में केवल २२ फीसदी हुई है। कृषि प्रधान प्रदेश जिसकी व्यवस्था और नियोजन का सबसे अधिक जोर अनाज की पैदावार बढ़ाने पर दिया जा रहा है खरीफ और रबी आन्दोलन चलाया जा रहा है, राज्य की सारी शक्ति लगाई जा रही है, वहां की स्थिति यह है कि जिस रफ्तार से, विदेशों की बात छोड़ दीजिये केवल अन्य प्रदेशों को ही लिया जाय, वे बढ़ रहे है, उसमें हम कितने पीछे हैं यह हमारी कृषि की नीति में निकम्मेपन का सबूत है।

(इस समय १ बजकर १७ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, पीठासीन हुए।)

मैं चाहता हूं कि हम केवल उन अनाजों पर जो हमारे अनाजों के सबसे प्रमुख अंग हैं गेहूं, चावल, ज्वार और बाजरा, उन पर ध्यान दें। सन् ५५-५६ में हमारे सूबे के अन्दर ७.१८ मन अनाज पर-एकड़ पैदा होता था। ५५-५६ में ६.१९ मन ५७-५८-में ९.२६ मन ५८-५९ में ७.७३ मन और ५९-६० में ६.१५ मन पर-एकड़ अनाज पैदा हुआ। यह चावल की स्थिति है। सन् ५५-५६ में जब हमने शुरू किया तो एवरेज इल्ड ७.१८ मन थी और आज वह ६.१५ है। सबसे अंतिम आंकड़ा यह हमको उपलब्ध है। यह नहीं कि कोई बड़ी बाढ़ आ गई हो या दैवी आपत्ति आ गयी हो। दस वर्ष का एवरेज मैंने दिया है और उसमें कोई

[श्री चन्द्रजीत]

प्रशंसनीय या उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी पर-एकड़ अनाज की उपज में नहीं हुई। इस प्रकार गेंहूं की पैदावार इन्हीं वर्षों में ८.२६,८.४६,८.९५ और ८.९४ पर एकड़ रही। तो यह जो दावा किया जाता है कि हमने अनाज की पैदावार को बढ़ाया है, तो असलियत यह नहीं है कि अनाज की पैदावार की बढ़ोत्तरी प्रति एकड़ ज्यादा हुई है। चूंकि ज्यादा रकबा बढ़ा है इसलिये अपेक्षाकृत अनाज की पैदावार बढ़ी है।

ज्वार और बाजारा की स्थिति को देखें तो उसमें एवरेज थोड़ा-सा बढ़ा है लेकिन हमें हैरानी और परेशानी महसूस होती है जब मैं यह देखता हूं कि इस प्रदेश के अन्दर जापानी ढंग से धान बढ़ाने का आन्दोलन चलता है, प्रदेश में गेहूं की पैदावार बढ़ाने का आन्दोलन चलता है, लेकिन गेंहूं और चावल की पैदावार घटती जाती है और बाजरा और ज्वार की पैदावार थोड़ी सी बढ़ जाती है। आन्दोलन जिस बात के लिये होता है उसके विपरीत इस सूबे के अन्दर नतीजा निकलता है यह अजीब हैरानी की और परेशानी की बात है।

आपके सामने मैं थोड़े से आंकड़े दूसरे सूबों के भी रख देना चाहता हूं। उनसे यह स्पष्ट हो जायगा कि आज जो हमारी खाद्य नीति है उसके अन्दर कोई न कोई कमजोरी जरूर है। मैं इस सम्बन्ध में केवल दो आंकड़े गेंहूं और चावल के सम्बन्ध में रखना चाहता हूं। बिहार के अन्दर एवरेज ईल्ड चावल की ५५४ पौंड, बम्बई में ५५० पौंड, पंजाब में ७१७ पौंड, और यू० पी० के अन्दर ३९६ पौंड थी। तो स्थिति यह है कि ऐसे राज्यों की अपेक्षा जो कृषि करते हैं उनसे हम ६० प्रतिशत नीचे हैं। गेहूं की स्थिति यह है कि बम्बई में ४१२ पौंड पर-एकड़, पंजाब में ८९६ पौंड पर-एकड़, वेस्ट बंगाल में ६८६ पौंड पर-एकड़ और उत्तर प्रदेश में ६८६ पौंड पर-एकड़ ईल्ड है। दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में हमारी स्थिति यह हो, पूरे मुल्क की जो औसत ईल्ड है पर-एकड़ उसके मुकाबले में हमारी स्थिति यह हो, कितने गिरे हुये हैं हम? मैं चाहता हूं कि यह स्पष्ट तस्वीर हमारे खाद्य मंत्री के सामने होनी चाहिये जब उन्होंने सदन के सामने भाषण किया।

अब मैं बताना चाहता हूं कि वे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से हमारे सूबे के अन्दर इतनी दयनीय खाद्य स्थिति है। सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे सूबे ने जितनी तेजी से और जिस तरीके से भूमि सुधार होना चाहिये था वह नहीं किया गया। दयनीय खाद्य स्थिति का सबसे बड़ा और प्रमुख कारण यह है कि इस सूबे के अन्दर हाल्टिंग लैंड रिफार्म होते हैं। जमींदारी एबालीसन के बाद सरकार ने संतोष की सांस ले लेली। इसके बाद कंसालिडेसन की स्कीम वर्षों लागू रही। अमरीका का जो डेलीगेशन यहां आया था उसने यह कहा था कि कंसालिडेशन स्कीम का काम जितनी धीमी गति से और जिस तरह से हो रहा है उसके कारण इस प्रदेश की कृषि की पैदावार में एक गतिरोध पैदा हो गया है। जब तक जमीन की हदबन्दी सही तरीके से नहीं की जायगी, जब तक तेजी के साथ भूमि सुधार नहीं किये जायंगे और जब तक जमीन जोतने वाला सही माने में उसका मालिक नहीं बनाया जायगा तबतक इस सूबे की खाद्य स्थिति नहीं सुधार सकती और हमें करोड़ों रुपये का अनाज प्रति वर्ष बाहर से मंगाना पड़ेगा।

दूसरी जो सबसे बड़ी कमी है वह यह कि आज भी हमारा सूबा वैगरीज आफ दि वेदर पर निर्भर है। बाढ़ आये, सूखा आये, करोड़ों रुपये की सम्पत्ति नष्ट हो जाय और उसकी हम उचित व्यवस्था न कर पायें यह दूसरा सब से बड़ा कारण है हमारे सूबे की खाद्य स्थिति खराब होने का।

जो तीसरा कारण है---सिंचाई मंत्री जी भी यहां मौजूद हैं---यह बात सही है कि सिंचाई के साधन बढ़ाये गये हैं लेकिन उसी के साथ-साथ यह भी सही है कि और सिंचाई के साधनों की जितनी क्षमता है उसका पूरा उपयोग इस सूबे में नहीं हुआ है और तृतीय पंचवर्षीय योजना बनाने वालों ने इसको तसलीम किया है। पहली योजना में ८ लाख एकड़, दूसरी योजना में सवा सात लाख एकड़ सिंचाई की क्षमता होते हुये भी हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाये। इसलिये मैं फिर कहना चाहता हूं कि सिंचाई के रेट में जो छूट देकर आपने वापस लिया है उसको फिर से दीजिये वरना सरकारी साधनों के होते हुये भी किसान उनको इस्तेमाल नहीं कर पायेगा।

चौथा कारण है खाद्य स्थिति खराब होने का यह है कि जो न्यू मेथड्स आफ एग्रीकल्चर हैं वह हमारे सूबे के अन्दर लागू नहीं हो पा रहे हैं। हमारा किसान रूढ़िवादी है, इसलिये गरीब है। उसके पास पैसे की कमी है। इसीलिये केवल सूचना विभाग के प्रकाशकों से और ग्राम सेवकों की मीटिंग से हमारे किसान इन नये साधनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सरकार को चाहिये कि बड़े पैमाने पर किसानों को तकावी, लोन, अनुदान उनके कोआपरेटिव्ज बना कर दें। किसानों के सामने सही माने में डिमान्स्ट्रेशन हों ताकि वे लोग समझ सकें।

इसी मौके पर मैं खाद्य मंत्री जी से कहना चहता हूं कि आज यह सबसे दयनीय स्थिति है कि किसान जो अनाज पैदा करता है उसकी सही कीमत मिलेगी या नहीं हालांकि इस सूबे का जो ८० फीसदी किसान है उसकी एक अर्से से यह मांग है कि न्यूनतम और उच्चतम कीमत इस सूबे और देश के अन्दर फिक्स हों।

लेकिन इतने दिनों के अन्दर भी सरकार ने इस काम को नहीं किया। नतीजा यह होता है कि हमारा किसान बड़े-बड़े इजारेदारों द्वारा लूट का शिकार बनता है और जो वह गल्ला पैदा करता है वह अपनी जरूरतों के कारण बाजार में चला जाता है और वहां पर वह लूटा जाता है। दो तीन महीने के बाद वह फिर बाजार से खरीदने जाता है और उस समय उसको २५ से ५० प्रतिशत तक ज्यादा कीमत देनी पड़ती है, ऐसी स्थिति है। इस तरह से हमारा किसान लुटता है, यह जनवादी सरकार के लिये कोई फख्र की बात नहीं हो सकती है। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार को अपनी नीति तय करनी चाहिये।

दूसरी बात यह है कि मैं चाहता था कि माननीय मंत्री जी स्टेट ट्रेडिंग के बारे में कुछ कहें। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। माननीय सदस्यों को याद होगा कि आज से दो साल पहले मंत्री जी ने स्टेट ट्रेडिंग की बड़ी-बड़ी योजनायें सदन में प्रस्तुत की थीं और बड़े गर्व के साथ कहा था कि यह चीज इस सूबे में और इस मुल्क में हमेशा के लिये आगई है और सरकार इसको आगे बढ़ाती चली जायगी। मैं जानना चाहता हूं कि इसका क्या हश्र हुआ। हमने पहले ही श्रीमन्, शंका व्यक्त की थी कि सरकार इस नीति को चलाने वाली नहीं है और सरकार ने इसको जन-आन्दोलन के दबाव के कारण थोड़े वक्त के लिये स्वीकार की है लेकिन लागू नहीं करेगी। आज वही बात सही मालूम हुई और सरकार ने उसको छोड़ दिया। शासक दल की सब से बड़ी संस्था ने अपने अधिवेशन में इस चीज को स्वीकार किया था। इसको जब तक मजबूती के साथ अपने सूबे में लागू नहीं किया जाता है तब तक हमारे किसान की लूट तथा अन्न के भावों में बढ़ोत्तरी और घटोत्तरी, इस प्रकार की चीजें हमेशा लागू रहेंगी। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस नीति को सरकार अपने प्रदेश में मजबूती के साथ लागू करे।

श्रीमान्, दो तीन चीजें और इस सम्बन्ध में हैं जिनसे अनुदान का संबन्ध है। चीनी के सम्बन्ध में कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया था कानपुर तथा प्रदेश के अन्य शहरों में कीमत बढ़ी है। इसको केन्द्रीय पार्लियामेंट में खाद्य मंत्री जी ने भी स्वीकार किया था। लेकिन हमारे खाद्य मंत्री जी को दो एक पैसा बढ़ी हुई कीमत कोई बढ़ी कीमत नजर नहीं आती। यह मुमकिन है कि इसकी उनके लिये कोई वकत न हो लेकिन पी० डब्ल्यू० डी० का वह मजदूर जो जून की दोपहरी में सड़क कूटता है और अपना खून पसीना बहाता है तब जाकर कहीं वह आठ आने रोज मजदूरी पाता है, उसको एक पैसे की कीमत भी बहुत बड़ी होती है। मैं चाहता हूं कि सरकार इसको हल्के फुल्के ढ़ंग से न देखे। क्या कारण है कि यह कीमत बढ़ी है? सरकार इसकी जांच करके इस सम्बन्ध में अपनी नीति निर्धारित करे और कीमतों पर नियंत्रण होना चाहिये।

श्रीमान्, अपने सूबे में कोयले और सीमेंट की स्थिति अत्यंत दयनीय है। पिछले दो तीन महीने से आपने देखा है कि सदन के सामने यह सवाल पैदा हुआ और यह स्थिति आज पैदा हो गई है कि कलकारखाने पूरी क्षमता के साथ उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। आज इस सूबे में इस वर्ष लाखों एकड़ में गन्ना पानी न मिलने के कारण सूख गया और उपज कम हो गई।

[श्री चन्द्रजीत]

इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी । एक तरफ तो सरकार की योजना है कि अधिक अन्न उपजाओ और दूसरी तरफ यह कि पानी न मिलने के कारण उपज कम हो तो मैं समझता हूं कि इसकी जिम्मेदारी सरकार पर आती है और इस विभाग के ऊपर आती है जिसने कोई व्यवस्था नहीं की । मैं हिन्दुस्तान के ऐसे अखबार पढ़ता हूं जिनको राष्ट्रीय अखबार कहा जाता है लेकिन दूसरे सूबों में यह चीज नजर नहीं आती है कि वहां पर कोयले की कमी हो गई हो, गन्ना सूख रहा हो, ट्यूब वेल बंद हो जायं, कल कारखाने बंद हो जायं, तो यह उत्तर प्रदेश में ही क्यों है ? इसलिये इस विभाग के ऊपर जिम्मेदारी है कि इसने केन्द्रीय सरकार के सामने उतनी मुस्तैदी के साथ अपना केस नहीं रखा जितनी मुस्तैदी के साथ रखना चाहिये था । आज केवल केन्द्रीय सरकार के ऊपर दोष देकर अपनी जिम्मेदारी से सरकार मुक्त नहीं हो सकती है । मैं इस संबंध में माननीय खाद्य मंत्री जी के साथ हूं और अगर केन्द्रीय सरकार ढिलाई करती है या यह भेद भाव की नीति बरतती है तो जितना सहयोग आपको चाहिये हम देने के लिये तैयार हैं । लेकिन इसके साथ-साथ आप अपनी भी जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सकते । आप अपनी कमजोरियों पर परदा नहीं डाल सकते हैं, उनको भी देखें और उनको भी पकड़ें । इसलिये मैं चाहता हूं कि यह विभाग अपनी उन कमजोरियों को देखे वरना अगर कोयला नहीं आया, तो हमारे प्रदेश के उद्योग के ऊपर और कृषि के ऊपर चौतरफा प्रभाव पड़ने वाला है । इस संबंध में सरकार को अपनी नीति निश्चित रूप से निर्धारित करनी चाहिये । अभी माननीय नेकराम शर्मा जी सुझाव दे रहे थे कि अगर सरकार नहीं कर सकती है तो कोयला मगाने की छूट दे । उस पर मंत्री जी ने कहा कि हमने छूट दी है । लेकिन मैं कहता हूं कि केवल इसी नीति से काम नहीं चल सकता है । सरकार को अपने साधन भी बढ़ाने चाहिये । अगर वैगंस नहीं मिलते हैं तो ट्रकों से या अन्य साधनों से कोयला मंगाए और मंगा कर बड़े पैमाने पर डम्प करें ताकि आने वाले दिनों में स्थिति भयंकर न हो सके । राउरकेला और दूसरी योजनाएं तो बनती ही रहेंगी, और केन्द्रीय सरकार का जोर रहेगा कि उधर कोयला जाय । तो हमारे प्रदेश का क्या होगा ? यह सरकार चुप बैठी रहे और हमारे कल-कारखाने बन्द हो जायं, सिंचाई के अभाव में गन्ना सूख जाय, इस सब की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर होगी । इसलिये मैं इस मामले पर आग्रह करना चाहता हूं ।

श्रीमान्, सीमेंट की बड़ी दयनीय स्थिति है । किसी भी जिले के अन्दर चले जाइये, खुली चोरबाजारी हो रही है । हजारों आदमी गांव से परेशान होकर शहर में आते हैं, सप्लाई आफिसर के दफ्तर का चक्कर मारते हैं, दिन भर घूमने के बाद शाम को निराश होकर वापस जाते हैं और चोर बाजार में सीमेंट खरीदते हैं । सप्लाई विभाग को आप कहते हैं कि इट हैड कम टु स्टे । क्या मैं यह समझूं कि अगर यह विभाग स्थायी हो गया है तो क्या इसके साथ चोरबाजारी भी स्थायी हो गयी है ? इस विभाग की जिम्मेदारी है कि वह इन सारे कामों को देखे, चीजों का आना, उनका एकत्रित होना और उनका वितरण होना अगर यह कार्य ठीक से नहीं होगा और डेवलपमेंट के जो नेससरी इनग्रेडिएंट्स हैं, यदि वह प्राप्त होंगे तो हमारे विकास की प्रगति धीमी होगी और तीसरी पंचवर्षीय योजना का इतना एम्बीशस प्लान है, वह ताक पर रखा रह जायगा । इसलिये चौतरफा विकास की दृष्टि से भी सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिये ।

मैं इस संबंध में, चूंकि माननीय मंत्री जी ने खाद्य स्थिति पर बड़ा संतोष प्रकट किया है, दो शब्द कहना चाहता हूं । मैंने खाद्य मंत्री का ध्यान कुछ आंकड़े प्रस्तुत करके आकर्षित किया था । उनसे पता चलता है कि संसार में हम कितने पिछड़े हुए हैं और मुल्क में भी हमारी स्थिति क्या है । बड़ी दयनीय स्थिति है । गल्ला जो इतना आवश्यक है जब वह नहीं मिल रहा है तो घी, दूध और सब्जी की बात तो छोड़ ही दीजिये । जो इंसान के जीने के लिये जरूरी है, दो सूखी रोटियां और चोटे का शर्बत, वह भी दो वक्त नहीं मिलता । ऐसी स्थिति में टैक्स बढ़ने वाला है । मैं साफ कहना चाहता हूं कि अगर लगान बढ़ा, किसान के ऊपर किसी भी तरह से

टैक्स बढ़ा विकास के नाम पर या किसी और नाम पर तो वह सबसे बड़ा बाधक बनेगा सूबे की खाद्य स्थिति के सुधारने में और हमारे देश का किसान, हमारे सूबे का किसान इस बात को बरदाश्त करने वाला नहीं है। मैं इस अवसर पर आगाह कर देना चाहता हूं कि प्रदेश की जनता की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ करने की अगर सरकार ने हिम्मत की और उसने यह हिम्मत की कि लण्ड रेवेन्यू बढ़ाया या विकास कर के नाम पर किसान पर लगान बढ़ाया तो सरकार को जनता के रोष का जो मुकाबिला करना पड़ेगा वह सरकार के लिये कोई इज्जत की चीज नहीं होगी। मैं आगाह करना चाहता हूं कि सरकार का अगर इस तरह का इरादा हो, तो वह अपने उस इरादे को छोड़ें। इसके लिये वह दूसरी व्यवस्था करे, दूसरे साधन जुटाये और दूसरे काम करे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस कटौती के प्रस्ताव को सदन के सम्मुख प्रस्तुत करता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि जिन बातों को और जिस तस्वीर को हमने सदन के सामने रखा है, उनके ऊपर सदन गंभीरता से विचार करेगा और हमारे प्रदेश की खाद्य स्थिति को सुधारने के लिये सही कदम उठाये जायेंगे।

[निम्नलिखित कटौती के प्रस्ताव उपस्थित किये हुए माने गये।]

अनुदान संख्या १६---खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन

क्रम-संख्या	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
१	श्री शराफत हुसैन रिजवी	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य---शिकायतें करना तथा सुझाव देना।
२	श्री घनश्याम दास	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य---(१) प्रदेश में पक्की ईंटों की कीमतों में असाधारण वृद्धि का होना जिससे साधारण जनता की क्रय शक्ति के बाहर हो जाना और देहातों में विकास का रुक जाना। (२) प्रदेश में सीमेंट की कमी से जनता को कष्ट होना।
३	श्री तेजनारायण	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य---विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।
४	श्री राम सुन्दर	मद-ग-प्रकीर्ण के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य---कोयला न मिलने के कारण गृह उद्योग धंधों में कमी का होना।
५	श्री प्रेम सिंह	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य---नीति की आलोचना करना।

क्रम-संख्या	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
६	सर्वश्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह, भानु प्रतापसिंह, काशीनाथ बहादुर, मुन्नू सिंह, विजय सिंह, चैतन्य राज सिंह, राम अधार कनौजिया, प्रेम सिंह, तथा नवरंग सिंह ।	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय । कमी करने का उद्देश्य--सम्पूर्ण नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।
७	श्री उग्रसेन	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय । कमी करने का उद्देश्य--विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचारों की चर्चा करना तथा पर्याप्त सुधार के लिये सुझाव देना ।

अनुदान संख्या ५५--राज्य व्यापार की योजनाएं

१	श्री उग्रसेन	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय । कमी करने का उद्देश्य--राज्य व्यापार पद्धति में क्रांतिकारी परिवर्तन की मांग करना ।
२	सर्वश्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह भानु प्रताप सिंह नवरंग सिंह बलवीर सिंह, चैतन्यराज सिंह, मुन्नू सिंह, प्रेम सिंह, तथा चिरंजी लाल ।	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ पये की कमी की जाय । कमी करने का उद्देश्य--सम्पूर्ण नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय खाद्य मंत्री जी को बड़े ध्यान से सुना और मैं यह समझ नहीं पाया कि माननीय खाद्य मंत्री जी हमसे बजट की रकम की मंजूरी चाहते हैं या वह कोई कटौती का मोशन मूव कर रहे हैं । मुझे ऐसा लगा कि अपने भाषण में उन्होंने काफी हिस्सा हम लोगों के हिस्से का भी कहा । बोझ हम लोगों का जरूर उन्होंने कुछ हल्का किया और बाकी हिस्सा माननीय चन्द्रजीत जी ने बहुत सी खूबी के साथ रख दिया । मैं और कुछ मामूली बात की तरफ सदन का ध्यान ले जाने की कोशिश करूंगा ।

एक बात दोहराये बिना मैं नहीं चूक सकता कि अनाज की स्थिति पर सन्तुष्ट होना सरकार के लिये शोभा की बात नहीं है । दो बातें हैं । यह भी मैं कह सकता हूं कि अनाज की उपज में नेचुरल कालेमिटी से जरूर कुछ ऐसी हालत हुई है कि इस साल रबी की फसल अवश्य मुकाबिलतन अच्छी हुई है और उससे सन्तुष्ट होना स्वाभाविक है भी । लेकिन उसी के साथ-साथ दूसरी तरफ बहुत गहराई से जिस ओर ध्यान जाना चाहिये वह यह है कि कुछ दिन पहले, दस वर्ष पहले हम यह सोचते थे कि हमारा जीवन स्तर कुछ ऊंचा उठना चाहिये और हमारे पास कुछ पैसे भी ऐसे थे कि जिससे हम खाने पीने के लिये कुछ ज्यादा तलाश करते थे । आज हम यह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

समझ गये हैं कि हमको अब हाथ पर चलाने की जरूरत नहीं है और सरकार सन्तुष्ट है, हम भी संतुष्ट हैं कि जो कुछ मिल रहा है उसको भगवान के भरोसे पर कबूल करो और तकदीर का आसरा करो, जब जमाना आयेगा तब भरपेट भोजन मिल सकेगा । भरपेट भोजन मिलने का यह वक्त नहीं है । इसलिये संतोष का वातावरण दिखाई देता है, श्रीमन् । लेकिन मैं समझता हूं कि यहां बैठने वालों को इस बात से संतोष अगर होना है तो देश का भविष्य खतरे में पड़ जायगा । अब भी, आज भी, मुल्क में जब अरबों पये का अनाज बाहर से मंगा करके अपनी जरूरत पूरी कर पाते हैं तो ऐसी हालत में उत्तर प्रदेश जैसे सूबे को जिसके ऊपर जिम्मेदारी है कि वह सारे भारत में अपने आपको आगे ले जाय अनाज पैदा करने में, तो उसको संतुष्ट नहीं होना चाहिये । श्रीमन्, यह सबजेक्ट ऐग्रीकल्चर का है इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय खाद्य मंत्री जी को बहुत देर तक इसमें उलझाये रखना ठीक नहीं है । अब मैं कुछ और बातों की तरफ जिनको कि उन्होंने बहुत खूबी के साथ चर्चा तक नहीं की, उनकी तरफ ध्यान ले जाना चाहता हूं । उस संबंध में वह कृपा करके बतायें ।

लखनऊ में यह खबर है कि जितने मकानों की मांग लोगों ने की उसमें से केवल १६ प्रतिशत लोगों को मकान मिल पाये । १०० आदमियों ने अगर मकान की दरख्वास्त दी तो १६ आदमियों को सिर्फ मकान मिल पाये हैं । यह लखनऊ की, राजधानी की कैफियत है । अगर सारे सूबे को देखें तो उसमें कुछ सुधरी हुई हालत मिलेगी, कहीं पर ३० प्रतिशत, कहीं पर २९ प्रतिशत और यह तीन चार वर्ष पहले से हालत एग्जिस्ट करती थी और इस वक्त भी यह हालत है । तो मैं समझता हूं कि इस बात की तरफ सरकार का ध्यान क्यों नहीं गया ? इसमें केन्द्रीय सरकार की खता जरूर है । उस पर भी बाद में आपकी इजाजत से मैं दो मिनट अर्ज करूंगा । लेकिन जो काम राज्य सरकार के हाथ में है उसमें राज्य सरकार को अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में क्यों कठिनाई पड़ी ? क्यों इस तरह की बात हुई कि १६ प्रतिशत लोगों को ही हम आवास स्थान दे पाये और बाकी लोगों को हमने सड़क पर घूमने की इजाजत दे दी और इसलिये इजाजत दे दी कि वह दरवाजे दरवाजे ठोकर खायें और इसलिये भी इजाजत दे दी कि सिफारिशों से हर एक आदमी की नाक में दम कर दें । मैं माननीय खाद्य मंत्री से जानना चाहता हूं कि किसी और काम के लिये क्या किसी ने उनका दरवाजा इतना खटखटाया होगा जितना कि मकान के लिये खटखटाया है । क्या इसके लिये सरकार ने व्यवस्था की ? यह एक दिन की बात नहीं है, यह बात वर्षों से चली आ रही है । मैं उनसे पूछता हूं कि क्या पंजाब में भी यही कैफियत है मकानों की ? बम्बई में भी यही मकानों की कैफियत है ? क्या महाराष्ट्र, गुजरात और मद्रास में भी मकानों की ही कैफियत है ? मैं कहना चाहता हूं कि उन प्रान्तों में यह कैफियत मकानों की नहीं है । यह कैफियत मकानों की सिर्फ उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में भी इस प्रान्त की राजधानी लखनऊ में है । इस बीमारी को दूर करने के लिये सरकार ने अभी तक क्या किया ? क्यों न इस प्रश्न पर रोशनी डाली गई ? मैं समझता हूं सिर्फ रोशनी डालने से भी काम नहीं चलेगा । इसके लिये एक बहुत समझ-बूझकर कदम उठाना पड़ेगा । मकानों की कमी को दूर करने के लिये हमको जाना पड़ेगा उस जगह कि जहां हम ईंटों की कमी को दूर करें । हम कोयले की कमी को दूर करें, सीमेंट की कमी को दूर करें, लोहे की कमी को दूर करें । इन सारी कमियों को जब हम दूर करेंगे तो मकानों की कमी दूर कर सकेंगे । जब हम इन चीजों की कमी दूर करने जायेंगे तो मुल्क में लाखों लोगों की बेरोजगारी को दूर करने की तरफ जायेंगे और लाखों लोगों को काम देने की तरफ जायेंगे । उनको हम इम्पलायमेंट दे सकेंगे । मैं समझता हूं कि यह एक ऐसा सवाल है कि जिसकी तरफ सरकार का और माननीय सदन का जरूर ध्यान जाना चाहिये लेकिन उस तरफ ध्यान नहीं दिया गया ।

अनाज के सिलसिले में एक बात जरूर कह दूं कि कुछ इलाके ऐसे हैं जिनमें कुछ छूट रखी गई है और जिनको खुशकिस्मत जिले कहा जा सकता है । कुछ दुर्भाग्यपूर्ण जिले हैं जिनके साथ कुछ अन्याय किया गया । पिछले दो वर्ष के भीतर कुछ जिलों से अनाज का प्रतिबंध

[श्री गेंदासिंह]

हटाया गया लेकिन आज भी कुछ दुर्भाग्य पूर्ण जिले हैं जहां पर कुछ प्रतिबंध है । कृष्णानन्द राय जी जब बोलने खड़े होंगे तो बतलायेंगे कि उनको क्या दिक्कत है । उनके लिये जिले गाजीपुर में और बनारस, बलिया और देवरिया यह ऐसे जिले हैं जिनको कोरिडार एरिया कहा जाता है, कुछ और भी सूबे के जिले हैं । हमारे उस कोरीडार में ऐसी हालत है कि वहां पर अनाज की दिक्कत है । वहां पर जनता को अनाज की जरूरत न हो वह ऐसा इलाका नहीं है । २८, ३० लाख की आबादी के उस पूर्वी इलाके के हिस्से में आज भी चावल के ले आने की इजाजत नहीं है । हम चावल बिहार से ले आयें या उधर ले जायं यह हमको इजाजत नहीं है । हमारे यहां से चावल जायगा तो मुसीबत आ जायेगी और आपत्ति आ जायगी । इसका नतीजा क्या होता है । उसका नतीजा यह होता है कि और इलाकों से महंगे दाम में चावल वहां पर बिकता है । वह चावल खाने वाला इलाका है । अगर वहां पर दूसरी जगह से चावल जाता है तो वहां से दूसरी जगह ले जाने की इजाजत नहीं है । उस तरफ सरकार का ध्यान गया और तब वह बयान हुआ जिसमें कहा गया कि शायद केन्द्रीय सरकार विचार कर रही है और विचार करने के बाद स्टेट गवर्नमेंट को छूट दे सकती है और वहां के लाखों लोगों को इस बीमारी से रिहाई हो सकती है । जो व्यापारी रोज लाने ले जाने में कठिनाई अनुभव करते हैं उनको भी कुछ ज्यादा अदा करना पड़ता है उनका भी लाभ हो सकता है लेकिन उसका फैसला नहीं हो सका है । मैं उम्मीद करता हूं कि खाद्य मंत्री जी इस बीमारी से रिहा करने की कोशिश करेंगे ताकि जहां पर आज तक चावल के मंगाने की इजाजत नहीं है इन इलाकों को कुछ राहत मिल सके ।

सीमेंट के बारे में यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि सीमेंट का कहीं पर कंट्रोल है और कहीं पर नहीं है । मैं पूरी जानकारी तो नहीं रखता कि कहां पर है और कहां पर नहीं है, कौन ऐसे जिले हैं जहां पर छूट रखी गई या कंट्रोल रखा गया है लेकिन बदकिस्मती से मेरा जिला ऐसा है जहां पर सीमेंट पर कंट्रोल रखा गया है । और भी कुछ लोग कहते हैं कि उनके यहां कंट्रोल है । मेरे यहां उसका नियंत्रण है । मेरा अनुभव है और मुझको चुनाव के दिनों में कहा गया कि ये सीमेंट का परमिट नहीं दिला सकते तो इनको वोट नहीं देना चाहिये । डी० एस० ओ० के दफ्तर में नहीं जा सकते, डी० एस० ओ० इनको नापसन्द करते हैं । दूसरे आदमी के लिये वे कहते हैं कि अगर वे मुट्ठी भर भी दरख्वास्त ले आवें तो उनको परमिट मंजूर हो जाता है । अब इसका प्रमाण अगर मुझसे मांगा जाय तो मैं क्या करूं । हां, मैं यह दे सकता हूं कि एक आदमी को २००,५०० बोरे सीमेंट मिला है और किसान, जिसे ५ बोरे सीमेंट की आवश्यकता है उसे नहीं मिलता । तो क्या मैं आशा करूं कि इसकी गंभीरता से जांच होगी ?

मुझे कोयले की बात समझ में आयी । खाद्य मन्त्री जी ने जो आंकड़े दिये उसके बाद मैं समझता हूं कि उनको अब कोसने की आवश्यकता कतई नहीं है । मैं जानता हूं कि भारत सरकार का इस उत्तर प्रदेश के लिये क्या रुख है । एक फ्लड कन्ट्रोल सेमिनार हुआ था और उसमें जो मैंने अन्य प्रदेशों के फीगर्स देखे उससे ही मुझे मालूम हुआ कि यह उत्तर प्रदेश उनका सौतेला है । और मुझे यह बात बड़ी तकलीफ के साथ कहनी पड़ती है कि आखिर हम भारत सरकार के साथ किस तरह निपटें । मैं तो इस सदन का सदस्य हूं, पार्लियामेंट का सदस्य होता तो मैं निपटता और देखता कि किस तरह से हमें टालते हैं । अगर यहां कुछ कहूंगा तो आप कहेंगे कि यह इर्रिलिवेंट है । सौभाग्य से मुख्य मन्त्री जी आ गये हैं । मैंने सुना है कि मुख्य मन्त्री जी का सम्बन्ध भारत सरकार से बड़ा मीठा है और भारत सरकार उनको ऐसा बढ़िया आदमी समझती है कि जैसा उत्तर प्रदेश में किसी दूसरे को नहीं समझती । तो मैं मुख्य मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि आखिर भारत सरकार कोयला हमको क्यों नहीं देती और मुख्य मन्त्री जी कैसे वहां से इस मामले में मायूस चले आते हैं । अगर कोई आदमी ऐसा है कि जिसकी वजह से ऐसा होता है तो मुझे उसका नाम बतलाइये मैं उसकी खबर लूंगा और उसका रास्ता चलना बन्द कर दूंगा । कभी तो वह उत्तर प्रदेश के इलाके में आयेगा उसे काले झंडे

दिखलाऊंगा, कहूंगा कि तुम इस लायक नहीं हो कि उत्तर प्रदेश में तुम आ सको, तुम उत्तर प्रदेश को पिछड़ाना चाहते हो। अगर आज उत्तर प्रदेश को कोयला न मिले तो ईंटा नहीं बन सकेगा और उसकी वजह से तमाम विकास के काम, जो पहले ही पिछड़े हुए हैं, पूरे नहीं हो सकेंगे। यह एक बड़ा भारी संगठित षड़यन्त्र मालूम होता है भारत सरकार का कि इस तरीके से उत्तर प्रदेश किसी भी हालत में अपनी योजना का पूरा काम न कर सके, अपने लक्ष्यों को पूरा न कर सके और उसकी उम्मीद पूरी न हो सके और वह यह भारत सरकार से कह न सके कि हमको अधिक धन दो। यह एक संगठित षड़यन्त्र है। इसका इलाज क्या है? इससे कड़ा लफ्ज मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता कि मैं उसकी खबर लूंगा। यह बात मैंने बहुत सोच समझ कर कही है। मैं समझता हूं कि इस बारे में मुझे इस तरफ के और उस तरफ के सभी सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा। माननीय खाद्य मन्त्री जी ने जिस तरह से यह बात कही है उसके लिये उन्हें दाद देनी चाहिये और इस विषम परिस्थिति को हल करने की कोशिश हम सब को करनी चाहिये।

श्रीमन्, मैं चीनी के बारे में जरूर कुछ एक मिनट में कह दूं। क्या चीनी का डिकन्ट्रोल करने से सरकार की सारी जिम्मेदारी पूरी हो गयी? क्या लखनऊ में १७ आने और १८ आने सेर चीनी नहीं बिक रही है? क्या सरकार इससे बिल्कुल बरी है? डिकन्ट्रोल इसलिये हुआ कि कन्जूमर को सस्ती चीनी मिलेगी। यह खतरा देखा जाता था कि डिकन्ट्रोल होने के बाद चीनी का दाम गिर जायगा, लेकिन हुआ उल्टा। क्या व्यापारियों को बुला कर कहा नहीं जा सकता कि आप कन्जूमर पर यह ज्यादती न करें और सस्ते दामों पर चीनी बेचें। मैंने पिछली बार भी कहा था और मुख्य मन्त्री जी से फिर कहने को तैयार हूं कि चीनी का व्यापारी हमको इतनी मदद करने को तैयार है। आज जिस तरह से जो दाम चीनी के मिल मालिक लेते हैं उसका थोड़ा सा हिस्सा सरकार भी ले। मैं तो चाहता हूं कि चार चार आने की पोटली बांध कर, चीनी की, गांव गांव को बेचा जाय। फिर देखें कि कैसे चीनी की खपत नहीं होती है और किस तरह से कन्जूमर की जेब काटी जाती है। इस तरह से हम चीनी को कन्जूमर तक भी पहुंचा सकेंगे और उसकी खपत भी हो जायगी। मैं उसके लिये खिदमत करने को तैयार हूं, मगर मैं चाहता हूं कि सरकार इस प्रश्न पर विचार करे और उस पर काम करे।

अब मैं गुड़ के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। जिस वक्त गुड़ की कीमत सस्ती होती है, उसका सीजन होता है, उस वक्त आढ़तिया उसको सस्ती कीमत पर खरीद कर स्टाक जमा कर लेता है, और बाद को वह उसको दुगनी कीमत पर बेचता है। क्या इसके लिये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। सरकार का महकमा क्या करता है? उसका एक कार्य मार्केटिंग का भी है। वह विभाग क्या करता है? एक महीने पहले जो गुड़ १४ रुपये या १५ रुपये मन बिका वही आज १९ रुपये और बीस रुपये मन बिक रहा है। सरकार क्यों नहीं इस ओर देखती और उसकी जिम्मेदारी लेती? काश्तकार का जहां गला कटता है उसको कौन बचायेगा? अगर ट्रेडिंग कारपोरेशन का आज वजूद होता तो उससे फायदा हो सकता था। उससे खतरा नहीं होता। इस ओर अगर सरकार ध्यान दे तो करोड़ों रुपये का फायदा सरकार कन्जूमर को पहुंचा सकती है। उससे सरकार बदनाम भी नहीं होगी और लोगों को भी फायदा होगा।

जी० सी० शीट की चादरों की भी चर्चा की गयी। जहां पर आग लग जाती है, या जो दियारा के इलाके है, वहां पर सरकार इन चादरों के भेजने का क्यों नहीं इन्तजाम करती है।

तो अंत में श्रीमन्, मैं यही कहना चाहता हूं कि यह बात ठीक है कि अनाज की कमी जो आज से ५ वर्ष पहले थी वह आज नहीं है, मगर इससे ही हमको संतोष नहीं कर लेना चाहिये आज कोयले की कमी है, सीमेंट की कमी है, मकानों की कमी है, इन कमियों को दूर करने के लिये

[श्री गेंदासिंह]

सरकार कोई उपाय हो तो बताये। वह क्या करने जा रही है इस ओर? हमको यह सब मालूम हो, तो हम कुछ सरकार की मदद करें। भारत सरकार को सही कदम पर चलने के लिये कैसे मजबूर किया जाय हमको यह मालूम होना चाहिये ताकि हम भी अपने सूबे की मदद कर सकें।

***श्री छत्रपति अम्बेश** (जिला आगरा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इससे पूर्व कि मैं अपनी बात कहूं, मैं माननीय सदस्यों का ध्यान माननीय खाद्य मंत्री के वक्तव्य की ओर दिलाना चाहूंगा। माननीय खाद्य मंत्री ने एक बार नहीं, दो तीन बार अपने भाषण में दोहराया था कि कम्पेरेटिवली खाद्य की और अन्य चीजों की स्थिति अच्छी है। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा था कि पिछले सालों में जैसे भुखमरी से मरने की बात और अकाल पड़ने की बात आया करती थी, आज वह कम से कम हमारे सुनने में नहीं आती है, तो हम कुछ तरक्की की तरफ हैं। तो जब खाद्य की स्थिति पहले से सुधर गयी है तो विरोधी दल के सदस्यों की ओर से इन शब्दों का आना कि वह (खाद्य मंत्री) बड़े संतुष्ट हैं, यह अनुपयुक्त है। माननीय यादव जो जो कि हाउस के बहुत पुराने सुलझे हुए सदस्य हैं, मालूम नहीं किस हवा में उन्होंने अपने भाषण में खाद्य को एग्रीकल्चर विभाग से ज्यादा संबंधित रखा। हो सकता है कि मैं गलत समझा लेकिन उन्होंने, जैसा कि मैंने नोट किया, बार बार सदन और माननीय मंत्री जी का ध्यान एग्रिकल्चर के प्रोडक्सन की तरफ दिलाया। उन्होंने कहा कि उत्पादन में इतनी कमी है इतना प्रोडेक्शन था इतना रह गया। ५० परसेंट आज भी भूखे रहते हैं, एरिया कम है। दूसरे सूबों का उन्होंने कम्पेरेटिवली बताया कि इतना एरिया आफ प्रोडेक्सन है और एवरेज इतना है और नये मेथड को मशीनें प्रयोग में नहीं लायी जातीं। तो मैं समझता हूं कि उन्होंने एग्रिकल्चर से उसको ज्यादा संबंधित कर दिया। इसको माननीय गेंदासिंह जी ने स्पष्ट कर दिया और थोड़े शब्दों में कह दिया कि यादव जी ऐग्रीकल्चर की तरफ चले गये। ये शब्द भले ही उन्होंने इस्तेमाल नहीं किये, लेकिन अर्थ यही था और मैं गेंदा सिंह जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने वास्तविक बातों की तरफ प्रकाश डाला जिनका खाद्य से संबंध था।

खाद्य मंत्री ने साफ बताया कि हम सीमेंट और कोयले के अन्दर अभी उतनी तरक्की नहीं कर सके हैं जितनी कि होनी चाहिये थी। माननीय गेंदासिंह जी ने मकानों के बारे में जो बात कही वह बिल्कुल ठीक है कि लखनऊ में ६० परसेंट मकानों की अलाटमेंट की समस्या में हम अपने को कार्यान्वित नहीं कर सके, लेकिन साथ ही उनको मानना पड़ेगा कि बढ़ती हुई तरक्की के जमाने में लोगों की प्रवृत्ति होती चली आ रही है कि गांवों को छोड़ कर शहरों में और खासकर बड़े शहरों की तरफ आते चले जायं। होना तो यह चाहिये था कि गांव के अन्दर ही बैठकर अपनी तरक्की की बात सोचें, व्यापार को बढ़ायें और स्थिति को सुधारें जहां कि ८० फीसदी लोग रहते हैं। यह बात माननीय गेंदासिंह और विरोधी सदस्यों ने ठीक ही कही। मैं जानता हूं कि मकानों की, सीमेंट की, कोयले की कमी है जिससे मकानों की उतनी पूर्ति नहीं हो सकती, लेकिन साथ ही हमारा फर्ज है कि हम लोगों की उस प्रवृत्ति को कम करें कि लोग गांव से शहर में आने की बात कम सोचें।

एक बात खाद्यान्न की कही कि खाद्यानों का लाना और ले जाना फ्री हो। यह बिलकुल ठीक है। जहां तक मेरी जानकारी है यह केन्द्र का विषय है। इस विषय में हमारी प्रान्तीय सरकार ने कुछ अंशों में भलाई जरूर की है। जैसा कि आगरे में चावल के जोन्स में फर्क आया है चावल पर से ज्यादा से ज्यादा प्रतिबंध हटाया जाय। जहां तक मेरी जानकारी है प्रदेशीय सरकार केन्द्रीय सरकार को इस बात के लिये बार-बार लिख रही है और जहां तक इसके लाने और ले जाने की बात है उसको दुरुस्त किया जाय। वह बिलकुल ठीक हो जाय जिससे कि इसकी प्राइसेज में जैसा कि माननीय गेंदासिंह जी ने बताया कि जो डिफरेन्स है वह खत्म हो जाये। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं और मैं चाहूंगा कि माननीय खाद्य मंत्री जी इसके लिये प्रयत्नशील हों जिससे कि अन्न की प्राइसेज में हाइनेस कायम हो जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सीमेंट के बारे में एक बात कही गई। मैं यह जानता हूं कि आज मनुष्यों में एक प्रवृति बढ़ गयी है। जैसा कि शास्त्रों में पढ़ने में आता है कि पहले लोग गेहूं को जानते ही नहीं थे, और चना और मोटे अन्न खाया करते थे। मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था और उसमें लिखा था कि यहां के लोग पहले गेहूं पैदा नहीं करना जानते थे। वैसे ही आज यह प्रवृति बढ़ती चली आ रही है कि पक्के मकान बनाकर रहें। पक्के मकानों में सीमेंट की जो खपत है वह इस तरह बढ़ रही है आज उसकी पूर्ति होना असंभव बात मालूम पड़ती है। जिस हिसाब से हमारी आबादी बढ़ रही है और मांग बढ़ रही है उसकी पूर्ति हम कर सकें, मैं समझता हूं कि यह असंभव है।

इसके साथ-साथ मैं यह भी अनुभव करता हूं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका है उसमें जरूर खामी है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका ठीक हो जाय तो सुधार हो सकता है। मिसाल के लिये मैं बताऊं कि आगरे में २ बोरी सीमेंट के लिये काफी दिक्कत पड़ती है। जब कि कानपुर में ५ बोरी सीमेंट आसानी से मिल जाती थी। सीमेंट की उतनी कमी नहीं है जितनी कि डिस्ट्रीब्यूशन मे खामी है। यही चीज कोयले के बारे में है। मैं खाद्य मंत्री महोदय से एक बात कहूंगा कि जहां एक ओर इस विभाग की सराहना की बात है वहां एक दुःख की बात भी है कि इस डिपार्टमेंट की बहुत बदनामी हो रही है। बद अच्छा बदनाम बुरा। जो बदनामी की बातें कही जाती है वह सही हों या गलत हों यह दूसरा विषय है परन्तु किन्हीं कारणों से बदनामी की बात है। आज के समय में हम बहुत ही कठिनाइयों को हल कर चुके हैं तो इस तरफ हम सोचें कि इस विभाग की जो बदनामी है वह दूर हो जाय।

माननीय गेंदासिंह तथा माननीय यादव जी ने स्टेट ट्रेडिंग की ओर संकेत किया। शायद वह भूल गये कि माननीय मंत्री जी ने उसके लिये करीब १० करोड़ की धनिराशि मांगी है। माननीय यादव जी ने स्टेट ट्रेडिंग की बात करते हुए नागपुर अधिवेशन के प्रस्ताव की ओर ध्यान दिलाया। मैं उनसे सहमत हूं। यदि वास्तव में इस खाद्य की समस्या और किसानों की गरीबी को दूर करना है तो स्टेट ट्रेडिंग से भारी सहयोग मिल सकता है। जो धनराशि मांगी गयी है मैं समझता हूं वह इस बात को द्योतक है कि नागपुर में स्टेट ट्रेडिंग का जो नारा लगा था वह जल्दी से जल्दी प्रांत में कार्यान्वित किया जा सके। इन शब्दों के साथ मैं खाद्य मंत्री को धन्यवाद देते हुए अनुदान का समर्थन करता हूं।

***श्री गिरवरप्रसाद** (जिला एटा)––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से अभी यह कहा गया कि हमारी खाद्य की समस्या बहुत संतोषजनक है। इस सम्बन्ध में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि हुकूमत सचेत हो या न हो लेकिन मैं कम से कम इतना अवश्य कहने के लिये तैयार हूं कि हुकूमत जनरल पब्लिक को मोगालते में डालना चाहती है कि हमारी खाद्य समस्या हल हो गई है। पिछले वर्षों में लगातार विदेशों से अन्न आता रहा है और उसको खाने के बाद हम २० रु० और १६ ० मन तक गेहूं ले लेकर अपना जीवन निर्वाह करते रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अगर हुकूमत विदेशों से गेहूं न मंगाती तो आज कम से कम एक तिहाई आदमी खत्म हो गये होते। इसके लिये हुकूमत जरूर धन्यवाद की पात्र है। लेकिन आज से १४ वर्ष पहले जो पैदावार इस सूबे या मुल्क की थी, मैं समझता हूं उसकी एक तिहाई पैदावार इस वक्त है। सरकार के कागजों में जो कुछ भी आंकड़े हों लेकिन देहात के रहने वाले हम लोग जो कि खुद खेती करते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं कि अब एक तिहाई पैदावार रह गई है। जिन खेतों में मामूली तौर से बिना देख-भाल किये पांच-पांच मन फी बीघा गेहूं पैदा होता था उनमें आज तमाम कोशिश करने बाद डेढ़ मन, एक मन या तीस सेर गेहूं पैदा होता है। उसके बाद भी अगर यह समझा जाय कि खाद्य की समस्या संतोषजनक हो गई है तो फिर मैं क्या कहूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गिरवर प्रसाद]

अब मैं सदन के सामने यह रखना चाहता हूं कि पैदावार क्यों कम हो गई। हमारा देश सत्य अहिंसा पर चलने वाला था। आज से चौदह साल पहले तक लोग हमको बड़ा भारी प्रयत्न करने के बाद भी अंडा और गोश्त नहीं खिला पाये, लेकिन आज भारी तादाद में लोग खाने लगे हैं। अभी यह कहा गया कि खाद्य के मसले को एग्रीकल्चर से सम्बन्धित कर दिया। मैं समझता हूं खाद्य के माने ही एग्रीकल्चर के हैं जिसमें अंडा, मछली वगैरह नहीं आते। पैदावार में कमी होने की जिम्मेदारी जैसा कि मैं समझता हूं हुकूमत के ऊपर है। कारण यह है कि इस हुकूमत के आने के पूर्व लोग यह समझते थे कि कानून बनेगा और अपनी जमीन एक काश्तकार दूसरे काश्तकार को नहीं उठा पायेगा जिसका नतीजा यह हुआ कि सैकड़ों बीघे जमीन लोगों ने नहीं उठाई इस डर से कि कहीं जमीन इधर से उधर न चली जाय और जिससे कुदरत की तरफ से यह असर हुआ कि पैदावार कतई कम हो गई। दूसरा कारण यह है कि सरकार ने रास्ते बनवाये, आदमियों के अन्दर से बिल्कुल भय निकल गया, क्योंकि हम आजाद हो गये, उन्होंने बिल्कुल परवाह नहीं की। नतीजा यह हुआ कि हमारे गांवों में खेतों का पानी इधर उधर बहने लगा और पैदावार बिल्कुल कम हो गई। तीसरी बात यह है कि हम लोगों की नीयतों में फर्क आ गया। १४ साल पहले हमारे यहां कोई योजना नहीं थी लेकिन जब हमने योजना बनाई और यह कहा कि इतने लाख टन अन्न पैदा करेंगे तो परमात्मा की निगाह भी बदल गई और पैदावार उत्तरोत्तर कम होती चली गई। आज हम बाहर से करोड़ों टन अन्न मंगाने के आदी हो गये हैं। ईश्वर न करे कि कहीं हम इस काबिल हो जायं कि बाहर से अन्न न मंगा सकें तो मैं नहीं समझता कि इस देश की क्या हालत होगी। आज हर बात में देश तरक्की कर रहा है लेकिन अगर लखनऊ में भी सरकार कोशिश करे कि यहां शरफों से १ लाख रुपया चांदी का जमा कर लें, तो नहीं हो सकता, प्राइवेट घरों का तो कहना ही क्या। वैसे चमक-दमक हर बात में बढ़ती जा रही है, भले ही हमारी खाद्यान्न की समस्या सन्तोषजनक न हो।

आज वृक्षारोपण सरकार कराती है। अगर नहरों और सड़कों पर फल देने वाले पेड़ लगाये गये होते तो काफी हद तक खाद्यान्न की समस्या हल हो गई होती। परन्तु सरकार तो ऐसे पेड़ लगवाती है जिनसे न फल ही मिलता है, न फूल, न साया, न लकड़ी। अच्छा होता कि सरकार यह कार्य नहर विभाग को या जिला परिषदों को दे देती और वे आम, जामुन और शहतूत आदि के पेड़ लगाते जिससे खाद्य समस्या में कुछ सहायता मिलती।

हुकूमत ने ट्यूबवेल अंधाधुन्ध लगवाये। हुकूमत यह समझती है कि ट्यूबवेल के पानी से खेती की उन्नति हुई है। हम लोग गांवों के रहने वाले हैं। ट्यूबवेल के पानी से जमीन केवल ३, ४ साल अच्छी रहती है और बाद में उसकी पैदावार बिल्कुल कम होती जाती है।

हमारे जिले एटा में सीमेंट की यह पोजीशन है कि जब सरकार कन्ट्रोल कर देती है तो भाव ११ ० फी बोरी हो जाता है और जब कन्ट्रोल हट जाता है तो ७ रु० में बोरी मिलने लगती है। कहीं कन्ट्रोल है, कहीं नहीं है। यह क्या बात है? हम चाहते हैं कि सरकार ऐसे कन्ट्रोल को बिलकुल खत्म कर दे।

अभी हमने अखबारों में पढ़ा कि पाकिस्तान सरकार से एग्रीमेंट हो रहा है कि १ लाख गांठें रूई की वह हमको देगी और यहां से कोयला पाकिस्तान को जायगा। हम देखते हैं कि शहरों में रेलवे के छोटे छोटे कर्मचारी, बड़ों की मैं नहीं कहता, अपने घरों में रेलवे का कोयला चोरी से लाकर जलाते हैं, और वह हलवाइयों के यहां बिकता है। अगर सरकार इसे रोक दे तो कोयले की समस्या बहुत कुछ हल हो सकती है। एटा जिले में स्थिति बहुत ही खतरनाक हो गई है। सरकार सीमेंट और लोहे का काम बड़े-बड़े आदमियों को ही देती है। अच्छा हो कि सरकार हर चीज का कंट्रोल खत्म कर दे। इससे सीमेंट की बोरी ७ रुपये में नहीं तो ७।। रुपये में मिल जायगी बजाय इसके कि कन्ट्रोल होने पर ११ रु० में मिले।

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य गेंदा सिंह जी चले गये, उन्होंने अपने भाषण में यह कटाक्ष मेरे ऊपर किया था कि जब मैं खड़ा हूंगा तो सरकार की नीतियों की पूर्णरूप से प्रशंसा करूंगा। अगर मन्त्री जी यह कहे होते कि हमारा प्रदेश खाद्यान्न के बारे में पूर्ण रूप से सेल्फ सफीशेंट है तो मैं हरगिज उनका समर्थन नहीं करता। लेकिन उन्होंने तो अपने भाषण में स्वीकार किया, और यह सत्य भी है कि पूर्णरूप से सेल्फसफीशेंट तो नहीं हुये लेकिन स्थिति पहले से अच्छी है। इस बात को श्री गेंदासिंहजी ने भी स्वीकार किया, वरना वे अनेक प्रकार के जन-आन्दोलन करते। सोशलिस्ट पार्टी का प्रचार हुआ कि लाखों आदमियों का जलूस निकालेंगे आवश्यक वस्तुओं की कमी और महंगाई के बारे में, लेकिन १,००० से अधिक आदमियों का जलूस वे नहीं निकाल सके। पहले यह होता था ५-७ साल पहले १०,००० आदमियों का जलूस तो कपड़े के और ऐसे ही प्रश्नों को लेकर हमारे जिले में निकल जाया करता था। यह इस बात का पूर्ण सबूत है कि आज हमारे बाजारों की हालत आवश्यक वस्तुओं के बारे में काफी अच्छी है।

बाढ़ के जमाने के लिये मैं सरकार को एक सुझाव देना चाहता हूं। गाजीपुर और बलिया वगैरह में बड़ी बाढ़ आती है। जुलाई में यह समस्या शुरू हो जाती है। सरकार की फेयर प्राइस शाप्स में उस जमाने में केवल गेहूं और चावल मिलता है। उसे हमारे यहां के गरीब लोग नहीं खरीद सकते हैं। इसलिये कुछ मोटे अनाज, जैसे चना और बाजरा हैं, वहां जमा कर दिये जावें जो वहां के गरीब लोगों को बाढ़ के संकट के समय मिल सके।

कोयले के सम्बन्ध में वैगन्स की समस्या गम्भीर बताई जाती है। इस सम्बन्ध में हम केन्द्रीय सरकार को चाहे जितना कोस लें--और उसमें विरोधी पक्ष भी हमारा साथ दे रहा है--लेकिन आज प्लानिंग के युग में यह उम्मीद करना कि केन्द्रीय सरकार हमारी वैगन्स की मांग को बिल्कुल पूरा कर देगी, यह सम्भव नहीं है। अतः यदि राज्य सरकार वैगन्स की समस्या हल करना चाहती है तो उसे ट्रांसपोर्ट का आल्टरनेटिव अरेंजमेंट करना होगा। जहां हम रोडवेज का काफी नैशनेलाइजेशन कर चुके हैं, हमें चाहिये कि ट्रकों द्वारा कोयला उठवायें। एक स्कीम हमें बताई गई नाव के जरिये बिहार और बंगाल से कोयला लाने की। आज से १० वर्ष पहले श्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि इलाहाबाद से पटना तक वे गंगा को नैवीगेबिल बनाना चाहते हैं। पता नहीं उसका क्या हुआ? लेकिन मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह केन्द्रीय सरकार को खटखटावें और मैं अर्ज करूंगा कि गंगा नदी को थोड़ा-सा इलाहाबाद के पास ठीक करने से नाव से ट्रांसपोर्ट हो सकता है। अलीगढ़, इलाहाबाद और मेरठ में कोयले को डम्प करने की एक स्कीम एनाउंस की गई थी। वह ठीक था लेकिन ज्यादा अच्छा होता कि बिहार के बार्डर पर, जैसे गाजीपुर है, जो सिर्फ गंगा नदी के उस पार पड़ता है, वहां कोयले के डम्प बनाये जाते। अक्सर आपने देखा होगा कि वहां बहुत बड़े डम्प्स कोयले के होते हैं और वे ६०-६५ रुपये टन में कोयला बेचते हैं। वहां से हम लोग कोयला लाकर काम चलाते हैं। नावों से कोयला लाकर यह समस्या आसानी से हल हो सकती है।

हमारे प्रदेश में सीमेंट की कमी नहीं है। चुर्क सीमेंट फैक्ट्री वाले कहते हैं कि हमारे पास सीमेंट है, ले जाइये। वैगन नहीं मिलता है। हम चाहते हैं कि हमारी प्रदेशीय सरकार रेलवे के ऊपर यह कालिमा लगावे कि प्राइवेट लोगों को वैगन मिल जाते हैं लेकिन सरकार को या फेडरेशन को नहीं मिल पाते। यह क्यों है? यह सब भ्रष्टाचार है। मैं जानता हूं कि हमारे जिले में कलकत्ते की कोयले की एक प्राइवेट कम्पनी है, वह जितने चाहे वैगन्स

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कृष्णानन्द राय]

ले आती है लेकिन कोआपरेटिव फेडरेशन को नहीं मिलते हैं। सरकार अपने मऊ के विद्युत घर को चलाने के लिये कोयला नहीं ला पाती है। मैं सरकार को चैलेंज देता हूं कि वह इस विद्युतघर को किसी प्राईवेट व्यापारी को दे दे और आप देखेंगे कि वह वहां कोयले का ढेर कर देगा। स्टेट ट्रेडिंग को मैं पसन्द करता हूं। लेकिन जब राज्य सरकार वैगन का प्रबन्ध नहीं कर पाती है, कोआपरेटिव फैडरेशन नहीं कर पाती है और प्राइवेट व्यापारी कर लेते हैं तो स्टेट ट्रेडिंग कैसे सफल होगी?

ट्रांसपोर्ट का आल्टरनेटिव अरेंजमेंट सरकार करे, बार्डर पर कोयला डम्प करे, और बाढ़ के लिये चना और बाजरा हमारे यहां जमा करा दे।

***श्री ब्रह्मदत्त मायर** (जिला सहारनपुर)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले कोयले के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। मुश्किल इस बात में नहीं है कि कोयला हमारे यहां कम होता है बल्कि इस बात में है कि उसको किस तरह से यहां तक लाया जाय। बराबर यही कहा जाता है कि कोयला तो बहुत है लेकिन यातायात की मुश्किल है। हमारे यहां भारत से बड़ी भारी तादाद में गाड़ियां पाकिस्तान को जाती हैं और जितनी भी गाड़ियां जाती हैं वे सब उत्तर प्रदेश और पंजाब से होकर जाती हैं। हमारी सरकार को केन्द्रीय सरकार से यह प्रार्थना करनी चाहिये कि पाकिस्तान को जाने वाले कोयले को समुद्र द्वारा भेजा जाय और उन्हीं रेल के डिब्बों को हमारे कोयले के लिये काम में लाया जाय। इससे काफी कठिनाई हमारी दूर हो सकती है।

अब सीमेंट के बारे में अर्ज करता हूं। बहुत सी फैक्ट्रीज हैं जिनसें सीमेंट यू० पी० को सप्लाई होता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कालका के पास एक फैक्ट्री है वहां से सीमेंट आता है। वह सहारनपुर, देहरादून और मुजफ्फरनगर के जिलों को सप्लाई होती है। हमारी सरकार ने यह तय कर दिया है कि ट्रकों से वह सीमेंट लाया जाय। लेकिन मुसीबत की बात यह है कि जो भाड़ा तय किया गया है उस पर कोई ट्रक वाला लाने को तैयार नहीं होता। आम तौर से ४ आना फी बोरी तय किया गया है लेकिन ट्रक वाले का साढ़े बारह आने से कम का पड़ता नहीं खाता है। जब कि ब्लैक मार्केट में ३–४ रुपये से ज्यादा हमको देना पड़ता है, हमारी सरकार को ऐसा कोई प्रबन्ध करना चाहिये कि बजाय ४ आने के १२ आने फी बोरी का भाड़ा तय कर दिया जाय। इसमें हमें ८ आने तो ज्यादा भले ही देने पड़ेंगे लेकिन हमारी समस्या हल हो जायगी।

अब सप्लाई विभाग के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मेरा तो ऐसा खयाल है कि बहुत सी हमारी समस्यायें तो इस विभाग की ओर से ही पैदा की जाती हैं। वे जानते हैं कि हमारी नौकरी खत्म होगी तो उसके लिये कोई न कोई तरकीब सोचते रहते हैं कि किसी प्रकार से वह बनी रहे। आये दिन किसी न किसी चीज की कमी की वे सरकार को बताया करते हैं। अभी आप देखिये कि प्रश्नोत्तर काल में चीनी की कमी की बात कही जा रही थी या उसके दाम बढ़ने के बारे में कहा जा रहा था। इसी प्रकार से ३–४ साल पहले इन्तहा चीनी के होते हुये चीनी की कमी बताई गई। यह आदमी की पैदा की हुई डिफीकल्टी है। इसी प्रकार से आज भी एक तरफ तो कहा जाता है कि चीनी को रखने के लिये गोदामों में स्थान नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ चीनी का भाव चढ़ना शुरू हो गया है। इसमें कहीं न कहीं बेईमानी या देशद्रोहिता अवश्य है। इस प्रकार से यह सारी डिफीकल्टी जानबूझ कर सप्लाई विभाग के आफिसरों द्वारा पैदा की जाती है। अब इन अफसरों के बारे में थोड़ी सी बात और आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं यह नहीं कहता कि सब बुरे हैं लेकिन एक मेजारिटी ऐसी है जो आज के वातावरण में पले हुये हैं और वे यह महसूस करते हैं कि जितनी बेइमानी कर सकते हैं उतनी कर लें, सब उचित ही है। लेकिन उन चीजों पर पर्दा डालना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

था उनकी तरफ कोई कदम न उठाना यह तो कोई शोभनीय चीज नहीं है। अभी पिछले दिनों का किस्सा है कि हाई कोर्ट ने मथुरा के डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफिसर क बारे में एक रिमार्क पास किया और उनका ट्रांसफर बनारस को कर दिया गया, लेकिन वे इतने अकड़ थे या अपने को इतना मजबूत समझते थे कि उन्होंने उस आर्डर पर जाने से इनकार कर दिया और बहाने पर बहाने बना कर वहीं जमे रहे। इसी दौरान में सहारनपुर के ए० आर० ओ० को ट्रांसफर आर्डर मिला कि आप फौरन मथुरा जाकर चार्ज ले लीजिये। वे वहां से चले गये और जब वहां पहुंचे तो तीसरे दिन उन्हें आर्डर जाता है कि आप वापस चले आइये। आने जाने का इतना खर्च हुआ, इतनी असुविधा हुई। अगर उस आदमी को वहां से नहीं हटाना चाहते थे तो क्या मतलब इस तरह के चेंज करने को। सबसे दुख की बात यह है कि जिस व्यक्ति को हाईकोर्ट ने यह महसूस किया कि यह व्यक्ति इस लायक नहीं है कि उसे नौकरी में रखा जाय या इस पोस्ट पर रखा जाय, हुकूमत के बदलते ही उसे डी०एस०ओ०ही नहीं बना दिया गया बल्कि जो अब तक टेम्पोरेरी था, उसे पक्का कर दिया गया और एक तरह से उसकी नालायकी पर मुहर लगा दी गई। पक्का होने के बाद अब उसे कोई हटाने वाला नहीं है। यह कितने दुख व अफसोस की बात है। बहुत से लोगों के इल्म में यह बात न हो, लेकिन यह असलियत है कि ऐसा हुआ।

एक चीज और ऐसी है कि आपने शहरों और कस्बों के अन्दर जो डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफिसर्स रखे हैं उनका काम मकानों का एलाटमेंट करना भी है। इन मकानों के एलाटमेंट के लिये आपने एक-एक कमेटी मुकर्रर कर दी है। उस कमेटी में कांग्रेस के प्रधान व अन्य कांग्रेस के लोग, जो सरकार के पिट्ठू हैं, पांच-पांच, सात-सात की तादाद में भरे पड़े हैं। वे लोग जिस तरह से चाहते हैं मनमानी तरीके से काम करते हैं। डी० एस० ओ० को मजाल नहीं जो उनकी बात न माने। एलाटमेंट तो उनके नाम से ही होता है, दस्तखत भी उनके होते हैं। लेकिन कमेटी वाले जो मन में आता है, वही करते हैं। जिसको चाहते हैं मकान देते हैं और जिससे चाहते हैं उससे मकान खाली करवा लेते हैं। मेरा मतलब है कि उसके अन्दर कुछ अच्छे व्यक्ति भी रखे जायं जिससे इस तरह की धांधली तो नहीं हो।

मैं जानता हूं कि बहुत से ऐसे आदमी वहां रखे गये हैं जो सिवाय कठपुतली बने रहने के अपने स्वार्थ को सामने रखने के, अपनी जेबें भरने व पब्लिक को परेशान करने के और कुछ करते ही नहीं हैं। तो मेरा सुझाव है कि अव्वल तो इस कमेटी को बिलकुल ही खत्म कर दिया जाय क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं है, लेकिन, अगर आप इस चीज को मानने के लिये तैयार नहीं हैं तो बजाय चन्द पिट्ठू लोगों को वहां रखने के कम से कम ऐसे अच्छे आदमियों को रखें जिससे पब्लिक को लूटने-खसोटने का उनको मौका न मिले। हर डी० एस० ओ० को यह आर्डर दिया जाय कि जिस चीज को वह सही समझें उसी को करें। अगर माननीय मन्त्री जी भी किसी चीज को करने के लिये कहें और वह समझता है कि यह चीज गलत है तो उसे न करे। उससे यह होगा कि कांग्रेस प्रधान व दूसरे नामिनेटेड मेम्बर अपनी मनमानी नहीं कर सकेंगे। इससे पब्लिक के अन्दर विश्वास पैदा होगा और मकानों के लिये जो पब्लिक दर-दर ठोकरें खाती फिरती है उससे उसे छुटकारा मिल जायगा। देखा गया है कि जिस दिन हाउसिंग कमेटी की मीटिंग होती है उसके पहले दिन ही मेम्बरों के यहां डाली लेकर लोग जाते हैं सिफारिशें लेकर जाते हैं कि मेरे मकान का मामला है, जरा खयाल कीजिये। इस तरह की कमेटीज बिलकुल खत्म हो जाना चाहिये। इनसे कोई फायदा नहीं है। इतना कहते हुये मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मन्त्री जी पब्लिक की तमाम मुश्किलों को दूर करने का प्रयत्न करेंगे।

श्री तेज नारायण (जिला खीरी)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यधिक आभारी हूं कि आपने खाद्य तथा रसद विभाग के अनुदान पर मुझे आज अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। मैंने बहुत ध्यानपूर्वक माननीय मंत्री जी का भाषण सुना और माननीय सदस्य जिनके द्वारा कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। उनका भाषण भी मैंने ध्यान से सुना। साथ ही, खाद्य तथा रसद विभाग के कार्यकलाप सन् १९६१-६२, जो यह पुस्तिका है उसको भी मैंने ध्यानपूर्वक पढ़ा। माननीय सदस्य जिन्होंने कि कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उन्होंने जो बातें सदन के समक्ष रखीं उनमें उन्होंने कहा कि हमें दुख है कि आज तक यह प्रदेश खाद्यान्न से सेल्फसफीशियेंट न हो सका। उन को मालूम होना चाहिये कि हमारी सरकार की तरफ से पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा निरन्तर यह प्रयास जारी है और साधन जुटाये जा रहे हैं कि जिस से यह प्रदेश खाद्यान्न में सेल्फसफीशियेंट हो जाय लेकिन कुछ न कुछ दैविक आपत्तियां यहां इस प्रकार की आ जाती हैं, कभी बाढ़, कभी ओलावृष्टि, कभी सूखा जिन के कारण खेती को भारी क्षति पहुंचती है और यही कारण है कि जिस से हम इस समस्या को हल नहीं कर पाते हैं। परन्तु हम अपने मन्त्री जी के बहुत आभारी हैं और विभाग के अधिकारियों के भी आभारी हैं कि इधर कोई भी भुखमरी की या कोई और ऐसी बात सुनने में नहीं आई और न कोई ऐसी समस्या आई कि जिससे कोई खराब दशा प्रदेश में समझी जाय। इसलिये जैसा कि इस खाद्य तथा रसद विभाग की पुस्तिका के पहले पन्ने पर लिखा है कि वर्ष १९६१-६२ में हमारे प्रदेश में खाद्यान्नों की स्थिति सन्तोषजनक रही, मैं भी इस को सही मानता हूं और इस पर सन्तोष प्रकट करता हूं।

जहां तक कि सीमेंट की बात है हमारे मन्त्री जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि इसके वितरण में यूनिफारमिटी नहीं रह सकी, उन्होंने कहा कि वह किन्हीं जिलों में ज्यादा गया और किन्हीं में कम पहुंचा। मैं उनकी इस स्पष्टवादिता के लिये बहुत आभारी हूं और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आगे इस प्रकार का अनियोजित वितरण न हो। हमारे जिला लखीमपुर खीरी में ज्यादातर फूस के मकान हैं जिन पर छप्पर रहते हैं और वहां हर साल उनमें आग लगा करती है और लोगों के घरबार और सम्पत्ति नष्ट हो जाती है इसलिये मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह वहां के लिये खासतौर से जी० सी० शीट्स का प्रबन्ध करें। आग लगने से तमाम खाद्यान्न और मवेशियों का नुकसान होता है इसलिये वह अपनी अमूल्य वस्तुयें को शोक से रख सकें और क्षति न हो यह जरूरी है कि वहां के लिये जी० सी० शीट्स दी जांय। सन् १९६१ में खीरी में कुल २ वैगंस इन शीट्स के पहुंचे और एक वैगन में कुल २० टन माल होता है, २ वैगन वहां के लिये बिलकुल नाकाफी रहे और लोगों को भारी परेशानी रही। आशा है कि मन्त्री जी वहां के लोगों की इस कठिनाई को पूरा करेंगे।

कोयले का जहां तक सवाल है माननीय मन्त्री जी ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि कोयले की कठिनाई पिछले साल में लोगों को रही है और कोशिश की जा रही है कि वह कठिनाई दूर हो। उन्होंने इस पुस्तक में विचार व्यक्त किया है और लिखा है कि हमारी तरफ से प्रयास किया गया है जिससे कोयले की कमी दूर हो। बिना कोयले के ईंट नहीं बन सकता और बिना ईंट के मकान नहीं बन सकते, इसलिये कोयले की समस्या हल होनी चाहिये। हमारे जिला खीरी में जो कोटा कोल का है वह १९० वैगन्स का है जिसमें से १९६१ में केवल ५० वैगन्स मिले और १९६२ में केवल २८ वैगन्स मिले। इस लिये मन्त्री जी से कहूंगा कि हमारे जिले में कुछ तादाद ज्यादा बढ़ायें, या जितनी तादाद हो उसी अनुपात से इसका वितरण करें जिससे समस्या कुछ तो हल हो जाय।

आज समाचार पत्रों में देखा कि लोक सभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि २१ फैक्ट्रीज सीमेंट की खुल रही हैं, लेकिन अपने प्रदेश का नाम उसमें नहीं है। मैं समझता हूं सरकार सचेत है और चाहती है कि सीमेंट की फैक्ट्री हमारे यहां भी खुलें ताकि सीमेंट की समस्या हल हो सके।

हमारे विरोधी पक्ष के भाई श्री गेंदा सिंह जी ने मकानों के अलाटमेंट के बारे में एक बात कही। बात सही है, बड़ी कठिनाई है और इस ओर सरकार को पूर्ण रूप से सफलता नहीं

मिली है। मैं एक सुझाव मन्त्री जी को देना चाहता हूं कि रेंट कन्ट्रोल ऐंड एविक्शन ऐक्ट को ला कमीशन को रेफर कर दिया जाय ताकि जो इसमें खामियां हों, या जो दिक्कतें इस ऐक्ट में अफसरों के सामने आती हों, मकान मालिकों के सामने आती हों, मकानों में रहने वाले लोगों के सामने आती हों, उनके सम्बन्ध में ला-कमीशन आवश्यक सुझाव दे जिससे वे दिक्कतें दूर की जा सकें और उसी के मुताबिक इस ऐक्ट में संशोधन किया जाय। अगर ऐसा किया जायगा तो काफी सफलता इसमें प्राप्त हो सकेगी।

अन्त में मुझे एक बात और कहनी है। कहा गया है सप्लाई अफसरों की तीन स्केल आफ पे रखी जायेगी। इसको मैं उचित नहीं समझता इसलिये कि इससे बेनिफिटेड लोग कम होंगे। मेरा सुझाव है कि स्केल आफ पे एक होना चाहिये। हां, यह बात दूसरी है कि बड़े-बड़े शहरों में पोस्टेड लोगों को आप कुछ ज्यादा एलाउन्स दें। लेकिन स्केल आफ पे एक होना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं अनुदान का समर्थन करता हूं और कटौती का जो प्रस्ताव मैंने रखा है उसको वापस लेता हूं।

श्री मंगल (जिला बहराइच)—श्रीमन्, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। प्रस्तुत अनुदान में जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं। श्रीमन्, खाद्य समस्या एक जटिल समस्या बनी हुई है। इस समस्या को हल करने के लिये सरकार ने जो भी कार्य किये हैं वे एकांगी विचारधारा के आधार पर किये हैं जिसके कारण देश में कुछ क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने ही फायदा उठाया है। ८० प्रतिशत जनता जो गांवों में रहती है उसको कोई लाभ नहीं हुआ, सरकार उनके प्रति उदासीन रही। यदि यह कहा जाय कि देश के रहने वाले उस समाजवादी व्यवस्था में दुख ही पा रहे हैं तो कोई गलत न होगा।

जहां तक सरकार द्वारा खोली गई सस्ते गल्ले की दूकानों का प्रश्न है यह सब शहरों में ही पाई जाती हैं। इनसे गांव वालों को कोई लाभ नहीं होता है।

बिक्री के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि जब तक किसान के यहां गल्ला रहता है तब तक तो सस्ते भाव पर उसको बेचा जाता है लेकिन जब उसके घर गल्ला समाप्त हो जाता है तो वही गल्ला उसको महंगे दामों पर मिलता है।

हमारे जो ग्रामीण भाई हैं लोहा उनके लिये बहुत आवश्यक चीज है जिसके जरिये से कृषि के अधिकतर औजार बनाये जाते हैं। इसलिये लोहे को भी सस्ता कर देना चाहिये। मकान भी शहरों में ही मिलता है लेकिन गरीब किसान जो देहात में रहते हैं उनके लिये मकानों का कोई प्रबन्ध नहीं किया जाता। बहुत से लोगों के मकान जल गये हैं और बहुतों के बाढ़ के कारण गिर गये हैं और आज उनके पास छप्पर तक नहीं हैं लेकिन उनकी तरफ सरकार कोई ध्यान नहीं देती।

जैसा गेंदा सिंह जी ने कहा मेरे जिले बहराइच में भी बदकिस्मती है कि सीमेंट के लिये बहुत परेशानियां होती हैं। किसान जब सीमेंट लेने के लिये आता है तो उसे तरह-तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पंचायत मन्त्री से लिखवाओ, पंचायत मन्त्री कहता है कि बी० डी० ओ० के पास जाओ और बी० डी० ओ० कहता है कि प्लानिंग आफिसर के पास जाओ। इस तरह से वह मारा मारा घूमता है और शाम को वापस घर चला जाता है। मेरा निवेदन है कि सीमेंट, लोहा, कोयला और कपड़ा सस्ता कर दिया जाय।

श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने रसद और खाद्य विभाग के अनुदानों पर बोलने का मुझे अवसर दिया है। मैं खाद्य एवं रसद विभाग के समर्थन में और कटौती के प्रस्ताव के विरोध में खड़ा हुआ हूं।

[श्री जसरामसिंह]

आज तक सदन में जितने भी कटौती के प्रस्ताव आये मैंने सबको ध्यानपूर्वक सुना है लेकिन आज के कटौती के प्रस्ताव पर जो भाषण हुआ उसे सुन कर मुझे बड़ी निराशा हुई। मैं सोचता था कि श्री चन्द्रजीत जी कोई नई बात कहेंगे ।

तीन बातें श्री चन्द्रजीत जी ने कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में कही हैं। पहली बात खेतिहर मजदूरों से सम्बन्ध रखी थी। वह अगर कृषि विभाग के अनुदानों के वक्त अपनी इस बात को रखते तो ज्यादा अच्छा होता। उन्होंने कहा कि पैदावार क्यों नहीं बढ़ी और कैसे बढ़ सकती है। उन्होंने स्वयं ही जवाब दे दिया कि जब तक खेतिहर मजदूर को खेत का मालिक नहीं बनाया जायगा तब तक उसकी पैदावार नहीं बढ़ सकती।

दूसरी बात यह कही कि कल और कारखानों को कोयला इतना कम मिलता है कि वे अपनी पैदावार बढ़ाने में असमर्थ हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी, खाद्य विभाग इस बात के लिये धन्यवाद के पात्र हैं कि हमारे प्रदेश में पी० डबलू डी०, नहर विभाग और अन्य जितने विभाग हैं उनको जो कोयला दिया जाता था उसमें जो ब्लैक मार्केट होता था, दूनी कीमत पर ठेकेदार बेचते थे और उसके बीच में जो ठेकेदार दलाल थे उनको उन्होंने निकाल दिया है और अब सीधा कोयला जिलाधीश महोदय के द्वारा दिया जायगा जिससे भट्ठे वालों को सीधा कोयला मिलेगा। तो भ्रष्टाचार को कोयले से खत्म करने के लिये उन्होंने एक बड़ी बात की है ।

दूसरी बात उन्होंने यह कही कि कल कारखानों को कोयला कम मिलता है तो मेरा निवेदन यह है कि मिलों और कारखानों को और उद्योग विभाग के कारखानों को इतना कोयला मिलता है कि वे आधा या चौथाई खर्च कर पाते हैं ।

जितने चीनी मिल चलते हैं वह खोई को जलाते हैं और मिलें कोयले का आधा भाग जला पाते है और बाकी सब कोयला गोलमाल करते हैं और दूनी कीमत पर बेचते हैं। यह जो बात उन्होंने अपने कटौती के प्रस्ताव में कही कि मिलों को कोयला कम मिलता है, मैं यह कहना चाहता हूं कि उनको इतना कोयला मिलता है कि वे उसको जला ही नहीं पाते है और दूसरों को देते हैं। तीसरी बात लगान बढ़ने की जो उन्होंने कही वह इस कटौती के प्रस्ताव से कोई सम्बन्ध नहीं रखती । इन तीन बातों के बाद मैं समझता हूं कि यह कटौती का प्रस्ताव जितना नीरस रहा है उतना नीरस प्रस्ताव इस सदन में कोई आया नहीं ।

श्रीमन्, अब मेरा मंत्री जी से आपके द्वारा कुछ निवेदन है। प्रदेश में जो यह डम्प की प्रथा है जिसको उन्होंने हमारे प्रदेश में लागू किया है, जहां तक मुझे ज्ञान है इस प्रथा को देश में किसी दूसरे प्रदेश ने नहीं माना है। इस प्रथा को मैं किसी माने में ज्यादा अच्छा नहीं मानता हूं। इस डम्प की प्रथा पर वह पुन: विचार करें कि इससे कितना नुकसान होता है। जब कोई आदमी कोयला लेने के लिये डम्प पर जाता है तो उसको बड़ी कठिनायी होती है। वहां उसके नापने में बड़ी गड़बड़ी होती है, खर्चा बढ़ता है। इसलिये अगर आप वही परमिट सिस्टम कर दें कि भट्ठे वाले अपने अपने परमिट्स से वैगन्स मंगाया करें और डम्प में उनको न डालें तो ज्यादा अच्छा हो। दूसरा निवेदन मेरा यह है कि आप जितना कोयला इन उद्योगपतियों को देते हैं उनको खासतौर से कहिये कि जितनी उनकी जरूरत हो उतना कोयला वे अपनी अपनी ट्रकों से ढुलवा कर मंगायें और रेलों द्वारा जो कोयला आता है वह विकास के कामों में और भट्ठे वालों को दें। मिल वालों के पास अपनी ट्रक्स होती हैं। वे उनसे अपनी आवश्यकतानुसार कोयला मंगा सकते हैं ।

इसके बाद मैं मंत्री जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने भ्रष्टाचार को बहुत हद तक दूर किया है और मुझे आशा है कि वे आगे भी इस दिशा में कदम उठायेंगे। वर्तमान मंत्रीजी के काल में जितना यह रसद विभाग आगे बढ़ा है उससे यह प्रदेश आगे बढ़ने में सफल हुआ है ।

श्री उपाध्यक्ष—अब आपका समय समाप्त हो गया ।

***श्री बिपिन बिहारी तिवारी** (जिला सीतापुर)—मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय चन्द्रजीत यादव के कटौती के प्रस्ताव के पक्ष में खड़ा हुआ हूं। प्रत्येक मनुष्य को पांच वस्तुओं की मौलिक आवश्यकता होती है। अन्न, वस्त्र, मकान, शिक्षा और दवाई। इनमें अन्न सब से महत्वपूर्ण है। "अन्न प्राण:" अन्न ही जीवन है। जो सरकार खाद्यान्न को प्रर्याप्त उपलब्धि नहीं करा सकती है वह जम नहीं सकती है। खाद्य की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। हमारे कांग्रेसी सदस्यों ने अपना पूरा समय सीमेन्ट, कोयला और लोहे के वितरण में लगा दिया लेकिन आज इस पर विचार होना चाहिये था कि खाद्य समस्या का हल किस प्रकार होना चाहिये। आज जब तक हम खाद्यान्न में विपणीय अतिरेक न प्राप्त कर लें, फूड मार्केटेबिल सरप्लस न प्राप्त कर लें तब तक हमारी खाद्य समस्या हल नहीं हो सकती है। जब तक किसान इतना पैदा नहीं करता है कि वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद कुछ बचाता नहीं है तब तक हम उन लोगों को जो खाद्यान्न के उत्पन्न में नहीं लगे है उनको अन्न कैसे दे सकते हैं ? बहुत से भाई अन्न पैदा नहीं करते हैं और दूसरे कार्यों में लगे रहते हैं, उनको भी खाद्यान्न की आवश्यकता है इसलिये हमें यत्न करना चाहिये कि खाद्यान्न में विपणीय अतिरेक प्राप्त करें। यह फूड मार्केटेबिल सरप्लस तीन प्रकार से पैदा हो सकता है। एक तो यह कि कृषि पर जितने लोग लगे हुये हैं उनमें कमी करें। दूसरे यह कि सरकारी नीति के द्वारा, सरकारी आदेश के द्वारा किसान को भूखा रखकर उसकी कमाई को जबर्दस्ती ले लें और तीसरा तरीका यह है कि हम उपज को बढ़ायें।

मान्यवर, मैं आपके सामने कुछ आंकड़े प्रस्तुत करता हूं कि आज हमारे भारतवर्ष में कितने लोग किन-किन चीजों पर लगे हुये हैं :—

	भारत	अमरीका	संयुक्त राष्ट्र
१—कृषि, पशुपालन, वन एवं मत्स्य पालन	७०६	१२८	५०
२—खनिज, विधायन और व्यापार ..	१५३	४५६	५५५
३—अन्य उद्योग एवं सेवायें	१४१	४१६	३९५

यह आंकड़े प्रति १,००० व्यक्ति के ऊपर हैं।

अगर हम कृषि का भार कम कर दें तो हम खाद्यान्न में विपणीय अतिरेक प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से यह समस्या हल हो सकती है।

कल ही केन्द्र के कृषि मंत्री श्री एस०के० पाटिल ने कहा है कि हमारे यहां खाद्य की समस्या संतोषजनक है और हमारे मंत्री जो ने भी संतोषजनक बताई है। हो सकता है। लेकिन हमें इस दिशा में बहुत ध्यान देना होगा और हम देखते हैं कि हमारी कृषि की उपज के लिये जो कार्य कृषि विभाग द्वारा होने चाहिये, नहीं होते हैं। आज हमारे यहां जमीन बहुत टुकड़ों में बांटी जा रही है। इसके बारे में मैं आपकी आज्ञा से अंग्रेजी का एक वाक्य पढ़ देना चाहता हूं। वह इस प्रकार है—

The first fact about small farming is that the per capita area of cultivated land has been going down. From 111 cents in 1921 it decreased to 84 cents in 1951-52—a drop of nearly 25 per cent. Fragmentation continues.

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बिपिन बिहारी तिवारी]

हमारी जमीन छोटे-छोटे टुकड़ों में है इसलिए हमें छोटे-छोटे काश्तकारों का ध्यान रखना होगा । प्रत्येक काश्तकार को, प्रत्येक परिवार को कोआपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का सदस्य होना चाहिये और उसके द्वारा उसको अधिक कर्जा मिलना चाहिये ताकि उसके द्वारा वह अपनी भूमि की समस्या को हल करके सघन खेती के द्वारा अपना उत्पादन बढ़ा सके ।

तृतीय योजना में हमने एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा है कि १९६५-६६ तक १०० और १०५ मिलियन टन देश के अन्दर खाद्यान्न का उत्पादन करेंगे। अगर हम को १०० और १०५ मिलियन टन का लक्ष्य प्राप्त करना है तो बिना सघन खेती किये हुए हम इस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते । इसलिए हमारा ध्यान पूर्णरूपेण छोटे-छोटे काश्तकारों की ओर और इंटेंसिव कल्टीवेशन की ओर होना चाहिये ।

अब मैं वितरण पालिसी के सम्बन्ध में दो शब्द कहना चाहता हूं । जिस वितरण पालिसी को आपने अपनाया है वह अत्यंत असंतोषजनक है । सीमेन्ट, कोयला और लोहा जो कि आज के युग में प्रत्येक मनुष्य के आवश्यक अंग बन गये हैं, ग्राम के लोग गाढ़ी कमाई से पैदा करके कुछ बचाते हैं, तो उनको भी आवश्यकता होती है कि अपने पाखाने को, मूत्रालय को, मकान को अथवा चौपाल को पक्का बनवाएं और इसके लिये सीमेन्ट, कोयला और लोहा चाहिये । अभी तक आपने अपने चौदह वर्ष के शासन के अन्दर जो शहरों की ओर दृष्टि दी है उसको थोड़ा कम कीजिये । देहात की तरफ इन चीजों के वितरण की व्यवस्था कीजिये । इसलिये जहां ब्लाक्स हैं, जहां पर साधन सहकारी समितियां हैं, उनके द्वारा आप सीमेन्ट, कोयला और लोहा वितरित कीजिये । आपकी वर्तमान वितरण की व्यवस्था में प्रत्येक ग्रामीण को जिला स्तर पर जाना पड़ता है, पैसा खर्च करना पड़ता है, दिन भर भटकना पड़ता है, इस व्यवस्था को आप विकेन्द्रित कीजिये । आप वितरण, उत्पादन और उपभोग पर नियन्त्रण क्यों करना चाहते हैं । यह तो साम्यवादी सरकार का गुण है कि वितरण, उत्पादन और उपभोग पर नियन्त्रण करे । आपको इस व्यवस्था का भी विकेन्द्रीकरण करना चाहिये । ब्लाक स्तर पर इसका विभाजन होना चहिये ।

अब मैं दो शब्द आप की रेंटकंट्रोल पालिसी के ऊपर कहना चाहता हूं और एक उदाहरण देना चाहता हूं । यहां पर एक वंशी भवन है, नरही रोड पर, सोसाइटी पार्क में स्थित है । मकान खाली हुआ और लखनऊ के बहुत से नागरिकों ने उसके लिये प्रार्थना-पत्र दिया । लेकिन हमारे खाद्य मंत्री महोदय ने अपनी स्थिति का लाभ उठाकर उस मकान को एक पहाड़ी सज्जन को अलाट कर दिया । आज लखनऊ के अन्दर एक लिस्ट पेश की जा सकती है जहां पर जिसमें छोटे कर्मचारी जिनको दो सौ रुपये से कम वेतन मिलता है, जब उनको मकान की आवश्यकता पड़ती है तो पूर्ति विभाग द्वारा कहा जाता है कि ८० रुपये का मकान खाली है इसमें चले जाओ । लेकिन जब किसी उच्चाधिकारी जिसको मंत्री जी अच्छी तरह से जानते हैं, जो प्रभावशाली है, जब उसको मकान की आवश्यकता पड़ती है तो ३० रुपए का मकान अलाट हो जाता है । यह केवल लखनऊ की स्थिति नहीं है । प्रत्येक जिले में यही स्थिति है । हर एक जिले के अन्दर जो सिविल आफिसर्स हैं जिनकी तनख्वाहें बड़ी-बड़ी हैं अगर लिस्ट उठाकर देखी जाय और सरकार वादा करे कि वह मकान खाली किये जायंगे तो सदन के अन्दर वह लिस्ट पेश की जा सकती है, जिलों के अन्दर बड़े-बड़े अधिकारी की तनख्वाहें अधिक हैं, उनको कम किराऐ के मकान अलाट किये गये हैं और जो छोटे कर्मचारी हैं उनको ज्यादा किराऐ के मकान अलाट किये गये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—अब आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री मूलचन्द शास्त्री (जिला मेरठ)—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि आपने इस अनुदान पर बोलने का समय मुझे दिया । खाद्य तथा रसद मंत्री महोदय द्वारा जो अनुदान प्रस्तुत किया गया है उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं ।

इसमें कोई संदेह नहीं कि मनुष्य की दिनचर्या के लिये जितनी भी आवश्यक वस्तुएं हैं उनसे इस विभाग का गहरा सम्बन्ध है। अगर मनुष्य को खाने की अच्छी चीजें नहीं मिलतीं तो सब कुछ उसके पास होने पर भी न वह अपना स्वास्थ्य बना सकता है और न वह अपनी सामाजिक जीवनचर्या को अच्छी तरह चला सकता है। मुझे अभी तक वह दिन नहीं भूले जब कि हम नमक के लिये तरसा करते थे जबकि उन अंग्रेजों के वक्त में जिनके बारे में यह प्रसिद्ध था कि उनके साम्राज्य में कभी सूरज अस्त नहीं होता उनके राज्य में बंगाल में भूख से भारी नरसंहार हुआ और बावजूद इसके कि हिन्दुस्तान में काफी अन्न था फिर भी हम उन मरते हुये निरीह मनुष्यों को बचा नहीं सके। लेकिन आज यह हमारी सरकार का प्रबन्ध कहता है, यह हमारी सरकार के प्रबन्ध की खूबी है कि हिन्दुस्तान में आज ऐसी कोई घटना नहीं होती कि अन्न न मिलने से कोई मर गया हो या कोई और ऐसी दुखद घटना हुई हो। इसमें सन्देह नहीं कि कभी-कभी अन्न के वितरण में कुछ दिक्कतें पड़ जाती हैं। बाढ़ और दूसरे जो प्रकृति के प्रकोप हैं उनके कारण अन्न उत्पादन में भारी कमी आ जाती है लेकिन फिर भी जो खाद्य और रसद विभाग की रिपोर्ट निकली है अगर उसको हम देखें तो हमें यह मालूम पड़ता है कि जहां जहां इस प्रकार की कमी आयी हमारी सरकार ने वहां वहां देहात में भी और शहरी क्षेत्र में भी अपनी सस्ते गल्ले की दूकान खोल कर उस कमी को दूर करने का प्रयत्न किया और इसमें सन्देह नहीं कि उससे इतना लाभ हुआ कि पिछले साल कहीं भी इस प्रकार से अन्न का भाव बढ़ने नहीं पाया कि लोगों को उसके खरीदने में या लेने में दिक्कत हो। हां, एक बात मैं जरूर महसूस करता हूं। जैसा कि खाद्य और रसद विभाग की रिपोर्ट से मालूम पड़ता है कि कुछ चीजों का जैसा गेहूं, चावल, जौ, बाजरा इन खाद्यान्नों का एक जिले के अन्दर कुछ ऊंचा भाव रहा जब कि दूसरे जिलों के अन्दर उसी अवधि में काफी नीचा भाव उनका रहा और मैं समझता हूं कि इसके लिए यातायात की असुविधायें ही दोषी ठहरायी जा सकती है। तो हमें इस बात का भी प्रबन्ध करना चाहिये कि साधारणतया एक मन में अगर एक रुपया या डेढ़ रुपया की कमी बेशी रहे तो वह ज्यादा चिन्ता की बात नहीं है लेकिन अगर इससे ज्यादा कहीं अन्तर होता हो तो इस बात का भी प्रबन्ध हो कि जो लोग अपने अन्न को बेचना चाहते हैं उनको उचित मूल्य उसका मिल सके।

सबसे बड़ी बात जो भ्रष्टाचार को दूर कर सकती है वह यह है कि किसी तरह से हमारे देश में जिन-जिन चीजों की जरूरत पड़ती है उनका उत्पादन बढ़ा दिया जावे। उदाहरण के लिये अभी दो-तीन साल पहले बड़ी दिक्कत हुआ करती थी लोहे की सरिया खरीदने की और अच्छे-अच्छे गार्डर खरीदने की। लेकिन आज जबकि हमारे देश में लोहे के उत्पादन के साधन कुछ बढ़े हैं तो हम अब उचित मूल्य पर सरिया भी खरीद सकते है और गार्डर भी खरीद सकते है। कोई दिक्कत अब उसमें नहीं है।

जहां तक सीमेंट की बात है मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि उसके वितरण में कुछ दिक्कत है। अगर उसका वितरण कुछ ठीक कर दिया जाय तो बावजूद इसके कि सीमेन्ट की कुछ कमी है और उस कमी को जब तक उत्पादन न बढ़ाया जाय तब तक दूर नहीं किया जा सकता लेकिन फिर भी कुछ सहूलियत उसमें हो सकती है। मैं इस कमेटी में रहा हूं और बहुत कोशिश मैंने की कि इस तरह से सीमेन्ट और दूसरी चीजों का वितरण किया जाय कि जिसमें लोगों को दिक्कत न हो लेकिन अनुभव यह हुआ कि बहुत कुछ जांच-पड़ताल करने पर भी जिन लोगों को दो चार बोरी सीमेन्ट की आवश्यकता होती थी वे दस-दस बारह-बारह और पन्द्रह-पन्द्रह बोरी लिख कर लाते थे। दो चार से मैंने पूछा कि जब पांच बोरी की आवश्यकता है तो २० क्यों लिखते हो? तो उन्होंने कहा शास्त्री जी क्या करें? अगर २० मांगेंगे तो कहीं जाकर पांच, छः मिलेंगी। इसलिये हम ज्यादा लिखकर लाते है। इसमें सीधी सी बात है कि जो वितरण करने वाले हैं उनको दिक्कत हो जाती है। हरएक मांगने वाले को वह बेईमान समझें यह भी अच्छा नहीं है और अगर जितनी मांगी जाती है उतना देने लगे तो यह भी सम्भव नहीं हो सकता।

[श्री मूलचन्द शास्त्री]

तो इस विषय में जहां वितरण का कुछ दोष है वहां पर थोड़ा-सा हमारा भी है। हमें भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा और मैं समझता हूं कि अगर हम ध्यान देंगे तो उसमें जरूर कुछ न कुछ हमारे लिए अच्छाई हो जायगी।

एक बात और है कि अब हमारी सरकार ने नये बाटों को चलाया है। इसमें शक नहीं कि जब रुपये पैसे में हमने दशमलव प्रणाली को अपनाया है तो बाटों में भी उसी को अपनाने की आवश्यकता है। धीरे-धीरे उसमें सहूलियत हो जायगी। लेकिन कहीं-कहीं पर मैंने देखा कि ज्यादातर उसका लाभ व्यापारी उठाता है, उपभोक्ता को उसका लाभ नहीं होता। उन बाटों में इस तरह का हेर फेर है कि उसमें बहुत कोशिश करने पर भी बहुत जानकारी करने पर भी उपभोक्ता उतनी जानकारी अच्छी तरह से नहीं कर सकते जितनी कि अच्छी जानकारी दूकानदार को है। मैं समझता हूं कि इसका एक तो यह उपाय हो सकता है कि जितने भी हमारे पुराने बांट चले आ रहे हैं उनको जल्द से जल्द समाप्त कर दिया जाय। इसमें हो सकता है कि कुछ उपभोक्ताओं को दिक्कतें हों, हो सकता है जो बहुत से सीधे-साधे दुकानदार हैं, जिनको ज्यादा जानकारी नहीं है उनको भी दिक्कतें हो लेकिन ६ महीने के अन्दर भाव में और उनकी जानकारी में सुधार आ जायगा। फिर मैं समझता हूं कि जो शिकायत है उस शिकायत की भी गुंजायश नहीं होगी। हम सब जो यहां पर माननीय सदस्य इकट्ठा हैं उन्हें एक बात का अन्दाजा लगाना चाहिये और वह यह कि हमारे देश में अंग्रेजों के समय में और जब हमारा देश आजाद हुआ और अपनी सरकार बनी उस समय भी काफी दिक्कतें रहीं और वे दिक्कतें हर एक चीज के लिये जो मनुष्य जीवन के लिये आवश्यक है, रहीं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि यदि कभी ५ या १० गज कपड़े का परमिट मिल जाता था तो वह यह सोचता था कि न मालूम उसको कितनी अच्छी चीज मिल गई। उससे दूसरे लोग मांगा करते थे। मुझे वे दिन भी याद हैं जब चीनी के लिये लोग किस तरह से कतार लगाया करते थे और किस तरह से शादी विवाह के लिये चीनी की कोशिश किया करते थे। अब आप देखें कि चीनी की या और दूसरी चीजों की इस समय कोई दिक्कत नहीं है। चीनी जितनी चाहें उतनी ले सकते ह। इसी तरह से लोहा, कपड़ा जितना आप चाहें ले सकते हैं। हमारी सरकार ने इस विषय में जितना भी प्रयत्न किया है उसके लिये हमें अपनी सरकार को धन्यवाद देना चाहिये।

कोयले की कमी है। यह ठीक है कि जितना कोयला चाहिये उतना मिलता नहीं है किन्तु जितना कोयला रेलगाड़ी द्वारा ढोया जा सकता है वह आ रहा है। इसके लिये दूसरे सुझाव भी सरकार के सामने हैं लेकिन मैं तो यह समझता हूं कि अगर दूसरे साधनों से या दूसरी तरह से कोयला आयगा तो वह महंगा होगा। उसके बाद फिर दूसरी चीजों के दाम भी बढ़ेंगे। ईंटों के दाम भी बढ़ेंगे, दूसरी चीजों के भाव भी बढ़ेंगे और कहा जायगा कि यह चीज कितनी महंगी हो गई। इसलिये अच्छा है कि हमारी सरकार रेलगाड़ी द्वारा ही कोयला और दूसरी चीजें मंगाने का प्रबन्ध करे ताकि इन चीजों की जो दिक्कत है उनको हम कुछ अंश तक दूर कर सकें। इन शब्दों के साथ जो अनुदान हमारे खाद्य मंत्री महोदय ने सदन के सामने रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय सदस्य सब एक मत होकर इसका समर्थन करेंगे।

श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)--उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुदान पेश है और जिसके संबंध में बहस चल रही है उसके ऊपर प्रस्तुत यादव जी के कटौती के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। माननीय मंत्री जी ने अपना अनुदान पेश करते हुये जो भाषण दिया उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि खाद्य की स्थिति संतोषजनक है। मेरे खयाल से यह खाद्य स्थिति संतोषजनक कहना अच्छा न होगा क्योंकि विदेशी मुल्क की सहायता से यहां की खाद्य स्थिति अच्छी है। हो सकता है कि अभी हमें यहां अन्न बहुत बड़ी तादाद में बाहर से मिलता हो उसके कारण हमारी स्थिति अच्छी हो गई, इससे हम अपनी स्थिति को अच्छी नहीं समझ सकते ह। जब तक हमारा प्रदश या हमारा देश अन्न के सिलसिले में स्वावलम्बी

नहीं बन जाय तब तक खाद्य समस्या हमारी कभी हल नहीं हो सकती है । बहुत से महानुभावों ने कहा कि माननीय यादव जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उनका अधिकांश भाषण कृषि विभाग से संबंधित था । मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि खाद्य वह मसला है जो केवल उसके वितरण की समस्या पर बहस करने से हल नहीं हो सकता । जब तक हम अन्न उत्पादन के साधन और तरीकों पर काफी तौर पर विचार नहीं करेंगे तब तक खाद्य की समस्या भी ठीक तरीके से हल नहीं हो सकती है । मान्यवर, अभी आगरा के हमारे माननीय सदस्य ने कहा था कि मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई है और चीजें उतनी नहीं हैं इसलिये चीजों का मिलना दुश्वार है और मिल नहीं सकती हैं । मैं मानता हूं कि मांग अधिक है और उतनी चीजें मिल नहीं सकती हैं परन्तु मैं उन माननीय सदस्य को याद दिलाना चाहता हूं कि अगर कोई चीज बाजार में नहीं है तो उसके लिये कितना रुपया भी खर्च करें वह चीज नहीं मिलनी चाहिये परन्तु मैं माननीय सदस्य को दावत देता हूं कि जहां पर सीमेंट, लोहा और चीनी की कमी है वहां पर वह मेरे साथ चलें और ज्यादा दाम देने पर उसी दुकान से ब्लैक मार्केट में मिल जायगी । उसी सप्लाई की दूकान से ज्यादा दाम देने पर सैकड़ों बोरे सीमेंट या चीनी आप ले सकते हैं । ज्यादा दाम देने पर, चीज कहां से आ जाती है यह मेरी समझ में नहीं आता । मकानों के सिलसिले में अभी हाल ही में मैंने नवजीवन में एक कार्टून देखा था जिसमें एक बाबू एक ज्योतिषी को अपना हाथ दिखा रहा था और ज्योतिषी उसको कह रहा था कि तुमको मकान तो जरूर एलाट हो जायगा लेकिन उसका कब्जा नहीं मिलेगा । मैंने अखबार पढ़ते समय यह सोचा कि अखबार वाले ऐसी ही बेतुकी बातें छापा करते हैं, लेकिन जब यह मेरे ऊपर बीती तो मैंने उसे समझा । ५ या ६ महीने पहले मैंने फर्रुखाबाद में एक मकान के लिये अप्लाई किया था । कई महीने बाद उसका एलाटमेंट मिला और जब मैं कब्जा लेने गया तो वह नहीं मिल सका और आज तक उसका कब्जा नहीं मिला और उस समय मुझे उस कार्टून की वास्तविकता का पता चला । जब मुझ सरीखे आदमी को एलाटमेंट के बाद कब्जा नहीं मिल सका तो साधारण आदमियों को कैसे कब्जा मिल सकता है यह माननीय अम्बेश जी ही बता सकते हैं । मैं गांव के लोगों की वकालत करने नहीं खड़ा हुआ हूं, जो आपके लिये शहरों में आते हैं मैं उन छोटे लोगों की वकालत में खड़ा हुआ हूं जो सरकार की मशीनरी चलाते हैं और जिनको सस्ता और अच्छा मकान नहीं मिल पाता ।

मान्यवर, जहां तक टीन का संबंध है, जहां से मैं आता हूं वहां के संबंध में मैंने सवाल किया कि कितनी टीन वहां के लिये इंडेंट की गयी थी । बतलाया गया कि १५० या १३८ टन टीन इंडेंट की गयी थी और १० या ११ टन दी गयी । यदि हम कानपुर चले जायं तो ब्लैक का पैसा देकर जितनी चाहें उतनी टीन खरीद कर ले जा सकते हैं, लेकिन फर्रुखाबाद में वह टीन कंट्रोल रेट पर नहीं मिल सकती । पता नहीं इसके लिये क्या व्यवस्था है ? जहां जरूरत नहीं है वहां टीन मौजूद है और जहां जरूरत है वहां नहीं है ।

श्रीमन्, यह विभाग स्थायी होने जा रहा है । मेरा अनुरोध है कि इसमें जो छोटे कर्मचारी १० और १५ साल से काम कर रहे हैं उनको मुस्तकिल किया जाना चाहये ताकि वे इतमीनान के साथ विभाग की सेवा कर सकें और गलत काम करने के लिये, जब कभी उनको मजबूर होना पड़ता है, उससे वे अपने को रोक सकें ।

जो नये बांटों की व्यवस्था है उसमें किसान लुट रहा है । इसके अतिरिक्त वे अधिक दाम पर मिल रहे हैं और उनको छोटे दूकानदार को खरीदना मुश्किल पड़ रहा है । मेरा अनुरोध है कि उसे सस्ता किये जाने का उपाय किया जाय । मुझे यह जान कर बड़ा अचरज हुआ कि एक डिप्टी कंट्रोलर वेट्स ऐंड मेजरमेंट का एप्वाइंटमेंट ५००—१,२०० के ग्रेड में किया गया और उस पद पर एक बाहरी आदमी रख लिया गया । इस विभाग में बहुत से सप्लाई अफसर थे और अन्य योग्य व्यक्ति भी मौजूद हैं जिनको तजुर्बा था उन लोगों में से किसी को यह जगह नहीं

[श्री होरीलाल यादव]

मिल सकी । मैं नहीं जानता कि इसके लिये पब्लिक सर्विस कमीशन से कोई मंजूरी ली गयी है या नहीं और इसे माननीय मंत्री जी आशा है स्पष्ट करने की कृपा करेंगे । मुझे मालूम है कि अब माननीय मंत्री जी का विभाग स्थायी होने जा रहा है । इस संबंध में मुझे यह निवेदन करना है कि सरकार ने १८ फीसदी का जो कोटा हरिजन जाति के लोगों के लिये मुकर्रर किया है उसे पूरा किया जाय । इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

रसद उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने जो अनुदान पेश है और उस पर माननीय चन्द्रजीत यादव जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उसके संबंध में कुछ कहना चाहता हूं । जो उन्होंने अपने कटौती का प्रस्ताव पेश करते हुये भाषण दिया उसे मैंने बहुत गौर से सुना । मैं ऐसा समझता था कि माननीय यादव जी रसद विभाग के कार्य की कुछ आलोचना करेंगे और कुछ सुझाव देंगे, किन्तु मुझे ऐसा लगा, जब वे अपना कटौती का प्रस्ताय पेश कर रहे थे और उस पर बोल रहे थे, कि वे कृषि विभाग के अनुदान पर बोल रहे हैं । हमारे प्रदेश में कृषि का उत्पादन कम है, किस तरह से उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, इन्हीं सब बातों पर उन्होंने अधिक जोर दिया । अगर उन्होंने माननीय खाद्य मंत्री जी के भाषण को सुना होता तो उन्हें मालूम होता कि माननीय मंत्री जी ने प्रारम्भ में ही यह कह दिया था कि राज्य में जितना भी अन्न आयात होता है वह केन्द्रीय सरकार द्वारा होता है । केन्द्रीय सरकार जो कार्य राज्य सरकार से इस संबंध में लेती है उसको राज्य सरकार करती है । केन्द्रीय सरकार उसको आयात करके राज्य सरकार को देती है । उसी के वितरण की व्यवस्था राज्य सरकार की होती है । राज्य में जो अन्न की व्यवस्था होती है उसका वितरण खाद्य तथा रसद विभाग करता है । वह व्यवस्था हमारे प्रदेश में, जैसा मंत्री जी ने बतलाया, संतोषजनक ढंग से चल रही है ।

श्रीमन्, नियंत्रण का प्रादुर्भाव कहां से हुआ, इसको माननीय सदस्य भली प्रकार से जानते हैं । दूसरे महायुद्ध के बाद जो परिस्थिति देश में पैदा हुई उसके ही कारण नियंत्रण की व्यवस्था पैदा हुई । हमारे यहां चीजों का अभाव हुआ, अन्न की कमी हुई, और उस पर नियंत्रण प्रारम्भ हुआ । लेकिन जब से हमारे देश और प्रदेश में पंच वर्षीय योजनाओं का श्रीगणेश हुआ तभी से धीरे-धीरे यह नियंत्रण ढीला होता चला जा रहा है और आज हम इस स्थिति में हैं और यह कहने का साहस कर सकते हैं कि जो स्थिति खाद्य के संबंध में पहले थी, अब वह समाप्त होती जा रही है । हमारे प्रदेश में जितना उत्पादन है उससे अधिक खर्चा है । इसलिये बाहर से अन्न मंगाना पड़ता है । माननीय चन्द्रजीत यादव ने कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं किया । यह मै समझता हूं कि उन्होंने ठीक ही किया क्योंकि यह विभाग जो इस संबंध में व्यवस्था कर रहा है उससे उन्हें संतोष है । उनके न कहने से मैं यह समझता हूं कि उन्हें हमारी व्यवस्था पर पूर्ण संतोष है । हमारे प्रदेश में आप जानते हैं कि कभी बाढ़ आ जाया करती है बाढ़ों के आ जाने से आप और हम इस बात से भली प्रकार परिचित हैं कि खेती को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है और जब खेती को नुकसान पहुंचता है तो किसानों को उस हालत में अन्न देने की आवश्यकता होती है । तो गवर्नमेंट की यही एक एजेंसी ऐसी है जो कि सस्ते दामों पर किसानों को, गांव वालों को गल्ला दे सकती है । आप और हम भली प्रकार जानते हैं कि सन् ६० के अंतिम दिनों में हमारे प्रदेश में भयंकर बाढ़ आ गयी थी और लखनऊ में भी उस बाढ़ का बहुत बड़ा प्रकोप हुआ था । उस मौके पर खाद्य विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों ने बड़ी तत्परता से कार्य किया और उन जिलों में जहां कि बाढ़ आयी थी, सब लोगों को अन्न पहुंचाने की व्यवस्था की । आज भी हमारे प्रदेश में ५,००० से ऊपर ऐसी सस्ते गल्ले की दूकानें हैं जो उन क्षेत्रों में जहां कि गल्ले की कमी है या हो जाया करती हैं वहां अन्न वितरण का कार्य करती हैं । आप इस बात से भी परिचित हैं कि हमारे प्रदेश का एक भू-भाग ऐसा है जहां हमेशा गल्ले की कमी रहती है । साधारण समय में भी जनता को मैदानों से गल्ला खरीद कर अपना जीवन-यापन करना पड़ता है । तो सरकार ने उन जिलों में सस्ती

दूकानों के जरिये से अन्न देने की व्यवस्था की है और वहां के लोगों को ठीक दामों पर अन्न पहुंचता है। खाली अन्न ही नहीं, बल्कि वहां जो भाड़ा पड़ता है, सिर्फ ४ रुपये प्रतिमन जहां का भाड़ा है उसमें उनको कोई रियायत नहीं मिलती, लेकिन आपको शायद ज्ञात हो या न हो, लेकिन रेल हेड से और कितनी ही जगह ऐसी हैं जहां सरकार को २५-२५, ३०-३०, ३५-३५ रुपया प्रतिमन के हिसाब से गल्ले का भाड़ा देना पड़ता है। तो ४ रुपया कम करके बाकी सरकार को ही सारा खर्चा वहन करना पड़ता है यातायात का, जो गल्ले को भेजने में वहां होता है। तो यह सारी व्यवस्था अन्न वितरण की राज्य सरकार की तरफ से हमारे प्रदेश के पूर्वी जिलों में, खासतौर से और पर्वतीय जिलों में होती है। इसके अतिरिक्त बड़े शहरों में लोगों को उचित मूल्य पर खाद्य की आवश्यकता होती है, वह सस्ती दूकानों के जरिये से हमारी राज्य सरकार उनको भी देती है।

यहां पर खाद्य और रसद विभाग के कर्मचारियों पर आक्षेप करने की कोशिश की गयी। मेरा ऐसा खयाल है और मेरा पिछले १० वर्षों का अनुभव है कि इस विभाग के जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं उनका जन-संपर्क बहुत अच्छा रहा है, बड़ा संतोषजनक रहा है। उनको इस बात का अनुभव है कि जनता की आवश्यकताओं को कैसे समझा जा सकता है और उनकी पूर्ति कैसे की जा सकती है, इसको खाद्य विभाग के ही कर्मचारी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बावजूद इसके कि उनको अनेकों अवसरों पर अनेकों कठिन परिस्थितियों का मुकाबला करना पड़ता है, पहाड़ी जिलों में बरसात में सड़कें टूट जाती हैं, जहां सस्ती दूकानें गल्ले की हैं वहां गल्ला भेजने की जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर आती है, वह उस कठिन अवसर पर भी उन स्थानों पर गल्ला पहुंचाने का साहस के साथ कार्य करते हैं। तो मैं समझता हूं कि हमारे खाद्य और रसद विभाग के कर्मचारी बड़ी मुस्तैदी और ईमानदारी के साथ, तत्परता और क्षमता के साथ कार्य करते हैं। इसलिये जिन माननीय सदस्यों ने उनके बारे में यह कहा कि यह विभाग बदनाम विभाग है, उनका कथन सत्य नहीं है और अगर वह नजदीक से उनके कार्यों को देखें तो मेरा ऐसा विश्वास है कि जो विचार मेरा है उसी से वह लोग भी सहमत हो जायेंगे।

राज्य सरकार ने, इस प्रदेश के जो जिला पूर्ति अधिकारी हैं उनके वेतन-क्रम में परिवर्तन किया है। जैसा कि सदन को मालूम है, १० जगहें जिला पूर्ति अधिकारियों की ऐसी कर दी गई हैं जो ढ़ाई सौ से साढ़े आठ सौ की हैं, १४ जगहें ऐसी हैं जो दो सौ से ६५० की हैं और २७ ऐसी हैं जो दो सौ से ५०० तक की हैं। वर्षों से सरकार यह महसूस करती थी कि उनके वेतनक्रम निर्धारित होने चाहिये। मैं समझता हूं कि वेतन क्रम के इस प्रकार निर्धारित होने से खाद्य तथा रसद विभाग के जो अधिकारी हैं उनको संतोष हुआ होगा तथा उनकी सेवाओं से जो लोग प्रभावित हैं उन पर भी अच्छा असर हुआ होगा।

माननीय यादव जी ने कहा कि हमारे प्रदेश में कोयले तथा दूसरी आवश्यक चीजों की बहुत कमी है। खाद्य मंत्री जी ने अपने प्रारम्भिक भाषण में इन सब चीजों का जिक्र किया है। मेरा ऐसा खयाल है कि हमारे प्रदेश की जो मौजदा परिस्थिति है वह धीरे-धीरे सुधरती जा रही है और आशा है कि निकट भविष्य में, जो स्थिति आज है वैसी नहीं रह जायगी।

हमारे प्रदेश में हाल में ही माप तथा तौल विभाग खोला गया है वह भी संतोषजनक रूप से प्रारम्भ हुआ है। आशा है कि प्रदेश की जनता इस विभाग से भी लाभ उठायेगी। इस विभाग में आम तौर से ऐसे ही लोग रखे जाते हैं जोकि जन-सम्पर्क में रहे हैं।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि इस विभाग में हरिजनों के लिये स्थान सुरक्षित होने चाहिये। इस विभाग में हरिजनों के स्थान सुरक्षित किये गये हैं और उनकी भरती एम्पलायमेंट एक्सचेंज द्वारा किये जाने के आदेश दिये गये हैं। माप तथा तौल विभाग में, खाद्य तथा रसद विभाग के जो रिट्रेन्च्ड इम्पलाई थे, जो अनुभवी कर्मचारी थे उन्हीं को रखा गया है। किन्तु हरिजन खाद्य विभाग में पहले से नहीं थे। जो थोड़े से थे उनको पहले से ही नियुक्त कर दिया गया

[श्री बलदेवसिंह आर्य]

और बाकी जगहों को भरने के लिये जिसमें १८ प्रतिशत की पूर्ति हो जाय, सरकार ने इम्प्लायमेंट एक्सचेंज को आदेश दे दिये हैं और आशा है निकट भविष्य में उनकी पूर्ति हो जायगी। इस तरह से मैं समझता हूं हरिजनों को जो थोड़ी बहुत इस संबंध में उत्सुकता होगी वह दूर हो जायगी।

एक बात मुझे यह कहनी है कि जिस तरह से इस विभाग की आलोचना, प्रत्यालोचना और समालोचना आवश्यक है वहां साथ ही साथ कुछ ऐसे सुझाव भी दिये जायं जिनसे इस विभाग में कार्य करने वाले जिम्मेदार लोगों को एक रास्ता मिले जिससे आगे चल कर वह इस विभाग की कमियों को दूर कर सकें। माननीय यादव जी से मैं कहूंगा कि उन्होंने जो तथ्य पेश किये हैं उनके बारे में मैं कोई और बात नहीं कहना चाहता लेकिन इन अनुदानों पर जो तथ्य पेश करने चाहिये थे वह पेश नहीं कर सके, ऐसा मैं अनुभव करता हूं। हो सकता है कि मैं ठीक से समझ नहीं सका, उसके लिये मैं क्षमा चाहता हूं लेकिन जो मेरे ऊपर असर हुआ वह मैंने व्यक्त कर दिया। मुझे उम्मीद है कि जो अनुदान प्रस्तुत हैं उनसे माननीय सदस्य अपनी सहमति प्रकट करेंगे और माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है उससे भी सहमत होंगे।

श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बस्ती)---उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का भाषण मैंने बड़े ध्यान पूर्वक सुना और माननीय चन्द्रजीत जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रक्खा है उसको भी ध्यान पूर्वक सुना। यद्यपि मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं, परन्तु मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि माननीय यादव जी ने जितनी बातें कहीं, उन सबसे मैं सहमत नहीं हूं, अंशतः सहमत हूं, पूर्णतया सहमत नहीं हूं। उन्होंने जो बातें मौजूदा स्थिति के बारे में तथा सरकार की असफलताओं के बारे में बतलाईं उनसे मैं सहमत हूं। उन्होंने इस ओर भी संकेत किया कि आखिर खाद्य की पैदावार क्यों नहीं बढ़ रही है और यह कहा कि भूमि सुधार संबंधी सरकार की नीति बहुत ढीली है। उन्होंने नागपुर प्रस्ताव को भी बार-बार दोहराया। उनका सुझाव ऐसा मालूम हुआ कि यदि हम नागपुर का प्रस्ताव, सहकारी खेती और राज्य-व्यापार को तत्काल लागू कर दें, तो खाद्य की पैदावार बढ़ जायगी। उनका यह सुझाव प्रायः वैसा ही है जैसा कि कम्युनिस्ट रूस में खेती की व्यवस्था है। इस विषय में अधिक न कह कर इतना ही बतलाना चाहता हूं कि वास्तव में उन्नति का रास्ता वह नहीं है। इस सिलसिले में मैं कुछ आंकड़े आपकी इजाजत से सदन के सामने रखना चाहता हूं। सन् १९१३ में, रूसी क्रांति के पूर्व रूस का कुल अन्नोत्पादन ८२ मिलियन टन था जो १९६० में बढ़ कर ११३.२ मिलियन टन हो गया। ४७ वर्षों में रूस की पैदावार कृषि के समाजवादी ढंग को अपनाकर, ३८ फी सदी बढ़ी है। यादव जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि हमारे देश की पैदावार पिछले १० वर्षों में ४२ प्रतिशत बढ़ी है। हमारे देश के छोटे-छोटे किसान हैं, अपढ़ हैं, उन्होंने जिस रास्ते पर चल कर ज्यादा उन्नति की है, उसको छोड़कर हम दूसर रास्ते यानी रूस चीन के रास्ते पर चलें, इससे मैं सहमत नहीं हूं। मैं यह नहीं कहता कि हमारी कृषि अच्छी हालत में है, जितनी अच्छी होनी चाहिये थी उतनी अच्छी नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि किसान को उसकी उपजाई हुई वस्तुओं का उचित मूल्य नहीं मिलता। इस संबंध में मैं पहले भी बोल चुका हूं, इस समय मैं ज्यादा समय इस विषय पर नहीं लेना चाहता। मूल्य उचित है, या नहीं इसका निर्णय कैसे हो? अमरीका में एक प्याली चाय एक रुपये में मिलती है, अगर वहां १२ आने में वह मिलने लगे, तो लोग कहेंगे कि वह बहुत सस्ती हो गई, लेकिन यदि यहां १२ आने में मिलने लगे तो लोग कहेंगे कि बहुत महंगा है। मूल्य तुलनात्मक चीजें हैं। हम यहां पर कृषि की उपज की अन्य वस्तुओं से तुलना करके ही उसके भाव को निश्चित कर सकते हैं। कृषि से भिन्न वस्तुओं से जब हम इसकी तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि पिछले ४ वर्षों से निरंतर कृषि वस्तुओं के भाव गिरते रहे हैं। पिछले ४-५ महीनों में कृषि वस्तुओं के मूल्य अन्य वस्तुओं के मूल्य की तुलना में ७३ प्रतिशत से लेकर ७८ प्रतिशत तक रहे हैं। अगर हम औसत ७५ फीसदी मान लें तो दूसरी वस्तुओं की तुलना में कृषि वस्तुओं का जितना मूल्य मिलना चाहिये उसका तीन बटा चार ही भाग

मिल रहा है । इस तीन चौथाई मूल्य का क्या दुष्परिणाम होता है, उसे मैं एक उदाहरण देकर समझा सकता हूं । एक गाय को ले लीजिये । अच्छी नस्ल की एक गाय है जो १० सेर दूध देती है । उसको जितने पोषण की आवश्यकता है, अगर उसका तीन-चौथाई पोषण उसको दिया जाता है तो उसका परिणाम क्या होगा ? संभव है वह अपनी शरीर के रिजर्व से एक दो सप्ताह तक १० सेर दूध देती रहे लेकिन जब उसके शरीर का रिजर्व समाप्त हो जायगा तो निश्चित ही उसके दूध की मात्रा गिर जायगी । यही दशा आज देश के किसानों की है, उनको समाज से जितना पोषण मिलना चाहिये उतना नहीं मिल रहा है । यही कारण है जितनी उनकी क्षमता है उसको वह पूरा नहीं कर पा रहे हैं ।

श्रीमन्, जब कभी यह प्रश्न उपस्थित होता है तो कुछ दलीलें दी जाती हैं । माननीय चौधरी चरण सिंह जी ने कृषि बजट के समय इसके खिलाफ अपनी सम्मति दी थी । मैं तो उनको अपना गुरु मानता हूं परन्तु इस विषय में गुरु और शिष्य में मतभेद है । उन्होंने कहा कि किसानों की जमात इतनी बड़ी है कि उसको सब्सीडाइज करना शेष समाज अफोर्ड नहीं कर सकता । मगर मेरा निवेदन यह है कि किसान कभी भी सब्सीडाइज होना नहीं चाहता, वह कभी भीख नहीं मांगता । वह तो केवल अपने अधिकार मांगता है, जब वह यह कहता है कि उसकी चीज का उसको उचित मूल्य दिया जाय । मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि किसानों को दूसरे वर्गों को तबाह और बरबाद करके सहायता पहुंचाई जाय । किसान की हालत तो इस समय ऐसी है, जैसे किसी दानी आदमी की हो जिसने अपना सब कुछ दे डाला हो और वह अब कहता हो कि मेरे पास अब दान देने को नहीं है । हम किसानों को सब्सीडी देने को नहीं कहते परन्तु हम कहते हैं कि उसको अन्य वस्तुओं की तुलना में संतुलित मूल्य मिलना चाहिये ।

दूसरी बात यह कही गयी कि हमारी आर्थिक स्थिति में अन्न का मूल्य फिक्स नहीं किया जा सकता है । लेकिन अमेरिका, जापान, लंका और ब्रह्मा आदि देशों में ऐसा हो सकता है तो फिर हिन्दुस्तान में क्यों नहीं हो सकता ? लंका और ब्रह्मा तो हिन्दुस्तान के पड़ोसी देश हैं, वहां पर किसानों की चीजों के मूल्य को निर्धारित किया गया है । तो फिर क्या कारण है कि वैसा यहां नहीं किया जा सकता ? कभी-कभी यह भी कहा जाता है कि हमने सीलिंग प्राइस तो फिक्स नहीं की है लेकिन फ्लोर प्राइस फिक्स कर दी है और मंत्री जी ने बताया कि वह गेहूं के लिये १३ रुपये मन तय कर दी गई है । १३ रुपया मन से कम पर यदि पैदा करके गेहूं को दिखाये तो मैं इसका औचित्य मान सकता हूं । मेरा तो कहना यह है कि किसान को पैरिटी प्राइस उसके माल की मिलनी चाहिये । पैरिटी प्राइस एक निकाल दी जाय और फिर १० प्रतिशत इधर और उधर कृषि वस्तुओं का मूल्य फ्लोर और सीलिंग प्राइस फिक्स कर दिया जाना चाहिये । इस बारे में सरकार को कोई योजना बनानी चाहिये ।

चौधरी चरण सिंह जी ने एक दलील और दी कि यह प्रगतिशील समाज का लक्षण है कि लोग किसानी छोड़ कर दूसरे धंधों में जाते हैं और यह भी कि यदि किसान को लाभ नहीं होता तो वह खेती छोड़ कर चला जाय और दूसरे रोजगार में लग जाय । इसको सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ । मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह दलील आप दूसरे व्यवसाय वालों को दे सकते हैं । सरकारी कर्मचारियों या कारखानों के मजदूरों से आप कहें कि अगर आपको यह मंजूर नहीं तो दूसरा रोजगार कर सकते हों तो क्या वह दूसरा रोजगार जाकर करेगा ? लेकिन यह बात केवल किसानों से ही कही जाती है क्योंकि वह संगठित नहीं है । यह सभी जानते हैं कि कोई आदमी जिस व्यवसाय में लगा हुआ है उसको छोड़ कर वह दूसरा व्यवसाय आसानी से नहीं कर सकता । इसलिये किसान से यह कहना अत्यन्त अनुचित है कि अगर खेती में मुनाफा नहीं होता है तो वह जाकर दूसरा रोजगार करे । मैं सरकार को इतनी चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि उनका यही रवैया रहा तो किसी प्रकार से भी खेती की उन्नति नहीं हो सकती, जैसे कि मैंने उस गाय का उदाहरण दिया था जिसको दुह तो लिया जाता है लेकिन पूरा पोषण नहीं दिया जाता है । इसलिये अगर आप चाहते हैं कि देश फले फूले तो किसान को आप पूरा पोषण प्रदान कीजिये ।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—श्रीमन् मुझे एक बात निवेदन करनी है कि आपके सामने दो हार्न लगे हुये हैं उसकी वजह से आपकी निगाह मेरे तक नहीं पहुंच पाती है।

श्री उपाध्यक्ष—आप तक मेरी निगाह काफी पड़ती है।

श्री रामभजन (जिला खीरी)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा अभारी हूं कि आपने मुझे इस अनुदान पर बोलने का मौका दिया। माननीय मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किया है उसके समर्थन के लिये और जो कटौती का प्रस्ताव है उसका विरोध करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मानी हुई बात है कि हमें यह देखना है कि जिस वक्त अंग्रेज हमारे देश में मौजूद थे उस वक्त हमारे देश की हालत क्या थी और उन्होंने जिस अवस्था में इस देश को छोड़ा वह सब लोगों को अच्छी तरह से विदित है। अंग्रेजों के जाने बाद देश का आर्थिक ढांचा अस्त व्यस्त-सा था क्यों कि उसी समय देश का बंटवारा हुआ और उसके फल स्वरूप ऐसी समस्यायें पैदा हुई जो किसी से छिपी हुई नहीं है। उन समस्याओं में खाद्य समस्या का भी इस विशाल देश में एक महत्वपूर्ण स्थान है। बहुत सी चीजों के साथ-साथ अन्न शक्कर व कपड़े की कमी थी और उन चीजों की भी कमी थी जो हमारे देश के अन्दर ही पैदा होती है लेकिन धीरे धीरे वह वक्त गुजर गया। उपाध्यक्ष महोदय, इन १४ वर्षों के अन्दर ही हमारी सरकार ने इस समस्या का जिस तरह से समाधान किया वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। अपने शासन के जमाने में कृषि में काफी तरक्की हुई है। कौन नहीं जानता कि देश का ७० प्रतिशत किसान जिनके ऊपर इस देश का आर्थिक ढांचा अवलम्बित है उनकी अच्छी स्थिति होनी चाहिये और हमारे देश की खाद्य समस्या अच्छी नहीं होती और हमारा देश भूखों मरता है तो हम अपनी समस्याओं को हल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमारे सामने खाद्य समस्या के साथ साथ दूसरी भी और समस्यायें हैं जैसे पाकिस्तान से झगड़ा चीन से झगड़ा व दूसरे देशों को उलझने भी हमें इस चीज के लिये प्रेरित करती है कि हमारे देश की खाद्य समस्या हल हो तभी हमारा देश उन्नति कर सकता है। कोई भी देश लड़ाई तभी जारी रख सकता है जबकि उसके यहां खाने पीने की अच्छी व्यवस्था हो। लेकिन फिर भी आप देखें कि १४ वर्ष के अन्दर हमारे देश और प्रदेश की सरकार ने खाद्य समस्या हल करने के लिये कोई कसर उठा नहीं रखी। हमारी पंचायतों के सेक्रेटरी हमारे ब्लाकों के बी० एल० डबल्यू० तथा ग्राम सेवक जगह जगह काश्तकारों में जाकर प्रचार करते हैं कि खाद्य समस्या को हल करने के लिये किस तरह के नये उपाय अपनाने चाहिये किस तरह से खाद डालनी चाहिये किस तरह से खेतों को जोतना व बोना चाहिये तथा किस तरह से सहायता लेनी चाहिये आदि आदि।

ये सारी चीजें चल रही हैं। हमारा देश एक पिछड़ा हुआ देश है। यहां के काश्तकार आज भी पुराने ढंग से खेती करने में ही विश्वास करते हैं। नये नये उदाहरण नयी नयी चीजें कृषि की उन्नति के लिये हमको किसानों के बीच में रखनी है लेकिन फिर भी हमारे किसान अभी तक उतने सचेत नहीं हैं जितने कि होने चाहिये। हमारा प्रदेश देश के दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में आज भी पिछड़ा हुआ है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि हमारे प्रदेश के अन्दर पंजाब के जो शरणार्थी आये उन्होंने काफी मेहनत व मशक्कत करके उबड़-खाबड़ जमीन को भी खेती के योग्य बना लिया और वहां पर खेती की पैदावार काफी बढ़ा ली। हमारे प्रदेश का काश्तकार उनके मुकाबले में पिछड़ा हुआ है। कहने का मंशा यह है कि सरकार के कहने से या केवल सरकार के प्रयत्न से ही हमारी समस्यायें हल नहीं होंगी बल्कि हम सब को सहयोग देना चाहिये हमारे विरोधी दलों को भी सहयोग देना चाहिये कि आखिर हम इन समस्याओं का समाधान किस तरह से करें। जहां पंचायतों का प्रश्न है जहां ब्लाक्स का प्रश्न है वहां हमारे विरोधी दल के लोग असहयोग करते हैं और यह कहते हैं कि हमारी खाद्य समस्या दिन पर दिन जटिल होती जा रही है। यही वजह है कि हमारी पार्टी अकेली इस बात में पूरी तरह प्रयत्नशील है लेकिन फिर भी यह देखना चाहिये कि इस समस्या का खूबी के साथ समाधान किस तरह से हो।

जैसा कहा गया है, पांच हजार सहकारी समितियों की हमारे प्रदेश में स्थापना की गयी है और इस बात का प्रयत्न किया गया है कि खेती की पैदावार बढ़े। हमें पन्त जी के वे शब्द याद आते हैं जब उन्होंने कहा था कि हम एक भी आदमी को अपने यहां भूख से मरने नहीं देंगे। पहली बार जब उन्होंने इस प्रदेश की हुकूमत सम्हाली तो उन्होंने ऐलान किया कि हम प्रदेश में एक भी आदमी को भूखा नहीं मरने देंगे। उस वक्त की देश की परिस्थितियां जो और सूबों में गुजरीं वह भी हमारे सामने हैं। सब जानते हैं कि बंगाल में ३० लाख आदमी भूख से एड़ी रगड़-रगड़ कर मर गये लेकिन हमारे इस प्रदेश में एक भी आदमी भूख से नहीं मरने पाया। हमारे यहां की खाद्य समस्या भी सन्तोषजनक ढंग से हल हो रही है और यह बात ठीक है कि अभी हमारे यहां बाहर के देशों से कुछ गल्ला आता है और हम अभी कुछ आयात पर इनहिसार करते हैं। लेकिन अगर हम इस समस्या पर जरा ध्यान से गौर करें तो एक सांस एक लम्हें या एक दम से वह दूर नहीं हो सकती हमें उस दिशा में अभी निरंतर प्रयत्नशील रहना होगा।

इसके साथ साथ आप यह भी देखें कि हमारी सरकार ने कपड़े में और शकर में कितनी उन्नति की है जो कपड़ा कुछ साल पहले हमारे यहां राशन से बांटा जाता था और शक्कर भी हमारे यहां राशन से तकसीम होती थी लेकिन आज उनकी पैदावार इतनी बढ़ी है कि अब हमारे सामने इन दोनों चीजों के एक्सपोर्ट की समस्या है और उनके लिये हम विदेशी बाजार तलाश कर रहे हैं और ढूढे से भी हमें बाजार नहीं मिल रहे हैं।

इसके अलावा जैसा कि हमारे माननीय भानु प्रताप सिंह जी ने कहा उनकी एक बात से मैं सहमत हूं कि काश्तकार के लिये कोई इस प्रकार की योजना होना चाहिये जिससे उसे उसकी उपज की पूरी-पूरी कीमत मिल सके। वास्तव में आज काश्तकार को उस की उपज की ठीक कीमत नहीं मिलती और वह इसी कारण से गन्ना मूंगफली आदि कैशक्राप्स की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहा है जिससे कि किसान को पैसा अधिक मिलता है। आज गल्ले में किसान के लिये आकर्षण नहीं है क्योंकि उसकी उचित कीमत कैशक्राप्स की तरह नहीं मिलती। सरकार को इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिये जिससे कि किसान के गल्ले की कीमत न घटे, इसका असर पैदावार पर पड़ेगा और अधिक अन्न पैदा होगा। बिना इस तरफ ध्यान दिये आप चाहे जितनी ताकत लगायें यह समस्या हल नहीं हो सकती।

हमारे यहां आज पहले से कोयले लोहे आदि की पैदावार चार गुनी और पांचगुनी अधिक है लेकिन फिर भी इन चीजों की कमी है। यह हमारे लिये बड़ी खुशी की बात है कि आज इतनी क्रय शक्ति जनता की और किसान की बढ़ी है, हमारे किसान के अन्दर सरसब्जी आई है, खुशहाली आई है और यही कारण है कि आज देहातों तक में कोयले, लोहे, सीमेंट की मांग बराबर बढ़ती जाती है।

मुझे इस बात की भी खुशी है कि माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि वह जो अन्य साधन, नाव व सड़क आदि के उपलब्ध हैं उनसे भी कोयला लाने की कोशिश की जायगी। मेरी प्रार्थना है कि यदि इन चीजों के वितरण की ठीक से व्यवस्था हो जाय तो यह हमारे लिये बड़े गर्व की बात होगी। मुझे यह मालूम है कि माननीय मंत्री जी ने बातचीत के दौरान में इस बात को तसलीम किया था कि हमने कुछ जिलों का कोयला रोका और दूसरे जिलों को कोटा दे दिया, मेरी शिकायत है कि खीरी को कोयला नहीं भेजा गया, हमारा यह जिला मीटर और ब्राड गेज दोनों लाइनों पर है और वहां हर तरह से सप्लाई की व्यवस्था हो सकती है लेकिन वहां पर.... (समय समाप्त)।

श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय चन्द्रजीत जी यादव के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी ने प्रदेश में कोयले की कमी का भार केन्द्रीय सरकार के ऊपर डालकर इस बात को साबित करने की कोशिश की कि इसी कारण से कोयले की कमी रही है। यह तो सही है कि केन्द्रीय सरकार की तरफ से केवल कोयले के मामले में ही नहीं वरन् हर तरह से इस विशाल प्रदेश की उपेक्षा की जाती

[श्री बालोजी अग्रवाल]

है । लेकिन साथ ही साथ यह भी ठीक है कि जितना भी कोयला यहां आता है उसके वितरण की व्यवस्था में जो अव्यवस्था है उसको मंत्री महोदय ही को ठीक करना है । आप जिस जिले में चाहें चोर बाजारी से कोयला बड़ी आसानी से मिल सकता है और मंत्री महोदय इसका कारण यह बताते हैं कि हमने सड़क से जो लोगों को कोयला लाने की सुविधा दे दी है उसी के कारण से यह ब्लैक होता है । रोड से आगरा कोयला लाने पर ५ रु० और सवा ५ रुपया मन पड़ता है जबकि कंट्रोल से कहीं अधिक कम रेट पर मिलता है । तो पांच या सवा पांच रुपये मन में कोयला ला करके कोई ब्लैक में नहीं बेच सकता है ।

इसके साथ मुझे यह भी कहना है कि कोयले के जो डिपोज हैं उनकी जांच करायी जाय कि इस समय जिन व्यक्तियों को कोयले के डिपो दिये हुए हैं वे खुद न चला करके दूसरे लोगों को बेच देते हैं और एक निश्चित मुनाफा लाइसेंसी ले लेते है । मंत्री जी को इसकी जांच करानी चाहिये और देखना चाहिये कि ऐसे जो कोल डिपो होल्डर्स हैं जो डिपो खुद न चला करके दूसरे लोगों को किराये पर उठाये हुए हैं उनके डिपो बन्द होने चाहिये । इसके अलावा बहुत से कारखानेदार जहां एक ओर उनको कोयला न मिलने के कारण कारखाना नहीं चला पाते हैं वहां दूसरी ओर यह भी है कि बहुत से कारखानेदार ऐसे भी हैं जितना कोयला उनको मिलना चाहिये उससे अधिक के परमिट लिये हुए हैं ।इसकी भी जांच होनी चाहिये । ऐसे भी कारखानेदार हैं जिनको कोयले का परमिट मिला हुआ है लेकिन उनके कारखाने कभी भी नहीं चलते और उस कोयले को ब्लैक में बेच देते हैं । इसलिये मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वे प्रदेश में इस बात की जांच करायें कि ऐसे कौन से कारखानेदार हैं जिनको कोयले के परमिट मिले हुए हैं और जो कारखाना कभी नहीं चलाते । उनके लाइसेंस जब्त होने चाहिये और कोयले का परमिट भी समाप्त होना चाहिये । यदि इस प्रकार की जांच हुई तो बहुत सा कोयला मिल सकता है ।

नये बांटों के सम्बन्ध में यह कहना है कि इनका प्रचलन प्रदेश में हो गया है लेकिन जितना उसका प्रचार सरकार द्वारा होना चाहिये उतना नहीं होता । मैट्रिक प्रणाली जो है वह इतनी दिक्कततलब है कि पढ़े लिखे लोग भी इसको नहीं समझ पाते, तो गरीब और अनपढ़ कैसे समझेंगे ? इसलिये शहरों में व्यापारी किसानों और मजदूरों से पुराने बाटों में सामान लेते हैं और नये बाटों में उनको देते हैं जिससे उनको नुकसान होता है । इसलिये इसका व्यापक प्रचार कराया जाय और जहां पुराने बांट चल रहे हैं उनको समाप्त किया जाय । अगर ऐसा किया जायगा तो जो व्यापारी नाजायज मुनाफा कमा रहे हैं वह समाप्त हो जायगा ।

जो लाइसेंस और परमिट देने की व्यवस्था ह उसको डी० एस० ओ० देते हैं । वह इस कंट्रोल के कारण लाखों रुपया कमाते हैं । मुझे अपने जिले का अनुभव है इस समय से पूर्व जो डी० एस० ओ० थे उन्होंने लाखों रुपया परमिट के कारण कमाया । चादर के परमिट दिये जाते हैं, एक-एक, दो-दो, चादर के लिये लोग चक्कर लगाते हैं, सीमेंट की एक-एक, दो-दो, बोरियों के लिये चक्कर लगाते हैं । यह कंट्रोल व्यवस्था समाप्त होनी चाहिये तभी जनता को सुविधा मिल सकेगी और उनकी आश्यकता की चीजें मिल सकती हैं ।

जो बड़े बड़े सरकारी कर्मचारी हैं उन्होंने बहुत से स्थानों पर अपनी कोठियां बनवायीं हैं और उनको किराये पर उठा दिया है जिनसे अधिक किराया लेते हैं और रेंट कंट्रोल के हिसाब से सबसे पहले जिले में उनको कोठियां मिल जाती हैं कम किराये पर । इसकी जांच होनी चाहिये । ऐसे जो अधिकारी हैं जिनकी खुद की कोठियां हैं उनसे उतना ही किराया लेना चाहिये जितना उन्हें अपनी कोठियों से मिलता है । अगर ऐसा किया जायगा तो जनता को मकानों की सुविधा होगी ।

अभी माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा कि जनता को मकान नहीं मिल पाता है और सरकारी कर्मचारी जिनकी खुद की बड़ी-बड़ी कोठियां हैं उनको कम किराये पर कोठियां मिलती हैं तो यह जो व्यवस्था है उसकी जांच होनी चाहिये ।

मंत्री महोदय ने कहा कि कोल डम्प्स बनाये गये हैं। आगरे में भी बनाया गया है और उससे कुछ सुविधा हुई है। कुबेरपुर में यह डम्प बनाया गया है जो कि शहर से १० मील दूर है। मेरी प्रार्थना है कि यदि शहर में बेलनगंज में यह कोल डम्प बनाया जाय तो शहर की जनता को कोयला मिलने में ज्यादा सुविधा हो सकती है और वहां पर जो कोयले की दिक्कत है वह दूर हो सकती है। इसलिये मेरा यह सुझाव आगरे की जनता का सुझाव मानकर कुबेरपुर से कोल डम्प हटाकर बेलनगंज में कोल डम्प बनाया जाय।

*श्री श्रीपतमिश्र (जिला सुलतानपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विवाद में बहुत से लोगों ने अपने विचार व्यक्त किये। खाना, दवाई, रहने के स्थान और उसकी सुविधायें यह मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकतायें हैं। मैं नहीं जानता कि शुद्ध भोजन भी हमारे खाद्य मंत्री के विभाग से सम्बन्धित है या नहीं मगर खाद्य से सम्बन्धित है। इसलिये मैं आपसे बतलाऊं कि किसी से भी बातचीत कीजिये, बहुत आसानी से, धीरज से वह कह देता है कि मजबूरी है शुद्ध घी या दूध नहीं मिलता। जब से इस सदन की कार्यवाहियों में भाग लेने के लिये यहां आना पड़ा मैं तो यह देखता हूं कि अगर इसी तरह से यह खाना पीना चलता रहा तो दोबारा सदन में आने के पहले दवा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप सोचें कि बड़ी बड़ी योजनाओं को सफल करने के लिये, बड़े-बड़े बांधों को बनाने के लिये हो सकता है कि हमारे पास पैसा न हो, हम उसका प्रबन्ध न कर सकते हों लेकिन इसमें कौन सी मुश्किल पड़ती है कि हम शुद्ध घी, दूध और दवा की भी व्यवस्था नहीं कर सकते? यह कौन सा ऐसा प्रश्न है जिसकी वजह से बड़ी परेशानी है? (व्यवधान)। मैं अपने मित्र से इस सम्बन्ध में कह दूं कि कम्युनिस्ट राज्य की व्यवस्था के बारे में अभी अभी मैंने पढ़ा है कि चीन में दो, दो, तीन, तीन बजे तक राशन की दूकानों पर खड़ा रहना पड़ता है और राशन नहीं मिलता। साल भर में केवल चार बार चीनी बांटी जाती है और एक महीने बाद जब टीन में मांस आता है तो देखा सड़ा हुआ है। तो आप उसके लिये क्या कहते हैं? (व्यवधान)। तो यह आपकी बात भी मेरी बात है। मैं आपको पराया नहीं समझता। इसलिये पहला प्रयास यह होना चाहिये कि हमको बाजार में शुद्ध चीजें मिलें।

और आप एक बात समझें। मैं हत्यारे को उतना अधिक अपराधी नहीं समझता हूं क्योंकि जब वह करता है तो कोई दुश्मनी होती है कोई झगड़ा होता है और एक दुर्घटना में ऐसी घटना वह कर देता है। मगर अशुद्ध चीजों को जो बेचते हैं और जो स्वास्थ्य पर उसका असर पड़ता है वह एक ऐसा सामाजिक पतन होता है जिसको हम उससे भी ज्यादा बुरा और खतरनाक समझते हैं। मैं समझता हू कि हमारी सरकार को एक समय निर्धारित कर देना चाहिये कि जैसे भी हो हम उस समय के अन्दर इस चीज को बिल्कुल खत्म कर देंगे कि कोई अशुद्ध पदार्थ बिके और जो लोग उससे सम्बन्धित हो उनको कड़ी से कड़ी सजायें मिलना अत्यन्त आवश्यक है। हर आदमी असहाय हो कर इस बुराई को स्वीकार करे तो करे लेकिन सरकार भी असहाय हो कर देखती रहे, यह कुछ समझ मेंनहीं आता। आप देखें, कोई भी डाक्टर पुराना या नया आयुर्वेदिक का एलोपैथिक का यही कहता है कि दूध अत्यन्त आवश्यक है कम से कम बच्चों के लिये। मगर क्या कोई भी ऐसा है जो कि खुद गाय भैंस न रखता हो वह यह कह सके कि उसको शुद्ध दूध मिल जायगा? यही नहीं है कि शुद्ध दूध नहीं मिलता, पानी मिला दूध मिलता है, बल्कि वास्तविकता यह है कि दूध मिला पानी मिलता है। अगर इसको हम दूर नहीं कर सकते तो वास्तव में एक चिन्ता का विषय हो जाता है।

शुद्ध भोजन वगैरह की बात के अलावा आवास के सिलसिले में भी बहुत से दोस्तों ने कहा। रहने के स्थान के सिलसिले में मैं आपसे कहूं कि वाकई आवास की कमी है। लेकिन कमी के साथ साथ जब नियंत्रण किया जाता है या किसी बात की कमी होती है तो एक बात आप समझ ले कि

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्रीपतमिश्र]

बिल्कुल नियंत्रण न हो तब तो उतना खतरा नहीं हो सकता जितना कि जब नियंत्रण हो लेकिन सुव्यवस्थित न हो और ईमानदार आदमियों के हाथ में न हो तब हो सकता हो। आप अगर सुव्यवस्था नहीं कर सकते, ईमानदार आदमियों के हाथ में नहीं कर सकते, निश्चित रूप से उस पर अपना कब्जा नहीं रख सकते, तो अनियंत्रित छोड़ दीजिये। वह ज्यादा अच्छा होगा।

श्री उपाध्यक्ष---अब आपका समय समाप्त हो गया।

***श्री शारदानन्द** (जिला सीतापुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री चन्द्रजीत जी यादव द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। वैसे तो जहां पर मनुष्य के लिये और भी बहुत सी जरूरतें हैं वहां खाद्य समस्या एक ऐसी समस्या है जिसका हल होना नितान्त आवश्यक है। वैसे हमारे मंत्री जी ने यह संतोष व्यक्त किया कि आज हमको परम संतोष है कि हम खाद्य समस्या को हल कर चुके है। पर हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि अभी हमारा उत्तर प्रदेश खाद्य समस्या में पूर्णतया आत्मनिर्भर नहीं हुआ है। उसको आज भी बाहर से गल्ला मंगाना पड़ रहा है। और जब तक हमारी यह स्थिति है तब तक हम यह नहीं कह सकते कि हमारी खाद्य समस्या पूर्णतया हल हो गयी है।

अब दूसरी बात आती है कि खाद्य समस्या आज हल क्यों नहीं हो रही है। इस पर जब हम विचार करते हैं तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आज सरकार की जो नीति है उसके कारण किसानों के अन्दर एक आत्मनिर्भरता नहीं आ रही है, आज उनके अन्दर एक ऐसी भावना पैदा हो गई है, एक ऐसी शंका पैदा हो गई है, जिसके कारण वह आज जिस मेहनत से और परिश्रम से खेती में जुटना चाहिये था नहीं जुट पाता है। जब तक यह स्थिति रहेगी तब तक इस प्रदेश की खाद्य समस्या हल नहीं हो सकती है। कागज पर भले ही हल हो गई हो परन्तु वास्तविकता इससे परे है।

मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उधर के एक सज्जन ने सोशलिस्टों के प्रदर्शन के संबंध में यह कहा कि बड़ी बड़ी डींगें मारी जाती थीं लेकिन उसमें एक हजार से ज्यादा आदमी नहीं थे। माननीय चन्द्रजीत जी ने यह बात कही कि यदि सरकार को खाद्य समस्या को सुधारना है और उसने किसानों के ऊपर लगान बढ़ाया जैसा कि वह निश्चय कर रही है तो एक प्रदर्शन उधर के बैठने वाले लोगों को भी देखने का मौका मिलेगा। इसी के साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज चकबन्दी, सहकारी खेती तथा अन्य बातें जो काश्तकार के सामने लाई जा रही हैं उनसे काश्तकार आज अनिश्चित हो गया है और वह समझ नहीं पा रहा है कि उसे क्या करना चाहिये। जब तक यह समस्या सुलझाई नहीं जाती है, खेती में प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है, तकावी नहीं दी जाती है, तब तक खाद्य समस्या हल नहीं हो सकती है।

दूसरी बात यह आती है कि आज कहा जाता है कि कोयले और सीमेन्ट की कमी है। आज शीटस के लिये काश्तकार परेशान है और वह शहरों तथा एस० ओ० के आफिस की खाक छानता है फिर भी समस्या हल नहीं हो पा रही है। एक सज्जन ने कहा कि सीमेन्ट और लोहे की कमी इसलिये है कि आज मांग बहुत बढ़ गई है। ठीक है, मांग बढ़ गई है लेकिन आपको इसकी व्यवस्था करनी होगी। एक बात कही जाती है कि विरोधी पक्ष के लोग तो आलोचना ही करना चाहते हैं, ठोस सुझाव नहीं देते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इधर के लोगों ने जो सुझाव दिये हैं क्या उनको मानने की उन्होंने कभी उदारता दिखाई है। शायद कभी भी नहीं। फिर वे ऐसी आशा क्यों करते हैं? हम सुझाव देते हैं वे मानें या न मानें, भले ही वे बहुमत के बल पर उनका विरोध करें, लेकिन भविष्य में एक समय आयेगा जब वे हमारी बात को मानेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरी बात यह कि आज की बहस में मैं इस विवाद में जाना नहीं चाहता था लेकिन जब बात उठाई है तो मैं कहता हूं कि उन्होंने कहा कि हमारे दस जिलों में सप्लाई आफिसर्स की कुछ तनख्वाह बढ़ी है, १४ जिलों में कुछ बढ़ी है और २७ जिलों में कुछ बढ़ी है। तो सरकार की जो यह दुरंगी नीति है उसके कारण भी एक क्षोभ सा पैदा हो रहा है।

आज जितने सप्लाई आफिसर्स हैं वह खुश नहीं हैं। उसका कारण यह है कि वह बराबर काम करते हैं और एक ही कैटेगरी के लोग हैं। फिर आज दस जिलों के लोगों की क्यों इस प्रकार से बढ़ोत्तरी की गई है, उनको ही क्यों वह फैसिलिटीज दी जा रही हैं? अन्य जिले के सप्लाई आफिसर क्या उस योग्य नहीं हैं? क्या वह काम नहीं करते हैं? एक बात मैं और कहना चाहता हूं और वह यह है कि जितने भी बड़े बड़े शहर जिनको कवाल टाउन्स कहा जाता है उनके नाम पर वहां के सप्लाई आफिसर्स की तनख्वाह बढ़ायी गई हैं। उनको और असिस्टेंट दिये जाते हैं काम करने के लिये जबकि छोटे जिले के सप्लाई अफसरों को वह सुविधायें प्राप्त नहीं हैं। मैं कहना चाहता हूं कि उनकी तरफ भी वह देखें। उनको भी असिस्टेंट्स दिये जांय।

श्री उपाध्यक्ष--आपका समय समाप्त हुआ।

श्री विजयशंकर (जिला इटावा)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं खाद्य मन्त्री को बगैर बधाई दिये हुये नहीं रह सकता हूं चूंकि इस तरफ और उस तरफ से खाद्य समस्या के बारे में जो बातें आई हैं उनको मैंने बड़े गौर से सुना।

१९४७ में कांग्रेस सरकार सत्तारूढ़ हुई। उस समय को देखते हुये हम यह कह सकते हैं कि हमारी सरकार ने खाद्य समस्या में जो प्रगति की है और संसार के सामने एक बड़ा उज्ज्वल उदाहरण रखा है वह अद्वितीय है। हमको जीवन की आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिये पंक्तियों में खड़ा होना पड़ता था। हम सुबह से शाम तक खड़े रहते थे। क्या वह दिन भूल गये जब हम को मिट्टी के तेल के लिये, कपड़े के लिये, नमक के लिये, गल्ले के लिये बड़ी-बड़ी लाइनें बना कर खड़ा होना पड़ता था? हमारी सरकार ने उन लाइनों को तोड़ दिया और प्रदेश में नहीं सारे देश में एक भी आदमी भूख से नहीं मरने दिया, हमारी सरकार ने खाद्य समस्या जिस प्रकार से चलायी है वह संसार के सामने एक अद्वितीय बात है। आज हम आंकड़ों को रख कर चीन और रूस की बात समझायें, वह चीज हमारे सूबे पर लागू नहीं होती है। हमारी सरकार ने आज खाद्य समस्या के हल करने के लिये क्या नहीं किया? किसानों को अच्छा बीज दिया, खाद्य के लिये तकावी दी और नाना प्रकार के काम किये। आज उधर से कहा गया कि किसान के मन में निराशा पैदा होती जा रही है। हमारी सरकार ने जब किसान को भूमिधर बना दिया, उसको पूरे अधिकार दे दिये गये, आज किसान की निराशा आशा में परिणत हो गई है तो कोई वजह नहीं है कि किसान के मन में निराशा पैदा हो रही हो। आज सरकार किसान के लिये, खाद्य समस्या को हल करने के लिये जो कर रही है वह सभी के सामने है। खाद्य समस्या बड़े-बड़े लम्बे भाषणों से हल होने वाली नहीं है। उसके लिये हमें और आपको मिल कर एक सक्रिय कदम उठाना पड़ेगा।

(इस समय ४ बज कर १४ मिनट पर, श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

क्या आप भूल गये कि १९४२ में जबकि बंगाल में ३५ लाख आदमी भूख से तड़प कर मर गये थे इन पन्द्रह सालों के अन्दर हमारी सरकार ने सारे देश में एक भी आदमी भूखों मरने नहीं दिया? यह हमारे लिये बड़े गौरव की बात है। हम और आप इस बढ़ती हुई खाद्य समस्या के बारे में सोचें जिससे हमारे प्रदेश और देश की समस्या हल हो।

[श्री विजयशंकर]

यह सारी बातें आपके सामने हैं। एक बात हम अपनी सरकार से जरूर कहना चाहते हैं कि हमारे यहां देहातों में बड़ी दयनीय दशा है। आज हमारा वह जो छोटा वर्ग देहातों में रहता है उसके पास अन्न तो किसी तरह जुट जाता है। परन्तु लकड़ी की समस्या उसके सामने बड़ी भयावना रूप धारण करके खड़ी हो गई है। सरकार ने शहरों में तो कोयले का इन्तजाम कर दिया है लेकिन देहातों में कोयले का इन्तजाम नहीं है। मेरा यह निवेदन है कि पंचायतों द्वारा कोयले का इन्तजाम देहातों में कराया जाय जिससे कि पाया हुआ अन्न गरीब आदमी पका कर खा सकें। हमने किन्हीं छोटे मोटे गांवों में मुरदे फूंकने की दिक्कत देखी कि मुरदा कैसे फूंका जाय, लकड़ी नहीं है। इसलिये सरकार को देहातों की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिये।

यह सीमेंट वगैरह का जो वितरण है उसमें भी बड़ा दोष है। उस दोष को हम थोड़ा दूर करें। कन्ट्रोल की प्रथा अगर चीजों की कमी है तो हम रखें परन्तु जहां कन्ट्रोल रखते हैं तो वहां उस पर हमारा नियन्त्रण भी पूरी तरह से रहे जिससे कि उन चीजों का ठीक-ठीक वितरण हो और गरीब और अमीर को समान रूप से वह चीज मिल सके।

एक मेरा निवेदन और है और यह वह है कि अगर हमारी सरकार इस बात पर ध्यान दें कि यह जापानी ढंग की जो खेती होती है उसके लिये यहां इक्सपर्ट्स और आफिसर्स जो भेजे जांय वह मेहनतकश भेजे जांय जो किसानों से मिलजुलकर काम करें। पेंट पहनने वाले आदमी जापानी ढंग की खेती नहीं करवा सकते हैं और न वह पानी के अन्दर खेत में जा सकते हैं। इंसपेक्टर मेड़ पर खड़ा है और काश्तकार बाध लेकर लाइन लगा रहा है। तो ऐसे अफसरों की कोई जरूरत वहां नहीं है। जो अफसर जापानी ढंग की खेती कराने के लिये भेजे जांय वह धोती कुर्ते में जांय जिससे कि काश्तकारों में मिक्स होकर वह काम कर सकें और काश्तकार अपनी पैदावार को बढ़ा सकें। जय हिन्द।

श्री खेमचन्द (जिला आगरा)—अदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय चन्द्रजीत जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय मन्त्री जी द्वारा जो स्पष्टीकरण आज खाद्य समस्या के बारे में दिया गया है उसको सुनने के बाद बाबा साहब डाक्टर अम्बेदकर के कुछ शब्द मुझे याद आये—

An optimist is a good companion to cheer up when one is in a state of depression. But he is not always a truthful witness of facts.

माननीय मन्त्री जी ने हमको आश्वासन दिलाया, बहुत सी बातें बतलायीं और यह भी बतलाया उन्होंने कि स्थिति सन्तोषजनक है किन्तु वास्तविकता कुछ और है। उन्होंने कुछ बातों पर जोर दिया और ऐसे-ऐसे आंकड़े भी प्रस्तुत किये जिनमें कि सन्तोष की बात जो उनकी तरफ से कही गई थी उसको कुछ मान्यता मिल सके किन्तु स्थिति कुछ और तरह से आती है। उसमें आपने बताया जहां खाद्यान्नों की बात है, उसमें भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके आधार पर जो रुप उसका बनता है वह ऐसा नहीं है कि जिसको अच्छा कहा जा सके। आज का जो हमारा उत्पादक है वह इस स्थिति में नहीं है कि वह उससे कोई लाभ उठा सके और आगे के लिये कोई उत्साह अपने अन्दर पैदा कर सके कि वह और भी ज्यादा उत्पादन को बढ़ायें और हमारे यहां का जो प्राब्लम है, जो अपने यहां की समस्या है, वह हल हो।

जहां तक लोहे और सीमेंट वगैरह के बारे में उन्होंने कहा उस सम्बन्ध में मैं कह सकता हूं कि सरकार का कुछ उसमें ऐसा रवैया है कि कुछ ऐसे आदमी जो कि एक विशेष वर्ग में आ जाते हैं आज की राजनीति के आधार पर वह कोटा और परमिट प्राप्त कर लेते हैं और जनसाधारण उन चीजों से बहुत ही अलग है। और वह सही उपयोग नहीं कर पाते

हैं। आपके यहां यह भी होता है कि गलत परमिट दिये जाते हैं और अधिक दिये जाते हैं। उन परमिटों के आधार पर यह भी होता है कि उनको छोटे-छोटे हिस्सों में अलग-अलग बेचा जाता है और फिर उनसे मुनाफा उठाया जाता है। आज वास्तव में जिनको आवश्यकता है उन परमिटों की प्राप्ति उनको नहीं हो पाती है।

अभी मन्त्री जी ने बताया कि फेयर प्राइस शाप्स अपने आप बन्द होती चली जा रही हैं। मैं समझता हूं कि उसका कारण दूसरा है। उसका मुख्य कारण क्या है? उनके बन्द होने का कारण जो उपभोक्ता है वह जानते हैं। फेयर प्राइस शाप्स पर जितना भी गल्ला गया वह इस प्रकार का था कि जिसको गरीब आदमी मजबूरी से खाता था। जब बाजार में गल्ले के दाम बहुत बढ़ गये थे तो उस समय गरीबों ने वहां से मजबूरन गल्ला लिया किन्तु जैसे ही उनको मालूम पड़ा कि बाजार में अच्छा अन्न मिलता है तो ४, ६ रुपये के अन्तर से भी वह बाजार से लेना पसन्द करते हैं और आपकी फेयर प्राइस शाप्स से अन्न लेना नहीं चाहते हैं। सरकार के ऊपर एक जिम्मेदारी है। सरकार को चाहिये था कि उन जगहों पर ऐसा अन्न भेजते, इस प्रकार राशन वहां पर प्राप्त कराते, जिसको खाने से उनको सन्तोष होता परन्तु जनता के अन्दर ऐसा नहीं हो सका। गरीब आदमी जानता है कि बाजार में कुछ अधिक मूल्य है पर फिर भी वह बाजार से तेज दाम पर अधिक मूल्य देकर अन्न खरीदता है। आपके अन्न को पसन्द नहीं करता है। इसलिये मेरा कहना है कि फेयर प्राइस शाप्स अपने आप बन्द नहीं हुईं। उसका कारण यही है कि जनता ने वहां से अन्न लेना बन्द कर दिया है। इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि जनता के अन्दर इससे सन्तोष है।

हमारे एक माननीय सदस्य ने बताया कि किसानों की स्थिति भी आज इसी प्रकार की है। फसल के समय आप १३ रुपया मन रेट तय कर देते हैं किन्तु जब बाजार में दाम बढ़ने लगते हैं और फसल का टाइम खत्म हो जाता है तो आपकी खरीद का काम भी खत्म हो जाता है। जब बिक्री के दाम बढ़ने लगते हैं तो गरीब आदमियों को दिक्कत पड़ती है। उस समय आप फिर फेयर प्राइस शाप्स की संख्या बढ़ाते हैं। इस प्रकार से अगर हम ऐसी बातों पर अपना सन्तोष व्यक्त कर देते हैं तो इससे हमारा काम नहीं चलेगा। हमको वास्तविकता को देखना चाहिये। हमको ऐसा प्रयत्न करना पड़ेगा और यह देखना पड़ेगा कि वास्तव में हम जिन कदमों के ऊपर चलने की बात सोचते हैं उससे कोई लाभ हो सकता है या नहीं।

अभी एक माननीय सदस्य उधर से कह रहे थे कि १५ वर्ष के अवसर में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो यहां पर भूखा मरा हो। जब मैं इस सदन में इस प्रकार की बात कहते हुये एक माननीय सदस्य को सुनता हूं तो मुझे आश्चर्य होता है। मैं यह समझता हूं कि उनको इतना भी ज्ञान नहीं कि आम अखबारों में यह बात निकल चुकी है कि एक स्त्री तीन बच्चों को लेकर जमुना में कूद पड़ी थी। उसका कारण यही था कि उसको तीन दिन तक खाने को नहीं प्राप्त हुआ था। जब इस प्रकार की बात हो तो क्या यह नहीं कहा जा सकता है कि यह आश्चर्य की बात है? मैं यह समझता हूं कि इस प्रकार की थोथी दलीलों में, जो यहां पर पेश की जाती हैं, कोई वास्तविकता नहीं मालूम पड़ती है। हम इस प्रकार की बातें यहां पर खामख्वाह बहस में पेश करते हैं और खाली बातों से काश्तकारों को सान्त्वना देने की कोशिश करते हैं। इससे काम नहीं चलेगा। मैं देखता हूं कि आज असन्तोष बढ़ा है और किसी स्थान पर आप जाकर देखें कि जनता के आज क्या भाव हैं।

दूसरी बात कही गई कि हर जगह पर कोई न कोई कमी है और उन कमियों को दूर करने के लिये धीरे-धीरे प्रयत्न कर रहे हैं। जो खराबियां हैं उनको आप दूर कीजिये किन्तु साथ ही आपको ऐसा सन्तोषजनक कदम उठाना चाहिये जिससे जनता सन्तुष्ट रहे।

[श्री खेमचन्द]
आज यहां पर गरीब और मजदूर का प्रदर्शन हुआ। वह भी चिन्ता का विषय है। सरकार की कोशिश लगान बढ़ाने की है क्या वह लगान बढ़ने के बाद क्या उनके ऊपर इस तरह का लगान का बोझ बढ़ाने के बाद उनसे यह आशा कर सकते हैं कि वह आपके कार्य में सहायता करें या आपकी खाद्य समस्या में वह सहयोग दें? मैं समझता हूं कि सन्तोष व्यक्त करने का मतलब यह है कि शायद अब हमारे यहां कमी नहीं रह गई है और उसमें अब कोई सुधार नहीं हो सकता है। मैं तो यह चाहता हूं और यह निवेदन करूंगा कि जैसा माननीय बालोजी ने कहा कि जितनी भी फेयर प्राइस शाप्स हैं या जो काल डिपो हैं या लोहे की शाप्स हैं उन सब में परमिट इस प्रकार से वितरित किया जाय जिससे ठीक ठीक प्रकार से जांच करके जनसाधारण को दिया जा सके, जनता को ठीक तरह से सुविधा के साथ मिल सके। अगर इस प्रकार से किया गया तब तो हम कह सकते हैं कि सरकार अपने उत्तरदायित्व को ठीक तरह से निबाह रही है वरना इस नारे से असन्तोष कम होने वाला नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय चन्द्रजीत यादव जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री चन्द्रजीत--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि जिन्होंने आज के विवाद में हिस्सा लिया। मैंने अपना कटौती का प्रस्ताव पेश करते हुये प्रारम्भ में ही इस बात पर जोर दिया था कि जिस प्रकार की तस्वीर माननीय मन्त्री जी ने सदन के सम्मुख पेश की है उससे एक भटकाव आने का अन्देशा है और सही चित्र अगर सामने नहीं आता तो जितना प्रयास हमारे प्रदेश की खाद्य स्थिति को सुधारने के लिये किया जाना चाहिये वह नहीं हो सकेगा। मुझे इस बात की खुशी है कि दोनों तरफ के बैठने वालों ने, सभी माननीय सदस्यों ने, इस बात को महसूस किया और माना है कि सही मानों में हमारे प्रदेश की खाद्य स्थिति आज ऐसी नहीं हैकि जिस पर हम सन्तोष व्यक्त कर सकें। यह दूसरी बात है कि बड़े पैमाने पर भुखमरी न हो रही हो, बड़े पैमाने पर जो तीन चार साल पहले आन्दोलन चला करते थे, आज न चल रहे हों, लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि आज जिस स्थिति से हम गुजर रहे हैं और जितना खाना हम एक नागरिक को दे रहे हैं वह सन्तोष की बात नहीं है।

मैंने शुरू में कुछ आंकड़े अपने राज्य की कृषि स्थिति के और खाद्य स्थिति के बारे में पेश किये थे। कुछ सदस्यों को इस बात का एतराज था कि वह बातें कृषि अनुदान पर ही कही जा सकती हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की आपत्ति कोई नयी नहीं है। यह विचारधारा है लोगों की और अभी संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य संगठन में जब इस बात पर विचार-विमर्श हो रहा था कि दुनिया के वह देश जो पिछड़े हुये हैं और जिनको खाद्यान्न भेज कर सहायता करने की आवश्यकता है और जिनके लिये वह संगठन खर्च कर रहा है, उनके लिये क्या नीति अपनाई जानी चाहिये, तो वहां भी दो विचारधारायें थीं। एक तो वह थी जिसका नेतृत्व अमरीका करता है। उसका कहना था कि हमारा कर्तव्य केवल गल्ला भेजना ही है। दूसरी विचारधारा जो समाजवादी, जनवादी विचारधारा है उसका कहना था कि खाद्य स्थिति का, खाद्य समस्या का सम्बन्ध कृषि नीति से गहरा है, चोली दामन का सम्बन्ध है दोनों का, और इनको अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। इसलिये मैंने उस तस्वीर को सदन के सामने पेश किया था और मैं अभी भी इस मत का हूं कि यदि अपने प्रदेश में खाद्य समस्या को हल करना है और कम से कम उस स्तर पर लाना है कि जिस स्तर पर दुनिया के अन्य बढ़े हुये देश हैं जहां पर लोगों को २८०० से ३००० कैलोरीज तक खाना मिलता है जब कि हमारे यहां केवल १८०० कैलोरीज ही भोजन लोगों को मिल पाता है, तो हमें काफी प्रयत्न करना पड़ेगा और इसके लिये खाद्य, कृषि, सिंचाई और माल विभाग का समन्वय होना चाहिये इन विभागों के मन्त्रियों, सचिवों की एक समिति बननी चाहिये जो इस समस्या पर विचार करे और भी बीच की बाधायें हैं उनको दूर करने की कोशिश करे।

श्रीमन्, मैं अभी माननीय मन्त्री जी से बात कर रहा था। मुझे अफसोस है कि फूड एडल्ट्रेशन का सम्बन्ध खाद्य विभाग से नहीं है। यह एक अफसोसनाक बात है।

मैं यह मांग करता हूं कि फूड एडल्ट्रेशन का काम हमारे खाद्य विभाग के सुपुर्द होना चाहिये। आज जैसा माननीय मिश्र जी ने संकेत किया, मैं गम्भीरता से जोर देकर कहना चाहता हूं कि यह बदकिस्मती की बात है कि १५-१६ साल पहले बचपन में हम सुना करते थे कि दूध में पानी मिलाया जाता है। आज यह जानना मुश्किल है कि कौन सा ऐसा खाद्य पदार्थ है कि जिसमें मिलावट नहीं होती। अभी तीन, चार महीने पहले राजस्थान की सरकार ने एक गजट किया था कि उस प्रदेश में हल्दी का जो पाउडर बिकता है उसमें एक ऐसा जहरीला पदार्थ मिला दिया गया है कि जिससे लोगों के स्वास्थ्य को खतरा है और उससे लोगों की जिन्दगी को खतरा पैदा हो गया है। उस गजट में उपभोक्ताओं को राज्य सरकार ने चेतावनी दी थी कि खरीदते समय वे हल्दी का पाउडर न खरीदें।

इस प्रकार की केवल चेतावनी से काम चलने वाला नहीं है। मैं मांग करता हूं कि फूड एडल्ट्रेशन को एक सीरियस क्राइम मानना चाहिये और इसको नेशनल क्राइम बताना चाहिये, इसको हत्या से भी बड़ा क्राइम समझना चाहिये। इसलिये सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये और इसको रोकना चाहिये।

श्रीमन, आज हमारे प्रदेश में घरों की जो समस्या है उसके बारे में माननीय गेंदासिंह जी ने कहा और उस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। खाने की समस्या के बाद मकान की गम्भीर समस्या का प्रश्न हमारे सामने आता है। यह हमारे लिये कोई गौरव की बात नहीं है कि हम अपने ही नगर में केवल १५ प्रतिशत लोगों को मकान दे सके हैं। अन्य नगरों में भी इसका प्रतिशत २० या २५ से ज्यादा नहीं पहुंचा है। इस विभाग के द्वारा जो मकानों का एलाटमेंट होता है उसका भी नाजायज फायदा ऐसे सरकारी आफिसरान उठाते हैं जो अच्छे-अच्छे पदों पर हैं। ऐसे भी उदाहरण मौजूद हैं, मैं उसे सिद्ध कर सकता हूं, जिन आफिसरों ने मकान बनाने के लिये सरकार से लोन लिया है और उस मकान को बनवा कर किराये पर उठा दिया है और खुद किराये के मकान में रहते हैं। मुझे माननीय मन्त्री जी से शिकायत नहीं है, मैं जानता हूं ५/६ वर्षों में उन्होंने काफी जिम्मेदारी के साथ काम किया है और उन्हें कुछ चिन्ता भी रही है, मगर उन्हें कुछ और जिम्मेदारी के साथ और चिन्ता के साथ इस तरफ ध्यान देना चाहिये।

श्रीमन, मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश की खाद्य स्थिति सन्तोषजनक नहीं है, पिछड़ी हुई है। "पिछड़ी हुई" शब्द का प्रयोग शायद लोगों को अच्छा न लगे, मगर मैं उस शब्द को वापस ले लेता अगर अपने भावों को प्रकट करने के लिये मुझे कोई दूसरा शब्द मिल जाता। अपनी निन्दा करना किसी को अच्छा नहीं लगता, मगर जो असलियत है उसको रखे बगैर भी काम नहीं चलता। इसलिये मैंने यह सब बातें सदन के सामने रखी हैं। इसलिये मैं माननीय खाद्य मन्त्री से निवेदन करूंगा कि जो स्थिति हमने सदन के सम्मुख रखी है उस पर वे गम्भीरता के साथ विचार करें। माननीय भानु प्रतापसिंह जी ने मेरी अनुपस्थिति में एक बात की चर्चा की थी, बाद को मैंने उन्हीं से बात करके उसका समाधान कर दिया। उन्होंने कुछ रूस की, कुछ चीन की बातें कहीं। मैंने सबेरे जो आंकड़े आपकी सेवा में प्रस्तुत किये वे न चीन के थे और न रूस के थे। वे इसलिये नहीं रखे कि बहुत से लोगों को सही बात भी, यदि उनका दिमाग उसको समझने के लिये तैयार नहीं है, सुनना पसन्द नहीं करते। मैंने इस कारण अपने ही देश के दूसरे प्रदेश के कुछ आंकड़े रखे। रूस में २० वर्ष के बाद खाने पर किसी को एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। आज भी उन्हें उस पर फख्र है। दुनिया में वह सबसे पहला देश है जहां पर अन्न सबसे सस्ता है। आज प्रश्न रूस, चीन आदि का नहीं है। आज तो व्यवस्था का सवाल है। एक पूंजीवादी व्यवस्था है, एक समाजवादी व्यवस्था है। इसमें जो सही व्यवस्था है उसे हमें करना चाहिये। हमारी सरकार ने जब समाजवादी व्यवस्था को स्वीकार किया है तो उसमें किसी संदेह्य को कोई

[श्री चन्द्रजीत]

हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिये । आखिर में मैं फिर इस गम्भीर समस्या की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और आशा करता हूं कि जो सुझाव दिये गये हैं उनके ऊपर मन्त्री जी विचार करेंगे ताकि इस गम्भीर समस्या का समाधान हम अपने प्रदेश में कर सकें।

श्री अध्यक्ष—सदन का समय १५ मिनट बढ़ाया जाता है ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समस्त सदस्यों का जिन्होंने इस वाद-विवाद में भाग लिया और विशेषकर श्री चन्द्रजीत जी यादव का बड़ा कृतज्ञ हूं कि उन्होंनें बड़े बड़े सुन्दर-सुन्दर सुझाव दिये। उन्होंने स्वतः सब माननीय सदस्यों को अपनी ओर स धन्यवाद दिया जिन्होंने भाग लिया और मैं उनको विशेष तौर से इसलिये धन्यवाद दे रहा हूं कि सबके बदले उन्हीं को दे दूं तो उत्तम रहेगा ।

मैं यादव जी की भावनाओं की बड़ी कद्र करता हूं और मैं आभारी हूं कि उन्होंने साफ दिल से इस बात को अन्त म कहा कि हमने जो प्रयास किया है उसमें वह चाहते हैं कि हम और अधिक करें और जो वास्तविक स्थिति है उसको सदन के सन्मुख प्रस्तुत करें। मैं कभी इस बात को नहीं चाहता कि गलत तस्वीर अपने माननीय सदस्यों को दूं, इसलिये मैंने प्रारम्भ में इस बात को कहा था कि "सन्तोष–प्रद" जब मैंने कहा तो इस टर्म को रिलेटिव टर्म माना जाय। मैंने कभी दावा नहीं किया कि हम पूर्ण रूप से खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो चुके हैं। खैर, यह बात सही है कि खाद्य विभाग का उत्पादन स काफी सम्बन्ध हो सकता है, और होगा भी, मगर बदकिस्मती से इस वक्त नहीं है। हम इस वक्त केवल वितरण से सम्बन्ध रखते हैं और वह भी प्रोक्योरमेंट, जिसे उपलब्धि कहना चाहिये, वह केन्द्रीय सरकार के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है । बाहर से मंगाना, उत्पादन को बढ़ाना, अपने प्रदेश के अन्दर कृषि विभाग का विषय है और हमारे मन्त्रि मन्डल की संयुक्त जिम्मेदारी है। इसलिये यह कह कर मैं अपने उत्तरदायित्व को कम करना नहीं चाहता कि क्योंकि दूसरा विभाग है इसलिये इससे सम्बन्धित नहीं है कि वृद्धि हुई या नहीं हुई।

मैं समझता हूं, यादव जी ने आंकड़े तो ठीक प्रस्तुत किये मगर वही दिये जो कि उनके मतलब के थे, जैसे राइस के आंकड़े दे दिये मगर गेंहूं के नहीं दिये, क्योंकि गेहूं में हमने पंजाब के मुकाबले में ज्यादा प्रगति की थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। चावल में मानो हुई बात है कि बंगाल हमसे बढ़ा हुआ है । इससे कौन इंकार कर सकता है, यह कौन सी नयी बात बता दी ? वह तो है ही ।

दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि पर एकड़ प्रोडक्शन हमारा गिरा है बराबर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, लेकिन आप देखें कि एक साल किसी दैविक आपत्ति से अगर घटा है तो फिर बढ़ा है। पूरे आंकड़े देखने पर पता चलता है कि प्रगति है फूड प्रोडक्शन में। १९५६-५७ में १२२.६१३ लाख टन टार्गेट था, और अचीवमेंट है १२४.१४७ यानी अपने टारगट से भी ज्यादा। १९५७–५८ में हम गिर गये। १९५८–५९ में बराबर होगया १३४ और १३४ है। १९५९–६० में फिर गिर गया। १९६०–६१ में फिर बराबर हो गया १४२-और १४२ है। १९६१–६२ में फिर बढ़ा और बराबर रहा १४४ और १४४ है। तो आप यह बताइये कि प्रगति है या नहीं । आप केवल अपने मतलब के आंकड़े मत दीजिये । जितना टार्गेट था वह तो हमने पूरा कर दिया । अब रहा कि कितना कैलोरी उनको खाना मिलता है। अब मैं यह कहूं कि जो स्टेट ट्रेडिंग की बात चल रही है और जो ग्रान्ट प्रस्तुत है वह उसका विकसित रूप नहीं है जो कि अन्ततोगत्वा हम चाहते हैं। वह केन्द्र पर निर्भर करता है। जहां तक हमारे बस की बात है वह हम कर रहे हैं और जो हमारे बस में नहीं है उसके लिये हम क्या करें ? अब अगर हम यह आंकड़े आपको दें कि हम स्टेट ट्रेडिंग पर ज्यादा रुपया लगा रहे हैं तो आप कहेंगे कि जब ज्यादा पैदा नहीं होता तो बाहर से ही तो मंगायेंगे। इसलिये लाचार होकर हम

१०-११ करोड़ की मांग ही रखते हैं। अब अन्न की उतनी आवश्यकता नहीं है कि जितनी कि पिछले साल थी। आप देखें कि २२ करोड़ से लेकर सन् १९६०-६१ में हम पांच करोड़ पर पहुंच गये हैं। इस साल ५ करोड़ का इम्पोर्ट हुआ। अब आप कहेंगे कि १०-११ करोड़ क्यों कर दिया; तो उसका जवाब यह है कि हम इस मामले में सतर्क हैं कि कहीं बरसात में ज्यादा मंहगाई न आ जाय। वैसे हम उम्मीद करते हैं कि तीन-चार करोड़ से ही हामरा काम चल जायगा। लेकिन यह सिद्ध करता है कि हमारे इम्पोर्ट इसलिये कम हो रहे हैं क्योंकि हमारी पैदावार बढ़ रही है।

अब रहा यह कि किसी की कितनी डाइट होनी चाहिये। हमें देखना पड़ता है कि मार्केटेबिल सर्प्लस क्या है, बाजार में अराइवल्स कितने हैं। लेकिन अगर कोई किसान अपना पेट काटकर मार्केट में बेच देत. है तो क्या उसको हम सर्प्लस मान लेंगे?

जहां तक मक.नों के एलाटमेंट का सवाल है, हम.रे रेन्ट कन्ट्रोल के म.तहत पुराने टूटे-फूटे मकान ही हैं, नये मकान हैं ही नहीं। एक शिकायत और की गई जो कि मैं समझता हूं बिना पूरी जानकारी किये कह देना अशोभनीय होता है। उन्होंने यह कह दिया कि डिप्टी कन्ट्रोलर रख दिया। वह रीजनल मार्केटिंग आफिसर है और वह पब्लिक सर्विस कमीशन में जायेंगे। फिलहाल काम चलाने के लिये इस डिपार्टमेंट का एक सीनियरमोस्ट आदमी रख दिया है। फिर यह बात क्यों कह दी गई?

एक सदस्य--आपने सुपरसीड कराकर रखा है।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--किसी को सुपरसीड नहीं किया है। पहले शार्ट-नोटिस क्वेश्चन करना चाहिये था और पूछ लेने के बाद तब कहना चाहिये था। मैं माननीय गेंदा सिंह जी और यादव जी को समझदार व्यक्ति समझता हूं। मैं अपने को हर प्रकार से पर्फेक्ट नहीं मानता। अगर हमारे सब निर्णय सही ही होने लगें तो फिर हम भगवान ही हो जायं। हम जनता की तकलीफों को रफा करने के लिये चाहे वे किसी सम्बन्ध में हों रात दिन तैयार हैं। हम पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि जनता को या उसके प्रतिनिधियों को किसी प्रकार भी असंतुष्ट करने का हमारा इरादा नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि जितनी मदद हो सके हम करें।

जहां तक शुगर की बात है, हम नहीं चाहते थे कि कन्ट्रोल टूटे मगर उस वक्त आप सब लोगों ने देखा होगा कि यह कहा गया कि अगर ठीक से व्यवस्था नहीं कर सकते तो कन्ट्रोल मत रखिये। तब इसका जज कौन होगा कि हम ठीक व्यवस्था कर रहे हैं कि नहीं? भाषण देने वाले तो अपने-अपने मन की कहेंगे। लेकिन इसको हर एक की अन्तरात्मा जानती है। हर व्यक्ति कबूल करता है कि चीनी के कन्ट्रोल के बारे में हमने काफी सफलता प्राप्त की लेकिन आवाज आती है कि छोड़ दो, हमने रोका लेकिन सेन्ट्रल गवर्नमेंट नहीं मानी। हमारा कर्तव्य है कि उनको हम फिर से आगाह कर दें कि प्राइसेज ऊंचे उठ रही हैं। लेकिन यह करना सेन्ट्रल गवर्नमेंट को ही है, हमारे पास ताकत नहीं है और उसमें ४-६ महीने लग सकते हैं। यह भी कहा जाता है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट यू० पी० के साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती है। इसके माने यह हैं कि हम सजग नहीं हैं। जहां तक दूसरी स्टेट्स की बात है, मैं समझता हूं कि वहां के प्रेस करेस्पान्डेन्ट्स ज्यादा होशियार नहीं हैं जितने कि हमारे यहां के होशियार हैं। दूसरी बात यह है कि हमारी यू० पी० की स्टेट बड़ी भारी स्टेट है, आबादी भी बहुत ज्यादा है, एरिया भी ज्यादा है और यहां पर केटेगरी आफ कन्ज्यूमर्स भी बहुत ज्यादा है, पंजाब से बहुत ज्यादा है। पंजाब का द्वितीय पंचवर्षीय योजना में काफी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है। क्यों वहां हुआ, उसके कारण होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं यहां पर इंडस्ट्रीज का और प्लानिंग का डिप्टी मिनिस्टर रहा तो मैं बराबर एम० पीज० को लेटर भेजा करता था कि हमको क्यों फारेन इक्सचेंज कम दिया गया। तो हम अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न करते हैं। एक माननीय सदस्य कह रहे थे

[श्री जगमोहन सिंह नेगी]
कि हम वाजिब बात को भी नहीं मानते हैं। इसके माने यह हुए कि हम वाजिब बात नहीं कह रहे हैं इसलिये सेन्ट्रल गवर्नमेंट नहीं मानती, इससे यह भी नतीजा निकल सकता है कि आप वाजिब बात न कह रहे हों इसलिये हम नहीं मानते, क्योंकि दोनों ओर ही तर्क एक साथ ही, लागू होना चाहिये।

राय साहब ने कोई ग्रेन के बारे में कहा। पहले हम उसको रखा करते थे लेकिन कोर्स ग्रेन के बारे में दिक्कत यह है कि उसकी कोई प्राइस फिक्स नहीं है इसलिये उसको किस फिक्स प्राइस पर खरीदें यह दिक्कत आ जाती है। लेकिन फिर भी पिछले साल हमने प्रयत्न किया था कि समय से हम उसको खरीदें और बिना फायदा उठाये ठीक भाव पर लोगों को दे दिया। लेकिन इस साल अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

एक बात और बता दूं। मैं विरोधीपक्ष के लोगों का बड़ा आदर करता हूं। बाकी, बात यह है कि वे भी कुछ बातों को छिपाते ही हैं। अभी माननीय भानु प्रताप जी ने बताया कि गेहूं की फेयर प्राइस १३ रुपया मन फिक्स की लेकिन हमने उसके अलावा गेहूं की एवरेज क्वालिटी की १४ तथा फार्म की १५ रुपया फिक्स की है। लेकिन उन दोनों का उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। इससे लोगों को गलत फहमी हो सकती है कि फार्म का गेहूं १३ रुपया मन लिया जा रहा है। १५ रुपया के माने यह हैं कि गेहूं १५ रुपया से ऊपर १७–१८ तक बिकेगा। अगर हम १८ कर देते हैं तो २१–२२ तक बिकता। अगर ऐसा होता तो आप कहने लगते कि खाने वाले कैसे इतने ऊंचे भाव पर खायें। आपका तो वह हिसाब रहता है कि इधर जाओ तो खड्डा और उधर जाओ तो खड्डा। आपका तो वह तरीका कि हम किधर भी जाने न पायें। जब तक हमारे सदन के अन्दर यह मनोवृत्ति है, चाहे वह पार्टीबाजी की वजह से ही क्यों न हो, कोई भी बात क्यों न कही जाय या की जाय उसको ठीक नहीं माना जायगा। मैंने इस वक्त बड़ी वाजिब बात कही और बड़ी वाजबियत के साथ रखी, अब अगर उस पर से माननीय चन्द्रजीत जी अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लेते हैं तो मैं मान जाऊंगा कि उन्होंने मेरी वाजिब बात को मान लिया।

इन्डस्ट्रीज के लिये कहा गया कि मर रही है, खत्म हो रही है क्योंकि कोयला उनको नहीं मिल पा रहा है। लेकिन मुझे एक शिकायत मिली है और उसके जांच करने की आवश्यकता है कि शुगर इंडस्ट्री को जो कोटा दिया जाता है उसमें से खोई जलाने के कारण वे आधा बचा लेते हैं और वह कोयला ब्लेक में जला जाता है। हम इसकी इंक्वायरी करते हैं, कराते हैं और हमारे बस में जो होता है वह करते हैं लेकिन जब आप लोगों में से कोई सिफारिश करने चले आते हैं तब लाचारी हो जाती है। यह दूसरी बात है कि हम जो बात सही होती है उसे ही मानते हैं और जो कायदे की बात होती है उसे ही करते हैं।

जहां तक प्राइस फिक्स करने की बात है, चावल की हमने सीलिंग प्राइस और फ्लोर प्राइस दोनों ही फिक्स की हैं। व्हीट की केवल फ्लोर ही प्राइस फिक्स की। लेकिन बावजूद इन सब बातों के कंट्रोल नहीं है। लोगों को गलतफहमी है कि कन्ट्रोल है। एक साहब ने कहा कि कन्ट्रोल को हटा दीजिये। जब कन्ट्रोल है ही नहीं तो हटा क्या दिया जाय? केवल हमारी फेयर प्राइस शाप्स चल रही हैं वही कन्ट्रोल है। किसी प्राइवेट दूकानदार को मजबूर नहीं किया जाता है।

हम इस बात का दावा नहीं करते कि किसी रूप में भी भ्रष्टाचार नहीं है। मैं भी अपनी कमजोरी मानता हूं और विभाग की भी कमजोरी मानता हूं। लेकिन यह बात जरूर है कि किसी विभाग में अगर किसी कार्य में कम प्रगति है तो किसी कार्य में तीव्र प्रगति है। अगर इस बात को आप अपने दृष्टिकोण में रखें कि हमारे देश के अन्दर जो भी एचीवमेंट्स हुए हैं सब डेमोक्रेटिक सिस्टम में हुए हैं तो मैं आपसे आग्रहपूर्वक ईमानदारी के साथ इस बात को कहूंगा और आप भी ईमानदारी के साथ इस बात को सोचें कि आज हम एक बी० डी० ओ० को अगर निकालते हैं तो वही रिट के द्वारा दो साल बाद दो साल की तनख्वाह लेकर हमारे ऊपर आ जाता है।

फिर चीन में या रूस में इस तरह की कोई बात होती है तो यह कौन सी बड़ी भारी बात ? लेकिन जहां तक मेरी सूचना है, आजकल चीन में अन्न के मामले में बड़ी गड़बड़ी है, वहां बड़ी भुखमरी है। फिर भी उन्होंने कुछ हासिल किया है तो कोई बड़ी बात नहीं है।

हमारे यहां सरकारी नौकरों से आप चाहते हैं कि जोर से काम लिया जाय लेकिन जोर भी किसी हद तक ही चलता है। आप भी कहते हैं कि छोटी-छोटी चीजों में क्यों इंटरफियर करते हो। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपकी तलवार दोधारी है। हमें इत्मीनान नहीं है कि जो सुझाव आप देंगे उसे मान लेने के बाद भी कल उसके विरुद्ध आप कुछ नहीं कहेंगे। अगर मेरे सुझाव को मान कर इस कटमोशन को माननीय सदस्य वापस ले लें तो मुझे इतमीनान हो सकता है कि आपका सहयोग व सहानुभूति मेरे साथ होगी। आपकी अन्तरात्मा तो हमारे साथ सहयोग करना चाहती है और आप इस बात को समझते हैं कि जो हम कह रहे हैं वह सही है, सारी समस्या खाद्य की हल हो गयी है, सिर्फ कोयले की कुछ परेशानी है जो बहुत जल्द तय हो जायगी, इसको आप भी स्वीकार करते हैं। मुझे पूर्ण आशा है कि यादव जी जिनका हृदय बड़ा ही विशाल है वे अपने कटमोशन को वापस ले लेंगे क्योंकि वे बहुत ही समझदार हैं और विचारशील व्यक्ति हैं।

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १६––सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य––विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, सन् १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १६––खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ४८,२८,५०० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५५––सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य––विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, सन् १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५५––राज्य व्यापार की योजनायें के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, ८,९०,५३,१०० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

श्री देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१ जून, १९६२ ई०।

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ११–१२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७१७ पर।]

तालिका 'अ'

वाराणसी जिले के उन उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की तालिका जिनमें इन्टरमीडिएट कक्षाओं तक कृषि की शिक्षा दी जाती है तथा उनके पास उपलब्ध भूमि का विवरण

विद्यालय का नाम	किन कक्षाओं तक कृषि की पढ़ाई होती है	प्राप्त भूमि (एकड़ों में)
१—जगतपुर इन्टर कालेज, जगतपुर ..	इन्टरमीडिएट तक	८.५०
२—राजकीय उ० मा० विद्यालय, जखेनी ..	,,	६.८५
३—उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कालिकाधाम	,,	८.१५
४—वि० ना० रा० उ० मा० वि०, ज्ञानपुर ..	,,	३.००
५—बल्देव इन्टर कालेज, बड़ागांव ..	,,	९.९०
६—उदय प्रताप कालेज, वाराणसी ..	,,	३.००
७—उ० मा० विद्यालय, सकलडीहा ..	,,	२.५०
८—उ० मा० विद्यालय, शहीदगांव ..	,,	९.१५
९—उ० मा० विद्यालय, चोलापुर ..	हाई स्कूल कक्षाओं तक	२०.८४
१०—उ० मा० विद्यालय, सारनाथ ..	,,	३.००

तालिका 'ब'

इंटरमीडिएट कक्षायें

वाराणसी जिले के उन उ० मा० वि० की तालिका जिनमें इन्टरमीडिएट कक्षाओं तक कृषि की शिक्षा दी जाती है तथा उनको विभिन्न स्वीकृत अनुदान की धनराशि

विद्यालय का नाम	कुयें के निर्माण हेतु अनुदान	बैलों के क्रय हेतु अनुदान	बैलों के रहास हेतु अनुदान	कृषि संग्रहालय हेतु अनुदान	नर-राटो के घेराबन्दी हेतु अनुदान	कम्यू-निस क्षेत्र हेतु अनुदान	रहट हेतु अनुदान	नरसरी हेतु अनुदान	कृषि शिक्षा की स्थापना हेतु अनुदान
१—जगतपुर इन्टर कालेज, जगतपुर	..	..	५००	५००	६००	५००	४३०	..	७००	..
२—रा० उ० मा० विद्यालय, जखेनी	..	..	५००	५००	..	..	..	..	..	..
३—उ० मा० विद्यालय, कालिकाधाम	..	..	..	..	..	..	४३०	..	..	..
४—वि० ना० रा० उ० मा० विद्यालय, ज्ञानपुर	..	..	५००	५००	६००	५००	४३०	४००	..	..
५—बलदेव उ० मा० वि०, बड़ागांव	..	..	५००	५००	..	५००	४३०	४००	..	१०,०००
६—उदय प्रताप कालेज, वाराणसी	..	..	५००	५००	६००	..	..	..	..	..
७—उ० मा० विद्यालय, सकलडीहा	..	..	५००	५००	६००	..	..	..	..	..
८—उ० मा० वि०, शहीदगांव	..	..	५००	५००	६००	५००	४३०	४००	..	१०,०००
९—उ० मा० वि०, चोलापुर ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
१०—उ० मा० वि०, सारनाथ ..	..	..	..	..	६००	..	..	..	..	..

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७१९ पर।]

बाढ़ से प्रभावित उन ग्रामों की सूची जहां कम्बल बांटे गये

क्रम-संख्या	नाम ग्राम	कम्बल जो बाढ़ के समय बटा: बांटने की तारीख	कम्बल जो बाढ़ के समय बटा: तायदाद कम्बल	कम्बल जो जाड़े में बटा: बांटने की तारीख	कम्बल जो जाड़े में बटा: तायदाद कम्बल	कम्बल जो जाड़े में बटा: मीजान कम्बल जो बटा
१	२	३	४	५	६	७
१	सहवंदिया सुल्तानपुर. .	७–१०–६१	२	..	..	२
२	महुला ..	,,	४	१९–१–६२	२	६
३	वरडीहा ..	,,	२	,,	१	३
४	सिवान ..	,,	१	,,	१	२
५	देवारा महुला ..	,,	१	..		१
६	करीमगंज ..	२४–१०–६१	१	२३–१–६२	१	२
७	अभन पट्टी ..	,,	१	,,	१	२
८	शाह डीह ..	,,	१	,,	१	२
९	देवारा इस्माइलपुर	,,	२	,,	२	४
१०	उरदिहा ..	,,	१	,,	१	२
११	हाजीपुर ..	,,	४	..	..	४
१२	मछिरहवा रुस्तम तवायफ ..	२५–१०–६१	१	२१–१–६२	१	२
१३	गोनहा ..	,,	१	,,	१	२
१४	बढ़िया चक ..	,,	२	,,	२	४
१५	वीवीपुर ..	,,	१	,,	१	२
१६	झपटिया मिश्र ..	,,	१	,,	१	२
१७	पहाड़पुर ..	,,	१	,,	१	२
१८	गोतहां ..	,,	२	..	..	२

कम्बल बांटने का विवरण

क्रम-संख्या	नाम ग्राम	कम्बल जो बाढ़ के समय बंटा: बांटने की तारीख	कम्बल जो बाढ़ के समय बंटा: तातदाद कम्बल	कम्बल जो जाड़े में बंटा: बांटने की तारीख	कम्बल जो जाड़े में बंटा: तायदाद कम्बल	कम्बल जो जाड़े में बंटा: मीजान कम्बल जो बंटा
१	२	३	४	५	६	७
१९	हथियागढ़	२५-१०-६१	१	..	..	१
२०	रामपुर देवारा	.. ..	..	१९-१-६२	२	२
२१	अम्मा आयमा	.. ..	..	,,	१	१
२२	कारव भार	.. ..	..	,,	१	१
२३	दाम महुला	.. ..	..	,,	२	२
२४	परसिया	.. ..	..	,,	१	१
२५	गांगेपुर	.. ..	..	,,	१	१
२६	वनकटिया	.. ..	..	,,	२	२
२७	इसरहा	.. ..	..	,,	१	१
२८	देवारा खास राजा	.. ..	..	२३-१-६२	४	४
२९	चक्की हाजीपुर	.. ..	..	,,	१	१
	योग	.. ..	३०	..	३३	६३

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७३१ पर)

वर्ष १९६१–६२ में राजकीय हायर सेकेन्डरी स्कूल, फर्रुखाबाद, के जिन विद्यार्थियों ने स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों वाली योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता हेतु आवेदन-पत्र प्रेषित किये थे उनके नाम ।

छात्र का नाम	कक्षा	संस्था का नाम
१—श्याम प्रकाश	९	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, फर्रुखाबाद
२—कैलाशचन्द्र शुक्ल	९	,,
३—श्री पाल सिंह	९	,,
४—रघुवीर सिंह	९	,,
५—उदयवीर सिंह	१०	,,
६—अशोक कुमार	१०	,,
७—मोती लाल	७	,,
८—सैयद काजिम हुसेन	७	,,
९—राजिव कुमार शुक्ल	८	,,

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०२ तथा १०४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७३७ पर)

प्रश्न १०२ से संबंधित--जिला फतेहपुर, तहसील बिन्दकी, के ग्राम कन्साखेड़ा में चकबन्दी समिति द्वारा सार्वजनिक कार्यों के निमित सुरक्षित की गई भूमि का ब्यौरा:

प्रयोजन	क्षेत्रफल		
	बीघा	बिस्वा	बिस्वान्सी
आबादी	१४	३	०
स्कूल	०	८	०
खेल का मैदान	०	१६	०
पंचायतघर	०	१०	१०
कृषि फार्म	१	०	०
औषधालय	०	३	०
खलिहान	४	११	१५
खाद के गढ्ढे	२	१३	१०
मार्ग	१०	०	१५
कुल क्षेत्रफल ..	३४	६	१०

प्रश्न १०४ से संबंधित--ग्राम कन्साखेड़ा के मजरा बाबूपुर के पास सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये सुरक्षित भूमि का ब्यौरा:

प्रयोजन	क्षेत्रफल		
	बीघा	बिस्वा	बिस्वान्सी
आबादी	४	१८	०
खलिहान	१	१	१५
खाद के गढ्ढे	१	५	१०
आबादी के चारों ओर रास्ता ..	१	१६	०
कुल क्षेत्रफल ..	९	१	५

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७३७ पर)

तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत मेरठ जिले में बनाई जाने वाली सड़कों तथा नलकूपों की सूची

सड़क का नाम	लम्बाई
	मी० फ०
चालू योजना—	
१—मेरठ-बरनवा बाया कुरौली	१७—२
२—सरधना-बिनौली	६—०
३—मवाना-परिछतगढ़	१—०
गंगाखादर उपनिवेश की सड़कें—	
४—तारापुर—मुबारकपुर	६—०
योग ..	३६—२
सी० सी० ट्रैक तथा पेन्टेड सड़कें—	
१—बेगमाबाद-बसाटिकरी	६—०
२—मुहीउद्दीनपुर-खरखौदा	५—०
३—मुहीउद्दीनपुर से हिन्डन नदी तक	५—०
४—धाना-बक्सरकुटी	११—१
५—सलवापुल से सरधना	५—३
६—काली नदी-निरोही	२—०
७—चुरियाला-खरखंडा	४—४
८—पी० डब्लू० डो० सड़क से कलछीना	४—०
९—भवाना-पिलौना	२—४
१०—खरौली मोला	५—४
११—लखैयाजगेठी	३—४
१२—बागपत सड़क से मलियाना और पूठा तक	२—४
१३—गढ-मेरठ-अब्दुल्लापुर	३—४
१४—धाना-नानपुर	१—४
१५—धाना-लोदीपुर	१—४
१६—गढ़ हापुड़ से हाजीपुर सड़क तक	४—०
योग ..	६७—४

सड़क का नाम				लम्बाई
नई योजना--				मी० फ०
१--परिछतगढ़-आसिफाबाद	..	..	..	७–०
२--मरठ-परिछतगढ़ ..	..	..	..	०–४
३--परिछतगढ़ मवाना	..	..	..	१–०
४--बरौत-बुधाना ..	..	..	..	१६–०
५--गाजियाबाद शहर को राष्ट्रीय मार्ग बाई पास से मिलाने के लिये लिंक सड़क	..	..	..	५–०
		योग	..	२९–४
चीनी मिलों के क्षेत्र में पेन्टेड सड़कें--				
१--भवाना गांव से जैसिंह पुर गांव	.	..	..	३–०
२--मुरादनगर रावली सड़क का एक्सटेंशन		..	..	१–०
३--दश्वशपुर से खजूरी बादला होते हुए		..	..	३–०
४--परिछतगढ़ से अस्सीलिपुर आसमाबाद होते हुए		..	..	५–०
		योग	..	१२–०
नल कूप--				
तहसील सरधना	..	..	..	१३
,, बागपत	..	..	..	६
,, मेरठ	..	..	..	२
,, हापुड़	..	..	..	१५
,, मवाना	..	..	..	४
		योग	..	४०

केवल हापुड़ तहसील में ११ नलकूप का स्थितिकरण निम्नांकित ग्रामों में किया गया है। शेष नलकूपों के निर्माण करने के स्थानों का अभी निश्चय नहीं हुआ है। इस संबंध में सर्वेक्षण किया जा रहा है:--

नहाली, फिरोजाबाद, पिपली, खेड़ा, सलेमपुर, धीरखेड़ा, फतेहपुर, खीराबाद, हसनपुर, सदलपुर, सदरपुर तथा भोजपुर।